भारतीय मानक ब्यूरो

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2014-15

ब्यूरो के प्रधान अधिकारी, कार्यकारिणी समिति और महानिदेशालय (31 मार्च 2015 को)

PRINCIPAL OFFICERS OF BUREAU, EXECUTIVE COMMITTEE AND THE DIRECTORATE GENERAL (as on 31 March 2015)

भारतीय मानक ब्यूरो	**BUREAU OF INDIAN STANDARDS**		
अध्यक्ष	**President**	**श्री राम विलास पासवान** केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजानिक वितरण	**Shri Ram Vilas Paswan** Union Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution
उपाध्यक्ष	**Vice President**	**श्री रावसाहेब दादाराव दानवे** उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजानिक वितरण राज्य मंत्री	**Shri Raosaheb Dadarao Danve** Minister of State for Consumer Affairs, Food and Public Distribution
महानिदेशक	**Director General**	**श्री एम. जे. जोसेफ**	**Shri M. J. Joseph**
अपर महानिदेशक	**Additional Director General**	**श्रीमती अलका पंडा**	**Smt. Alka Panda**
मुख्य सतर्कता अधिकारी	**Chief Vigilance Officer**	**श्री आलोक शर्मा**	**Shri Alok Sharma**
उप महानिदेशक (गतिविधि)	**Deputy Director General (Acitivity)**		
प्रशिक्षण संस्थान	Training Institute	श्री डी॰के॰ नैय्यर	Shri D.K. Nayyar
हॉलमार्किंग	Hallmarking	श्री डी॰के॰ नैय्यर	Shri D.K. Nayyar
मानकीकरण	Standardization	श्रीमती परमिन्दर बजाज	Smt. Parminder Bajaj
प्रयोगशाला	Laboratory	श्री पी॰के॰ बत्रा	Shri P. K. Batra
परियोजना प्रबंधन एवं कार्य	Project Management and Works	श्री पी॰के॰ बत्रा	Shri P. K. Batra
प्रमाणन	Certification	श्री के॰ अनबारासु	Shri K. Anbarasu
परियोजना, आयोजना और समन्वय	Project, Planning & Co-ordination	श्रीमती स्नेह भाटला	Smt. Sneh Bhatla
प्रबंधन पद्धतियाँ	Management Systems	श्री एस॰के॰ खन्ना	Shri S.K. Khanna
उपभोक्ता मामले	Consumer Affairs	श्री देश दीपक	Shri Desh Deepak
वित्त	Finance	श्री एच॰आर॰ आहुजा	Shri H.R. Ahuja
प्रशासन	Administration	कैप्टन अनुज कुमार	Captain Anuj Kumar
उप महानिदेशक (क्षेत्रीय)	**Deputy Director General (Region)**		
पश्चिम क्षेत्र	Western Region	श्री सी॰के॰ माहेश्वरी	Shri C.K. Maheshwari
उत्तरी क्षेत्र	Northern Region	श्री ए॰के॰ सैनी	Shri A.K. Saini
दक्षिणी क्षेत्र	Southern Region	श्री ई॰ देवेन्दर	Shri E. Devendar
मध्य क्षेत्र	Central Region	श्री राहुल कुमार	Shri Rahul Kumar
पूर्वी क्षेत्र	Eastern Region	श्री राकेश कुमार	Shri Rakesh Kumar

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2014-15

मानकः पथप्रदर्शकः

भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

मानक भवन, 9 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली–110002
Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
वेबसाइट / **Website : www.bis.org.in**

विषय सूची

CONTENTS

क्र.सं. S.No.	विषय Subject	पृष्ठ संख्या Page No.
1.	सिंहावलोकन OVERVIEW	1
2.	मानकीकरण STANDARDIZATION	8
3.	प्रमाणन CERTIFICATION	19
4.	परीक्षण तथा अंशशोधन LABORATORY SERVICES	22
5.	हॉल मार्किंग HALL MARKING	24
6.	प्रबंध प्रद्धति प्रमाणन MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION	25
7.	अंतर्राष्ट्रीय तथा तकनीकी सूचना सेवाएं INTERNATIONAL AND TECHNICAL INFORMATION SERVICES	28
8.	प्रशिक्षण सेवायें TRAINING SERVICES	33
9.	उपभोक्ता मामले CONSUMER AFFAIRS	35
10.	प्रचार PUBLICITY	38
11.	मानकों एवं अन्य प्रकाशनों की बिक्री SALE OF STANDARDS & OTHER PUBLICATIONS	40
12.	हिन्दी गतिविधियां HINDI ACTIVITIES	41
13.	प्रकाशन PUBLICATIONS	43
14.	योजनागत परियोजनाएं PLAN SCHEMES	44
15.	सूचना प्रोद्योगिकी सेवाएं INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES	45
16.	परियोजना प्रबंधन और कार्य PROJECT MANAGEMENT AND WORKS	48
17.	सतर्कता गतिविधियां VIGILANCE ACTIVITIES	50
18.	मानव संसाधन विकास प्रशासन एवं सामान्य सेवाएं HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, ADMINISTRATION AND GENERAL SERVICES	51
19.	वित्त, लेखा और लेखा–परीक्षा FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT	55

सिंहावलोकन

20वीं सदी के आरंभ में, उद्योगों को सुव्यवस्थित करने के माध्यम के रूप में मानकीकरण के महत्त्व को भली–भांति समझ लिया गया था जिससे कि सामग्री का निर्माण विशिष्टियों और गुणता नियंत्रण के मानदंडों के अनुसार हो।

दिसम्बर 1940 में सर्वप्रथम भारत के मानकीकरण संस्थान की स्थापना का विचार रखा गया क्योंकि उस समय यह अनुभव किया गया कि हमेशा ब्रिटिश और अन्य मानकों को अपनाना देश के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके फलस्वरूप उद्योग एवं आपूर्ति विभाग ने 3 सितम्बर 1946 को एक ज्ञापन जारी किया जिसके द्वारा भारतीय मानक संस्थान (आईएसआई) की औपचारिक रूप से घोषणा की गई। अन्य प्रयोजनों के अतिरिक्त इसकी स्थापना का उद्देश्य मानकीकरण एवं गुणता नियंत्रण को बढ़ावा देना था। आईएसआई 6 जनवरी 1947 को अस्तित्व में आया लेकिन संस्थान ने वास्तविक रूप में उस वर्ष जून में कार्य करना प्रारंभ किया।

संस्थान ने स्टेकहोल्डरों के सभी उचित हितों को ध्यान में रखते हुए सर्वसम्मति से विभिन्न आर्थिक वर्गों, उद्योगों, वैज्ञानिकों, प्रशासकों तथा उपभोक्ताओं के विभिन्न पक्षों को लेकर कार्य किया।

मानक निर्धारण के विस्तार और अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के उत्पादों में आई तेजी से प्रमाणन मुहर योजना की शुरुआत करना आवश्यक हो गया। इसके लिए प्राधिकार आईएसआई (प्रमाणन मुहर) अधिनियम 1952 से लिया गया। 1955 में योजना की शुरुआत की गई। इस योजना की उन्नति और लोकप्रियता के चलते, व्यवसायी लोकप्रिय आईएसआई मुहर का दुरूपयोग करने के लिए अनैतिक तरीके अपनाने लगे। इस संकट से निपटने के लिए कानूनी और नियामक ढांचा तैयार किया गया, परंतु इसमें गलत काम करने वालों को डराने या सजा दिलाने की शक्ति नहीं थी। इस आधारभूत दुर्बलता के कारण भारत मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम में इसके आदेशात्मक दायरे को विस्तृत किया गया और आईएसआई मुहर के दुरूपयोग को रोकने के लिए ब्यूरो को अधिक शक्तियां दी गई। ब्यूरो ने 1987 से पूर्ववर्ती भारतीय मानक संस्थान (आईएसआई) की परिसंपत्तियों, देयताओं तथा कार्यो का दायित्व लिया।

भा मा ब्यूरो ने वैश्विक विकास के अनुरूप उत्पादन एवं पद्धतियों के लिए विभिन्न योजनाएं आरंभ की हैं। वर्ष 2000 और 2005 में क्रमशः स्वर्ण तथा चांदी के आभूषणों की हॉलमार्किंग योजना भी प्रारंभ की गई।

ब्यूरो एक निगमित निकाय है जिसमें केन्द्र व राज्य सरकार, संसद सदस्यों, उद्योगों, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संस्थानों, उपभोक्ता संगठनों तथा व्यावसायिक निकायों का प्रतिनिधित्व करने वाले 25

OVERVIEW

Early in the 20th Century, the importance of standardization was well understood as a means of organizing industry to manufacture materials that adhered to benchmarks of specifications and quality control.

In December 1940, a proposal was first mooted for the establishment of a standard institution for India, as it was felt that adoption of British and other standards were not always suitable for the country. This led to the Department of Industries and Supplies issuing a Memorandum on 3rd September 1946, formally announcing the setting up of the Indian Standards Institution (ISI) with the objective of inter alia promoting standardization and quality control. ISI came into being on 6th January 1947, but the Institution actually started functioning in June of that year.

The Institution functioned by drawing on different facets of the economic community-industrialists, scientists, administrators and consumers with a view to accommodate all legitimate interests of stakeholders through consensus.

With the expansion of standards formulation, consequent to the spurt in the manufacture of diverse range of products in the economy, it was felt necessary to introduce the Certification Marks Scheme. The authority for this was derived from the ISI (Certification Marks) Act 1952. The scheme was launched in 1955. The growth and popularity of this scheme led to sections of market forces adopting unethical means to misuse the popular ISI mark. The legal and the regulatory framework to deal with the menace, however, lacked teeth to either deter or punish the wrongdoers. This structural weakness led to the enactment of the Bureau of Indian Standards Act, 1986, with a broader scope added to its mandate and enhanced powers to curb the misuse of the ISI mark. The Bureau assumed the assets, liabilities and functions of the erstwhile Indian Standards Institution (ISI) from 1987.

In line with global developments, BIS has introduced different schemes for conformity assessment of products and systems. Another scheme introduced is the Hallmarking of jewellery items of gold and silver introduced in 2000 and 2005 respectively.

The Bureau is a body corporate consisting of 25 members representing both the central and the state governments, members of parliament, industry, scientific and research

सदस्य हैं। जबकि, केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री इसके अध्यक्ष तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष हैं।

भा मा ब्यूरो की कार्यकारिणी समिति है जो इसकी नई नीतियों/निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए संगठन को परामर्श देती है। वर्ष 2014–15 के दौरान कार्यकारिणी समिति की आठ बैठकें हुई हैं।

भा मा ब्यूरो के अधिदेश

गुणतापरक माल और सेवाओं के लिए उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करना भा मा ब्यूरो को अधिदेश है।

भा मा ब्यूरो के उद्देश्य

- मानकीकरण, मुहरांकन एवं सामान के गुणता प्रमाणन के कियाकलापों का सुसंगत विकास करना।
- उद्योगों की प्रगति एवं विकास के लिए मानकीकरण और गुणता नियंत्रण को गति देना और इसके साथ उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करना।

संगठनात्मक नेटवर्क

भा मा ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके 05 क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता (पूर्व), चेन्नई (दक्षिण), मुंबई (पश्चिम), चंडीगढ़ (उत्तर) और दिल्ली (मध्य) में स्थित हैं। इन क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन 27 स्थानों पर स्थित 32 शाखा कार्यालय हैं। ये कार्यालय हैं अहमदाबाद, बेंगलूरू, भुवनेश्वर, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बत्तूर, देहरादून, दिल्ली, दुर्गापुर, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जमशेदपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, परवाणू, पटना, पुणे, रायपुर, राजकोट और विशाखापत्तनम। ये शाखा कार्यालय क्षेत्र की राज्य सरकार, उद्योगों, तकनीकी संस्थानों, उपभोक्ता संगठनों के बीच प्रभावी संपर्क का काम करते हैं।

गतिविधियां–

भामाब्यूरो की गतिविधियों को मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षकों में समूहबद्ध किया जा सकता है

क) मानक निर्धारण

ख) प्रमाणन : उत्पाद, हॉलमार्किंग तथा प्रबंध पद्धति

ग) प्रयोगशाला सेवाएं

घ) उपभोक्ता मामले

ड) अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं

च) प्रशिक्षण गतिविधियाँ

institutions, consumer organizations and professional bodies with the Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution as its President and with the Minister of State for Consumer Affairs, Food and Public Distribution as its Vice-President.

BIS has an Executive Committee to advise the organisation in implementation of its new policies/ directives. The executive committee had eight meetings during 2014-15.

BIS MANDATE

The Mandate of BIS is to satisfy the customer needs for quality of goods and services.

OBJECTIVES OF BIS

- Harmonious development of the activities of standardization, marking and quality certification of goods
- To provide thrust to standardization and quality control for growth and development of industry on one hand and to meet the needs of consumers on the other.

ORGANIZATIONAL NET WORK

BIS has its Headquarters at New Delhi and its 05 Regional Offices (ROs) located at Kolkata (Eastern), Chennai (Southern), Mumbai (Western), Chandigarh (Northern) and Delhi (Central). Under the Regional Offices are the Branch Offices (BOs), which are 32 in number located at 27 different locations namely Ahmedabad, Bangaluru, Bhubaneswar, Bhopal, Chandigarh, Chennai, Coimbatore, Dehradun, Delhi, Durgapur, Faridabad, Ghaziabad, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Jamshedpur, Kochi, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Nagpur, Parwanoo, Patna, Pune, Raipur, Rajkot and Vishakhapatnam. The branch offices serve as an effective link between state governments, industries, technical institutions, consumer organizations, etc. of the region.

ACTIVITIES

The activities of BIS can be broadly grouped under the following heads:

a) Standards Formulation

b) Certification : Product, Hallmarking and Management Systems

c) Laboratory Services

d) Consumer Affairs

e) International Activities

f) Training Services

छ) सतर्कता

ज) प्रचार

झ) भारतीय मानक एवं अन्य प्रकाशनों की बिक्री

ट) सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं

ठ) प्रशासन

ढ) परियोजना प्रबंधन एवं कार्य

त) वित्त एवं लेखा

2014–15 के दौरान भा मा ब्यूरो की प्रमुख उपलब्धियां

- व्यापक विषयों को शामिल करते हुए वर्ष में 746 भारतीय मानकों (407 नए एवं 339 संशोधित) का निर्धारण किया गया। कुछ महत्त्वपूर्ण निर्धारित मानक निम्नलिखित हैं :

– कृषि वस्त्रादि – बागवानी अनुप्रयोगों हेतु बुने हुए ग्राउंड कवर विशिष्टि (आईएस 16202 : 2014)

– चिकित्सा वस्त्रादि – ऑर्थोपेडिक स्टॉकनेट – विशिष्टि (आईएस 16302 : 2014)

– चिकित्सा वस्त्रादि – सर्जिकल फेस मॉस्क – विशिष्टि (आईएस 16289 : 2014)

– लोगों को आग से खतरे के आंकलन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत (आईएसओ 19706 : 2011 को अपनाया)

– अबाधित पॉवर प्रणाली (यूपीएस) : भाग 1 यूपीएस की सामान्य एवं सुरक्षा अपेक्षाएं (आईएस 16242 (भाग 1) : 2014 / आईईसी 62040–1 (2008),

– भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2005 (एसपी 7 : 2005) : भाग 11 संवहनीयता के प्रति दृष्टिकोण (संशोधन सं.1)

– संरचनाओं के भूकम्प प्रतिरोधी डिजाइन के मानदंड : भाग 4 स्टैक जैसी संरचनाओं सहित औद्योगिक संरचनाएं (आईएस 1893 (भाग 4) का प्रथम पुनरीक्षण)

– भूकम्पीय आवेग के लिए प्रबलित कंक्रीट संरचनाओं की तन्यता विवरण की रीति संहिता (आईएस 13920 का प्रथम पुनरीक्षण)

– प्रबलित कंक्रीट चिमनी के डिजाइन – मानदंड (आईएस 4998 का तीसरा पुनरीक्षण)

– दाबित सिरेमिक टाइलों की विशिष्टि (आईएस 15622 का पहला पुनरीक्षण)

– स्कूटर एवं मोटरसाइकिल चालकों के लिए सुरक्षा हैल्मेटों की विशिष्टि (आईएस 4151 का चौथा पुनरीक्षण)

g) Vigilance

h) Publicity

i) Sales of Indian Standards and other Publications

j) Information Technology Services

k) Administration

l) Project Management and Works

m) Finance & Accounts

HIGHLIGHTS OF BIS ACHIEVEMENTS DURING 2014-15

- 746 Indian Standards (407 new and 339 revised) covering wide ranges of subjects were formulated during the year. Some important standards formulated include the following:

- Agro Textiles-Woven ground covers for horticulture application — Specification (IS 16202:2014)

- Medical Textiles - Orthopaedic Stockinet — Specification (IS 16302:2014)

- Medical Textiles - Surgical Face Masks — Specification (IS 16289:2014)

- Guidelines for Assessing the Fire Threat to People (Adoption of ISO 19706:2011)

- Uninterruptible Power Systems (UPS) : Part 1 General and Safety requirements for UPS [IS 16242 (Part 1): 2014/ IEC 62040-1 (2008)]

- National Building Code of India 2005 (SP 7:2005): Part 11 Approach to sustainability (Amendment No.1)

- Criteria for Earthquake Resistant Design of Structures: Part 4 Industrial Structures including stack-like structure [First Revision of IS 1893 (Part 4)]

- Code of Practice for Ductile Detailing of Reinforced Concrete Structures subjected to Seismic Forces (First Revision of IS 13920)

- Design of Reinforced Concrete Chimneys - Criteria (Third Revision of IS 4998)

- Specification for Pressed Ceramic Tiles (First Revision of IS 15622)

- Specification for Protective Helmets for Scooter and Motorcycle Riders (Fourth Revision of IS 4151)

– 2500 केवीए, 33 केवी के और तक के बाहरी प्रकार के तेल निमज्जित वितरण ट्रांसफार्मर (आईएस 1180 (भाग 1) का चौथा पुनरीक्षण)

– बिजली के निमज्जय वाटर हीटर (आईएस 368 का प्रथम पुनरीक्षण)

– घरेलू एवं बिजली के सामान उपस्करों की सुरक्षा : भाग 2 विशेष अपेक्षाएं, खंड 26 घड़ी (आईएस 302 (भाग 2/खंड 26) का पहला पुनरीक्षण)

– बत्ती उपकरण, भाग 1 – सामान्य अपेक्षाएं एवं परीक्षण (आईएस 10322 (भाग 1) का पहला पुनरीक्षण)

- सिल्वर लीफ–विशिष्टि (आईएस 3110 का दूसरा पुनरीक्षण)
- 31 मार्च 2015 तक कुल 19295 मानक लागू थे। कुल 5249 भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सुमेलित किया गया।
- भारत सरकार ने इलैक्ट्रॉनिक और आईटी की 15 वस्तुओं को अधिसूचित किया है जिससे अनिवार्य पंजीकरण योजना के अंतर्गत आने वाली इलैक्ट्रॉनिक और आईटी की वस्तुओं की कुल संख्या 30 हो गई है। 31 मार्च 2015 तक विश्व में निर्माताओं को दिए गए पंजीकरण की संख्या 1428 थी।
- वर्ष के दौरान 3202 उत्पाद प्रमाणन लाइसेंस प्रदान किए गए। 31 मार्च 2015 को प्रचालित लाइसेंसों की कुल संख्या 29516 (हॉलमार्किंग) थी।
- वर्ष के दौरान उत्पाद प्रमाणन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित 23 उत्पादों को पहली बार शामिल किया गया। ये उत्पाद इस प्रकार हैं :

1) आईएस 15914 : 2011 – वेल्डित गैस सिलिंडर के निर्माण हेतु उच्च तनन सामर्थ्य सपाट वेल्लित इस्पात की प्लेट (6 मिमि तक की), चद्दर एवं पट्टी – विशिष्टि

2) आईएस 10238 : 2001 – बंधन सामग्री – चूड़ीदार बंधन सामग्री – इस्पात संरचना के लिए स्टेप काबले;

3) आईएस 15961 : 2012 – तप्त निमज्जी एल्यूमिनियम–जिंक मिश्रधातु लेपित इस्पात की पत्ती व चादरें (सादा);

4) आईएस 14203 1999 – अग्नि प्रतिरोधी अभिलेख संरक्षी केबिनेट – विशिष्टि;

5) आईएस 12950 : 1990 – सीसा–अम्ल बैटरी के लिए बैटरी हाइड्रोमीटर पोर्टेबल सिरिंज टाइप

6) आईएस 15962 : 2012 – भवनों एवं संरचनाओं के लिए बेहतर भूकम्पीय प्रतिरोधिता वाले संरचनागत इस्पात;

- Outdoor type Oil immersed distribution transformers upto and including 2500 kva, 33kv – Specification Part 1 Mineral Oil Immersed [Fourth Revision of IS 1180 (part 1)]

- Electric Immersion Water Heaters (Fifth Revision of IS 368)

- Safety of Household and Similar Electrical Appliances: Part 2 Particular requirements, Section 26 Clocks [First Revision of IS 302 (Part 2/Sec 26)]

- Luminaries, Part 1 - General requirements and tests [First Revision of IS 10322 (part 1)]

- Silver Leaf – Specification (Second Revision of IS 3110)
- As on 31 March 2015, the total number of standards in force was 19295. A total of 5249 Indian Standards have been harmonized with the International Standards.
- Govt. of India, has notified 15 more Electronics and IT goods taking the total number of Electronics and IT Goods under the Compulsory Registration Scheme to 30. As on 31 March 2015, total number of registrations granted to manufacturers located throughout the world was 1428.
- 3202 Product Certification licences have been granted during the year. As on 31 March 2015, total number of operative licences (excluding Hallmarking) were 29516.
- During the year, following 23 products were covered for the first time under the product certification scheme. They are namely

i. IS 15914 : 2011 - High Tensile Strength Flat Rolled Steel Plate (up to 6 mm), Sheet and Strip for the Manufacture of Welded Gas Cylinder — Specification;

ii. IS 10238 : 2001 - Fasteners - Threaded Steel Fastener - Step Bolts for Steel Structures;

iii. IS 15961 : 2012 - Hot Dip Aluminium-Zinc Alloy Metallic Coated Steel Strip and Sheet (Plain);

iv. IS 14203 : 1999 - Fire Resisting Record Protection Cabinets – Specification;

v. IS 12950 : 1990 - Battery hydrometer portable syringe type for lead-acid batteries;

vi. IS 15962 : 2012 - Structural Steels for Buildings and Structures with Improved Seismic Resistance;

7) आईएस 990 : 1982 – चम्मचों, स्टेनलेस इस्पात की विशिष्टि;

8) आईएस 12594 : 1988 – कंक्रीट प्रबलन हेतु संरचनागत इस्पात छड़ों पर तप्त निमज्जी जिंक लेपन – विशिष्टि

9) आईएस 16098 : भाग 1 : 2013 – गैर दबाव जल निकासी और सीवरेज के लिए संरचित–दीवार प्लास्टिक पाइपिंग पद्धतियां भाग 1 चिकनी बाहरी सतह के साथ पाइप और फिटिंगें; टाइप ए

10) आईएस 1583 : 1980 – आई प्रोटेक्टर;

11) आईएस 5405 : 1980 – सेनिटरी नेपकिनों की विशिष्टि;

12) आईएस 8952 : 1995 – सामान्य इंजीनियरी प्रयोजनों हेतु मृदु इस्पात तार छड़ों के उत्पादन के लिए इस्पात इंगट, ब्लूम और बिलेट – विशिष्टि

13) आईएस 10245 : भाग 3 : 1999 – श्वसन उपकरण – भाग 3 : ताजी हवा के हौज और संपीडित हवा के श्वसन उपकरण – विशिष्टि

14) आईएस 16098 : भाग 2 : 2013 – गैर दबाव जल निकासी और सीवरेज के लिए संरचित–दीवार प्लास्टिक पाइपिंग पद्धतियां भाग 2 असमतल बाहरी सतह के साथ पाइप और फिटिंगें; टाइप बी

15) आईएस 12492 : 1988 – संपीडित वायु हेतु थर्मोप्लास्टिक हौज (वस्त्रादि प्रबलित) की विशिष्टि

16) आईएस 7904 : 1995 – उच्च कार्बन इस्पात तार छड़ें;

17) आईएस 15073 : भाग 1 : 2002 – विद्युत डिटोनेटरों की पैकेजबंदी – विशिष्टि – भाग 1 : लकड़ी की पेटियां;

18) आईएस 16103 (भाग 2) – सामान्य प्रकाश व्यवस्था के लिए एलईडी मॉडयूल भाग 2 कार्यकारिता अपेक्षाएं;

19) आईएस 16127 : 2003 – कान के पीछे लगाए जाने वाले श्रवण यंत्र;

20) आईएस 16190 : 2014 – कृषि वस्त्रादि – सिंचाई प्रयोजनों के लिए उच्च घनत्व पॉलीइथाईलीन (एचडीपीई) लेमिनेटिड वुवन फ्लैट ट्यूब – विशिष्टि

21) आईएस 737 : 2008 – सामान्य इंजीनियरी प्रयोजनों के लिए पिटवां ऐल्यूमिनियम और ऐल्यूमिनियम मिश्रधातु की चादर और पत्तियां;

22) आईएस 14261 : 1995 – संचरण उपकरण – औद्योगिक प्रयोजनों हेतु वी–बेल्ट–सिरारहित संकीर्ण वी–पट्टे; और

23) आईएस 16176 : 2014 – टेपर पाइप चूड़ियों के लिए रैचेट टाइप थ्रेडर (आर–सीरिज) – विशिष्टि

- विदेशी निर्माता प्रमाणन योजना के अंतर्गत 111 लाइसेंस जारी किए गए जिससे 71 भारतीय मानकों के लिए कुल प्रचालन लाइसेंसों की कुल संख्या 470 हो गई है।
- वर्ष के दौरान स्वर्ण हॉलमार्किंग के 1995 और रजत की हॉलमार्किंग के 176 लाइसेंस प्रदान किए गए। 31 मार्च 2015 तक स्वर्ण एवं रजत हॉलमार्किंग के कुल स्वर्ण एवं रजत के

vii. IS 990 : 1982 - Specification for Spoons, Stainless Steel;

viii. IS 12594 : 1988 - Hot-dip Zinc Coating on Structural Steel Bars for Concrete Reinforcement – Specification;

ix. IS 16098 : Part 1 : 2013 - Structured-Wall Plastics Piping Systems for Non-Pressure Drainage and Sewerage Part 1 Pipes and Fittings with Smooth External Surface, Type A;

x. IS 5983 : 1980 - Eye-protectors;

xi. IS 5405 : 1980 - Specification for Sanitary Napkins;

xii. IS 8952 : 1995 - Steel ingots, Blooms and Billets for Production of Mild Steel Wire Rods for General Engineering Purposes;

xiii. IS 10245 : Part 3 : 1999 - Breathing Apparatus - Part 3 : Fresh Air Hose and Compressed Air Line Breathing Apparatus – Specification;

xiv. IS 16098 : Part 2 : 2013 - Structured-Wall Plastics Piping Systems for Non-Pressure Drainage and Sewerage Part 2 Pipes and Fittings with Non-Smooth External Surface, Type B;

xv. IS 12492 : 1988 - Specification for Thermoplastics Hoses (Textile Reinforced) for Compressed Air;

xvi. IS 7904 : 1995 - High Carbon Steel Wire Rods;

xvii. IS 15073 : Part 1 : 2002 - Packaging of Electric Detonators - Specification - Part 1 : Wooden Cases;

xviii. IS 16103 (Part 2): 2013 - LED Modules for General Lighting Part 2 Performance Requirements;

xix. IS 16127:2003 - Behind the Ear (BTE) Hearing Aids;

xx. IS 16190: 2014 - AgroTextiles-HDPE Laminated Woven Flat Tube for Irrigation purposes;

xxi. IS 737: 2008 - Wrought Aluminium and Aluminium Alloy Sheet and Strip for General Engineering Purposes;

xxii. IS 14261 : 1995 - Transmission Devices - V-belts - Endless Narrow V-belts for Industrial Use; and

xxiii. IS 16176: 2014 - Ratchet Pipe Threader for Taper Pipe Threads (R- Series) – Specification

- 111 licenses were issued under the Foreign Manufacturers Certification Scheme, taking the total number of operative licences to 470 against 71 Indian Standards.
- 1995 Gold hallmarking licences and 176 Silver hallmarking licences were granted during the year. As on 31 March 2015, the number of operative licences

लाइसेंसों की संख्या क्रमशः 13112 और 936 थी। जबकि भामाब्यूरो मान्यता प्राप्त एसेयिंग और हॉलमार्किंग केन्द्रों की संख्या 331 थी।

- वर्ष के दौरान 53 गुणता प्रबंधन पद्धति लाइसेंस, 27 पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस, 13 व्यावसायिक स्थलों पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लाइसेंस, 01 खाद्य एवं सुरक्षा प्रबंधन पद्धति प्रमाणन लाइसेंस, 17 सेवा गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन के लाइसेंस और 06 ऊर्जा प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस प्रदान किए गए। 31 मार्च 2015 तक कुल प्रचालित लाइसेंसों की संख्या 1295 थी।
- भा मा ब्यूरो प्रयोगशाला ने 14966 नमूनों का परीक्षण किया। चैन्नई में स्वर्ण रेफरल एसेयिंग प्रयोगशाला ने 1174 परीक्षण रिपोर्टें जारी कीं। भामाब्यूरो ने मार्च 2015 तक 143 बाहरी प्रयोगशालाओं को मान्यता दी।
- भामाब्यूरो पंजीकरण योजना की सहायता के लिए इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी वस्तु (अनिवार्य प्रमाणन की अपेक्षाएं) आदेश 2012 के अंतर्गत आने वाली सूचना प्रौद्योगिकी की वस्तुओं के परीक्षण के लिए 18 बाहरी प्रयोगशालाओं को मान्यता दी गई।
- वर्ष के दौरान 292 उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम, 113 औद्योगिक जागरूकता कार्यक्रम, और मानकों के शैक्षिक उपयोग के लिए 62 कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवधि में 96 शिकायतें मिलीं और 80 शिकायतों का निपटान किया गया।
- भामाब्यूरो मानक मुहर का दुरूपयोग करने वाली कम्पनियों के विरूद्ध पूरे भारत में 67 प्रवर्तन छापे मारे गए। 18 मामले अदालत में दायर किए गए और सभी का निर्णय भामाब्यूरो के हक में हुआ।
- वर्ष के दौरान राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान ने प्रबंध पद्धति प्रमाणन पर 11वें अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, मानकीकरण एवं गुणता आश्वासन पर 47वें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा प्रयोगशाला गुणता प्रबंध पद्धति पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों में 33 विभिन्न देशों के 77 भागीदारों ने हिस्सा लिया।
- भामाब्यूरो ने वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय उद्योग परिसंघ की सहभागिता से 16–17 अप्रैल 2014 को नई दिल्ली में 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मानकों की भूमिका : चुनौतियां, अवसर एवं मुद्दे' पर एक मानक सम्मेलन का आयोजन किया।

for Hallmarking of gold and silver jewellery was 13112 and 936 respectively. The number of BIS recognized assaying and hallmarking centres was 331.

- 53 Quality Management System Certification licences, 27 Environmental Management Systems Certification licences, 13 Occupational Health and Safety Management Systems Certification licences, 01 Food Safety Management System Certification licence, 17 Service Quality Management System Certification licences and 06 Energy Management System Certification licences were granted during the year. As on 31 March 2015, the total number of operative licences was 1295.
- 14966 samples were tested by BIS Laboratories. Gold Referral Assaying Laboratory at Chennai issued 1174 test reports. As on March 2015, 143 outside labs stood recognised by BIS.
- To support the BIS Registration Scheme, 18 outside labs were recognized for testing of IT products, which were covered under Electronics and Information Technology Goods (Requirement for Compulsory Registration) Order, 2012.
- During the year, 292 consumer awareness programs, 113 Industry awareness programs and 62 programs for educational utilization of standards were organized. 96 grievances/complaints were received and 80 grievances/complaints were redressed.
- During the year, 67 enforcement raids were carried out all over India on the firms misusing the BIS Standard Mark. 18 cases were filed in court and all were decided in favour of BIS.
- The 11th International Training Programme on Management Systems, the 47th International Training Programme on Standardization and Quality Assurance and the 05th International Training Programme on Laboratory Quality Management System were organised by National Institute of Training for Standardization (NITS) during the year, which were attended by 77 participants from 33 different countries.
- BIS in partnership with Department of Commerce, Govt. of India, and Confederation of Indian Industry (CII) organized a Standards Conclave on 'Role of Standards in International Trade: Challenges, Opportunities & Issues' on April 16-17, 2014 at New Delhi.

- भारतीय मानक ब्यूरो एवं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और जिसका प्रतिनिधित्व 29 अक्तूबर 2014 को स्टैन्डर्डस एंड मीट्रोलॉजी, ओमान के महानिदेशक ने किया।
- भामाब्यूरो ने 21 जनवरी 2015 को इंस्टीट्यूट ऑफ इलैक्ट्रिकल एण्ड इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, अमेरिका के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- बारहवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भामाब्यूरो ने केन्द्र से प्रायोजित दो योजनाओं को कार्यान्वित किया। पहली योजना 'राष्ट्रीय मानकीकरण पद्धति' और दूसरी 'स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्किंग' की थी।
- भामाब्यूरो की हरित पहल के अंग के रूप में भामाब्यूरो मुख्यालय, नई दिल्ली की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 100 किलोवाट का रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया।
- अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) की स्थापना के उपलक्ष्य में 14 अक्तूबर 2014 को विश्व मानक दिवस मनाया गया। इस वर्ष के विश्व मानक दिवस का विषय था 'मानक सभी को प्रतिस्पर्धा का सामान अवसर देते हैं।'
- भामाब्यूरो के मुख्यालय और उसके सभी क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों में 27 अक्तूबर 2014 से 01 नवम्बर 2014 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।
- भामाब्यूरो के मुख्यालय और उसके सभी क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों में 01 सितम्बर 2014 से 15 सितम्बर 2014 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया, जिसके दौरान हिंदी की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।
- वर्ष के दौरान सीधी भर्ती द्वारा वैज्ञानिक–बी के पद के लिए 67 वैज्ञानिक नियुक्त किए गए। भामाब्यूरो में कुल 1532 कर्मचारी हैं।
- भारतीय मानक ब्यूरो ने वर्ष के दौरान सर्वांगीण प्रगति की गति बनाए रखी। ब्यूरो ने कुल रू. 34542.86 लाख की कुल आय (निवेश पर ब्याज निकाल कर) अर्जित की और पिछले वर्ष की आय रू. 31443.12 लाख की तुलना में आय में 9.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ब्यूरो लगातार छब्बीसवें वर्ष भी अपने व्यय तथा अन्य देयताओं को पूरा करने में आत्मनिर्भर रहा।

महानिदेशक

ई–मेल : dg@bis.org.in
वेबसाइट : www.bis.org.in

- A Memorandum of Understanding (MoU) was signed between Bureau of Indian Standards and The Ministry of Commerce and Industry represented by the Directorate General for Standards and Metrology (DGSM), Sultanate of Oman on 29 October 2014.
- BIS signed a MoU with the Institute of Electrical and Electronics Engineers, US on 21 January 2015.
- Under the XIIth Five year plan, BIS implemented two Centrally Sponsored Schemes, one 'on National System for Standardiation" and the other on 'Hallmarking of Gold Jewellery'.
- As part of the Green Initiative of BIS, a Rooftop Solar Power Plant of 100 KW had been commissioned for supplementing the energy requirements of BIS Headquarters at New Delhi.
- World Standards Day was celebrated on 14 October 2014 to commemorate the establishment of the International Organization for Standardization (ISO). The theme of this year World Standards Day was 'Standards level the playing field'.
- Vigilance Awareness Week was observed in BIS at its headquarters and in all the regional and branch offices from 27 October 2014 to 01 November 2014.
- Hindi Pakhwada was celebrated in BIS at its headquarters and in all the regional and branch offices from 1st September 2014 to 15th September 2014, during which different competitions in Hindi were organized.
- During the year, 67 scientists were recruited for the post of Scientist-B by direct recruitment. As on 31 March 2015, a total of 1532 employees were on the rolls of BIS.
- Bureau of Indian Standards maintained all round progress during the year. It recorded a total income (excluding interest from investment) of Rs.34542.86 lakhs, a growth of 9.86% over the income during the previous year which was Rs.31443.12 lakhs. For the twenty sixth consecutive year, BIS continued to be self reliant in meeting its expenditure and other liabilities.

Director General

e-mail : dg@bis.org.in
Website : www.bis.org.in

मानकीकरण

मानक निर्धारण

गुणता के लक्ष्य मानकीकरण से निर्धारित होते हैं। मानकों के निर्धारण द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो सुरक्षा, विश्वसनीयता, गुणता वाले उत्पाद देता है, उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को होने वाले खतरे से बचाता है, निर्यात और आयात के स्थानापन्न को बढ़ावा देता है, किस्मों इत्यादि के प्रसार की प्रचुरता को नियंत्रित करता है।

भामाब्यूरो का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि उद्योगों तथा उपभोक्ताओं को समयबद्ध तरीके से उपयुक्त भारतीय मानक उपलब्ध कराए जाएं। ऐसे मानकों के निर्धारण हेतु भामाब्यूरो संबंधित विभागीय परिषदों के अंतर्गत विषय विशेष के लिए बनी विषय समितियों, उपसमितियों और पैनल के लिए बनी तकनीकी समितियों के माध्यम से कार्य करता है। इन तकनीकी समितियों में संगठित उपभोक्ता, उपभोक्ता निकाय, नियामक व अन्य सरकारी निकाय, उद्योग, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीविद्, परीक्षण संगठन और विशेषज्ञों जैसे विभिन्न संबंधित प्रतिनिधि रहते हैं। इन समितियों में भामाब्यूरो के संबद्ध अधिकारी भी होते हैं।

भामाब्यूरो की उपयुक्त विषय समिति मानक निर्धारण के लिए विषय, प्रस्तावों के आधार पर लेती है। यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार के किसी मंत्रालय, राज्य सरकारों, केन्द्र शासित प्रशासकों, उपभोक्ता संगठनों, औद्योगिक इकाइयों, औद्योगिक संगठनों, व्यावसायिक संगठनों, ब्यूरो के सदस्यों और उसकी तकनीकी समितियों के सदस्यों द्वारा संबंधित विभागीय परिषद् के अनुमोदन से दिया जा सकता है।

मानक मसौदों एवं संबंधित तकनीकी प्रलेखों पर विस्तार से विचार करने के लिए 2014–2015 के दौरान तकनीकी समितियों की कुल 615 बैठकें हुई। भामाब्यूरो की यह नीति रहती है कि वह उभरती प्रौद्योगिकियों पर मानक बनाता है और अप्रचलित मानकों को वापिस लेता है।

वर्ष के दौरान 746 मानक (407 नए और 339 संशोधित) मानकों का निर्धारण किया गया। 31 मार्च 2015 को कुल 19295 मानक लागू थे।

मानकों की समीक्षा

यथा आवश्यक होने पर भारतीय मानकों की समीक्षा की जाती है, लेकिन पांच वर्ष में कम से कम एक बार यह निश्चित किया जाता है कि ये मानक अभी भी प्रासंगिक हैं और इन्हें पुनर्पुष्ट, पुनरीक्षण,

STANDARDIZATION

STANDARDS-FORMULATION

The goals of quality are set by standardization. Through formulation of standards, the Bureau of Indian Standards aims at providing safe, reliable, quality goods; minimizing health hazards to consumers; promote exports and imports substitute; control over proliferation of varieties etc.

Providing the need-based globally relevant Indian standards in a time-bound manner to the industries and consumers has always been the endeavour of BIS. For formulation of such Indian Standards, BIS functions through the Technical Committee structure in terms of Sectional Committees, Subcommittees and Panels set up for dealing with specific group of subjects under their respective Division Councils. These Technical Committees include representatives of various stakeholders such as organized consumers, consumer bodies, regulatory and other government bodies, industries, scientists, technologists, testing organizations and individual experts. It also includes concerned officials of BIS.

The appropriate Sectional Committee of BIS takes up a subject for formulation of Indian Standard(s) based on proposals which may be submitted by any Ministry of the Central Government, State Governments, Union Territory Administrations, Consumer Organizations, Industrial Units, Industry Associations, Professional Bodies, Members of the Bureau and Members of its Technical Committees with the approval of the concerned Division Council.

A total of 615 Technical committee meetings were held during 2014-2015 to consider draft standards and related technical documents in detail. It is the policy of BIS to formulate Indian Standards on emerging technologies and to withdraw obsolete standards.

During the year, 746 (407 new and 339 revised) standards were formulated. As on 31 march 2015, the total number of standards in force was 19295.

REVIEW OF STANDARDS

Indian Standards are reviewed as and when considered necessary, but at least once in five years to establish whether these standards are still relevant

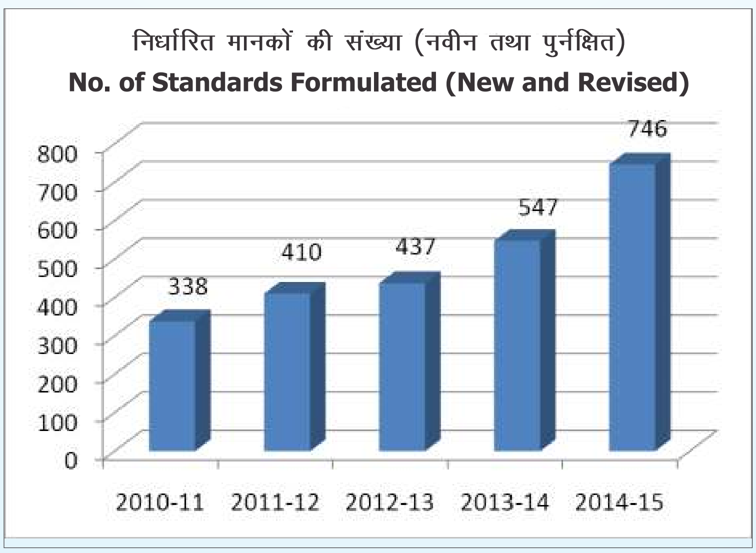

संशोधन जारी करने, अप्रचलित घोषित करने अथवा वापिस लेने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की जाती है। वर्ष के दौरान 3228 मानकों की समीक्षा की गई।

सुमेलन

बाजार के वर्तमान परिदृश्य में भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चुनौती का सामना कर रहा है। विश्व बाज़ार में बने रहने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि भारतीय मानकों को यथासंभव अतंर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) तथा अंतर्राष्ट्रीय विद्युत–तकनीकी आयोग (आईईसी) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाए। इसके अतिरिक्त, तकनीकी व्यापार बाधाओं पर विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) करार पर भारत के हस्ताक्षर हैं। करार के अनुसार डब्लूटीओ के सदस्य देशों के लिए अपने राष्ट्रीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समनुरूप करना आवश्यक है। तथापि, देश के स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा भ्रामक रीतियों से संबंधित विशेष हितों को राष्ट्रीय मानक बनाते समय ध्यान में रखा जा सकता है। लेकिन जहां कहीं भी मानकों को विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक, आधार रूप में विद्यमान होते हैं वहां भामाब्यूरो उन पर विचार करता है। वर्ष के दौरान 152 भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप किया गया। अब तब 5249 भारतीय मानकों को विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय मानकों से सुमेलित किया जा चुका है।

वर्ष 2014–15 के दौरान निर्धारित महत्वपूर्ण मानक

1. कृषि वस्त्रादि – बागवानी में प्रयोग हेतु बुने हुए ग्राउंड कवर – विशिष्टि, आईएस 16202 : 2014

इस मानक में बागवानी में उपयोग हेतु पराबैंगनी स्थायीकृत पॉलीप्रॉपलीन टेप धागे से निर्मित 100जीएसएम के बुने हुए ग्राउंड कवर की संरचनागत एवं अन्य अपेक्षाएं दी गई हैं।

2. चिकित्सकीय वस्त्रादि – आर्थोपीडिक स्टॉकनेट – विशिष्टि, आईएस 16302 : 2014

इस मानक में चिकित्सा प्रयोग हेतु वांछित आर्थोपीडिक स्टॉकनेट की कार्यकारिता अपेक्षाएं निर्दिष्ट की गई हैं। इस मानक में इनकी प्रति वर्ग मीटर भार, विपरीत दिशा में खिंचाव, तनन परत में पुनः प्राप्ति, टूटन सामर्थ्य एवं दीर्घीकरण जैसी महत्त्वपूर्ण गुणता अपेक्षाएं निर्दिष्ट की गई हैं।

3. चिकित्सकीय वस्त्रादि – चेहरे के सर्जिकल नकाब – विशिष्टि, आईएस 16289 : 2014

इस मानक में ऑपरेशन थियेटर और अन्य स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के दौरान स्टाफ से रोगियों और विलोमतः फैलने वाले रोगजनक अभिकर्मकों को सीमित करने वाले चेहरे के सर्जिकल नकाबों की कार्यकारिता अपेक्षाएं और परीक्षण पद्धतियां निर्दिष्ट की गई हैं। यह मानक विशेष तौर पर स्टाफ की वैयक्तिक सुरक्षा के लिए प्रयुक्त नकाबों के लिए अभीष्ट नहीं हैं।

and to take appropriate action for reaffirmation, revision, issuing amendments, declare obsolescence or withdrawal. During the year, 3228 standards were reviewed.

HARMONIZATION

In the present market scenario, India is facing the challenge of global competition. To sustain in the global markets it is important to harmonize Indian Standards, as far as possible, with International Standards formulated by International Organization for Standardization (ISO) and the International Electro-technical Commission (IEC). Further, India is a signatory to the WTO Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT). As per the Agreement, member countries of WTO are required to align their National Standards with International Standards. However, country specific concerns on health, safety, environment, national security and prevention of deceptive practices can be considered while formulating National Standards. BIS considers International Standards, wherever they exist as a basis for Standards development. During the year, 152 Indian Standards were harmonized with International Standards. A total of 5249 Indian Standards have so far been harmonized with International Standards, wherever they exist.

IMPORTANT STANDARDS FORMULATED DURING 2014-15:

1. Agro Textiles-Woven Ground Covers for Horticulture Application—Specification, IS 16202:2014

This standard prescribes constructional and other requirements for 100 gsm woven ground covers made from Ultra-violet (UV) stabilised polypropylene tape yarns for applications in horticulture.

2. Medical Textiles - Orthopaedic Stockinet — Specification, IS 16302:2014

This standard specifies performance requirements for orthopaedic stockinet intended for medical use. The important quality requirements specified in the standard are weight per square meter, stretch in cross direction, regain in stretched layer in cross direction, breaking strength and elongation.

3. Medical Textiles - Surgical Face Masks — Specification, IS 16289:2014

This standard specifies the performance requirements and test methods of surgical face masks intended to limit the transmission of infective agents from staff to patients and vice-versa during surgical procedures in operation theatres and other healthcare services. This standard is not applicable to masks intended exclusively for the personal protection of staff.

4. संमिश्र सीमेंट की विशिष्टि

संमिश्र सीमेंट पर इस नए मानक में सीमेंट में फ्लाईएश व स्लैग जैसे विभिन्न औद्योगिक अपशिष्टों के संयोजन के उपयोग की संभावनाएं दी गई हैं।

5. परियोजना प्रबंधन के दिशा–निर्देश : परियोजना निर्धारण व मूल्यांकन

प्रभावी निर्माण परियोजना प्रबंधन पर आवश्यक मार्गदर्शन देने के लिए मानकों की श्रृंखला विकसित की गई है। यह श्रृंखला आईएस 15883 'निर्माण परियोजना प्रबंधन के दिशा–निर्देश' का हिस्सा है। यह मानक देश में उपयुक्त परियोजना निर्धारण तथा निर्माण परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए दिशा–निर्देश प्रदान कर उपरोक्त के पूरक के रूप में बनाया गया है।

6. लोगों को आग से होने वाले खतरे के आंकलन के लिए दिशा–निर्देश

इस मानक में लोगों को आग से खतरे के आंकलन के सामान्य दिशा–निर्देश के साथ आग से जोखिम एवं जोखिम आंकलन में प्रयुक्त बहिस्रावी सामर्थ्य पर मात्रात्मक जानकारी विकसित करने तथा जलने वाले सामान व सामग्री से अग्नि बहिस्राविता के जहरीले प्रभाव का आंकलन करने के लिए सामान्य दिशा–निर्देश दिए गए हैं।

7. अबाधित पॉवर प्रणाली (यूपीएस) : भाग 1 यूपीएस, आईएस 16242 (भाग 1) : 2014/आईईसी 62040–1 (2008)

यह मानक डी.सी. लिंक में विद्युत ऊर्जा भंडारण उपस्कर से अबाधित पॉवर प्रणाली (यूपीएस) के लिए है। इस मानक में निम्न वोल्टेज वितरण पद्धति में प्रयुक्त किए जाने वाले और चालक की पहुंच अथवा सीमित पहुंच वाले स्थानों पर यथा अनुप्रयोग के क्षेत्रों में लगाए जा सकने वाले चल, स्थिर, या स्थायी अथवा भीतरी यूपीएस की अपेक्षाएं निर्दिष्ट की गई हैं। इसमें उपस्कर के संपर्क में आने वाले चालक अथवा आम व्यक्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की अपेक्षाएं भी दी गई हैं।

8. स्मार्ट ग्रिड पर मानक

पॉवर क्षेत्र के लिए स्मार्ट ग्रिड पर निम्नलिखित 5 मानक तैयार किए गए :

1) पॉवर पद्धति संचार में प्रचालनीयता, आईएस 16334

2) पॉवर नियंत्रण पद्धति के लिए सुरक्षा अपेक्षाएं, आईएस 16335

3) विद्युत उपयोगिता के संदर्भ में जानकारी आदान–प्रदान करने के लिए सामान्य सूचना मॉडल भाग 1 सहचर विशिष्टि, आईएस 16336 (भाग 1)

4) विद्युत उपयोगिता के संदर्भ में जानकारी का आदान–प्रदान करने के लिए सामान्य सूचना मॉडल भाग 2 एबीटी आधारित विनियमित मार्किट और लोड शैडिंग और तंत्र पुनर्स्थापन के लिए सीआईएम एक्सटेंशन, आईएस 16336 (भाग 2)

4. Specification for Composite Cement

This new specification on composite cement provides scope for utilizing a combination of different industrial wastes in cement like fly ash and slag. This will be useful for effecting performance enhancement of concrete while helping in environmental protection.

5. Guidelines for Construction Project Management: Project Formulation and Appraisal

To provide necessary guidance on effective construction project management, a series of standards are being developed as part of IS 15883 'Guidelines for construction project management'. This standard aims to supplement the above by providing guidelines for proper project formulation and appraisal of construction projects in the country.

6. Guidelines for Assessing the Fire Threat to People (Adoption of ISO 19706:2011)

This Standard provides general guidelines for estimating the fire threat to people and to the development of quantitative information on effluent potency for use in fire hazard and risk assessment and for the determination of the toxic potency of the fire effluent from burning products and materials.

7. Uninterruptible Power Systems (UPS) : Part 1 General and Safety requirements for UPS, IS 16242(Part 1): 2014/ IEC 62040-1 (2008)

This standard applies to Uninterruptible Power Systems (UPS) with an electrical energy storage device in the D.C. link. It specifies the requirements of the UPS which are movable, stationary, fixed or for building-in, for use in low-voltage distribution systems and intended to be installed in any operator accessible area or in restricted access locations as applicable. It also specifies requirements to ensure safety for the operator and layman who may come into contact with equipment.

8. Standards on Smart Grid

The following 5 standards on Smart grid were developed for the power sector:

I) Interoperability in power system communications – guidelines, IS 16334

ii) Security requirements for power control systems, IS 16335

iii) Common information model (CIM) for information exchange in the context of electrical utilities Part 1 companion specification, IS 16336 (Part 1)

iv) Common information model (CIM) for information exchange in the context of electrical utilities Part 2 CIM extensions for ABT based regulated markets and load shedding and restoration mechanism, IS 16336 (Part 2)

5) विद्युत उपयोगिता के संदर्भ में जानकारी का आदान–प्रदान करने के लिए सामान्य सूचना मॉडल भाग 3 प्रणालीगत प्रचालन के लिए अनुप्रयोग उपयोग मामले, आईएस 16336 (भाग 3)

9. समेकित डिजीटल टेलीविजन (आईडीटीवी)

यह मानक एचडी रिसेप्शन सहित टीवी रिसीवर की अद्यतन प्रौद्योगिकी देने के लिए बनाया गया है। इसमें स्थलीय, सेटेलाइट और केबल ट्यूनर वाली वर्तमान प्रौद्योगिकी की अपेक्षाएं भी दी गई हैं। इस मानक में डिजिटल स्थलीय और वैकल्पिक सेटेलाइट और/अथवा केबल टेलीविजन सिग्नलों को रिसेप्शन के लिए उच्च डेफीनेशन/समेकित डिजिटल टेलीविजन (आईडीटीवी) रिसीवर हेतु एचडी ओपन मानक आधारित बेसलाइन प्रोफाइल दिया गया है। यह प्रोफाइल प्रमुखतः डिजीटल वीडियो प्रसारण (डीवीबी) मानकों पर आधारित है।

10. परिवहनीय गैस सिलिंडर कैस्केड – डिजाइन, निर्माण, पहचान और परीक्षण

इस मानक में परिवहनीय पुनः भरे जाने वाले, जोड़रहित इस्पात के सिलिंडर कैस्केड के डिजाइन, निर्माण, निरीक्षण और परीक्षण की अपेक्षाएं निर्दिष्ट की गई हैं। ये सिलिंडर कंपन, भार अथवा फेंकनें अथवा लुढ़काने जैसे अव्यवस्थित रख–रखाव में प्रहस्तन के दौरान सुरक्षित रहे।

11. पहियेदार उच्च गति की रबड़ पट्टी वाली मिट्टी उठाने वाली मशीनों तथा निर्माण उपस्कर वाहनों की कार्यकारिता अपेक्षाएं अथवा ब्रेकिंग प्रणाली की परीक्षण पद्धतियां

इस मानक में सर्विस ब्रेक प्रणाली, गौण ब्रेकिंग प्रणाली और पार्किंग ब्रेक प्रणाली की अपेक्षाएं व सामान्य अपेक्षाएं दी गई हैं। इसमें द्रवस्थैतिक ब्रेकिंग प्रणालियों, संयुक्त ब्रेक प्रणालियों तथा स्टीयर कार्यकारिता, भंडारित ऊर्जा स्रोतों की कार्यकारिता व चेतावनी उपकरणों, इलैक्ट्रॉनिक मशीन नियंत्रण प्रणाली वाली ब्रेकिंग प्रणाली, परीक्षण स्थितियां और कार्यकारिता परीक्षण की अतिरिक्त अपेक्षाएं दी गई हैं।

12. मिट्टी उठाने वाली मशीनरी–रबड़ टायर वाली मशीनें–स्टीयरिंग की अपेक्षाएं

इस मानक में स्टीयरिंग प्रणाली और आपात्कालीन स्टियरिंग प्रणाली की सामान्य अपेक्षाएं व अपेक्षाएं दी गई हैं। यह उन मशीनों पर लागू होता है जिनमें या तो मैन्युअल स्टीयरिंग, पॉवर संचालित स्टीयरिंग अथवा पूर्णतः पॉवर स्टीयरिंग प्रणालियां होती हैं। यह मानक रोलरों, कम्पेक्टरों, पाइप सतहों तथा उन ट्रैक उपस्करों के लिए नहीं हैं, जिनमें रबड़ के टायर नहीं होते हैं।

13. पर्यावरण अनुकूल खनन कार्यों की प्रबंध पद्धति

इस मानक में पर्यावरण अनुकूल कोयला रहित खनन कार्यो की प्रबंध पद्धति का संस्थापन, कार्यान्वयन, रख–रखाव और सुधार की

v) Common information model (CIM) for information exchange in the context of electrical utilities Part 3 application use cases for system operation, IS 16336 (Part 3)

9. Integrated Digital Television (IDTV)

This standard intends to provide updated technology on TV receiver including HD reception. It also specifies the requirement of present day technology involved with terrestrial, satellite and cable tuners. This standard describes a baseline profile, based on open standards for a High Definition (HD) Integrated Digital Television (iDTV) receiver for the reception of digital terrestrial and optionally satellite and/or cable television signals. This profile is based predominantly on Digital Video Broadcasting (DVB) standards.

10. Transportable gas cylinders Cascade — Design, manufacture, identification and testing

This Standard specifies the requirements for the design, manufacture, inspection and testing of a transportable refillable seamless steel cylinder cascade subjected to the vibration, loads or handling withstanding rough handling including being dropped or toppled.

11. Performance requirements and test procedures of braking systems for wheeled high speed rubber tracked earth moving machines and construction equipment vehicles

This standard addresses the general requirements, requirement of a service brake system, secondary brake system and a parking brake system. Additional requirements have also been specified for hydrostatic braking systems, systems with combined brake and steer function, performance and warning devices for stored energy sources, braking systems with electronic machine control systems, test conditions and performance tests

12. Earth moving machinery-rubber tyre machines-steering requirements

This standard addresses the general requirements, requirement of a Steering system, Emergency Steering system. It is applicable to machines equipped with either manual steering, power- assisted steering or fully powered steering systems. It is not applicable to rollers, Compactors, Pipe layers and track equipment's which does not include rubber-tyres.

13. Management System for Eco-friendly Mining Operations

This Standards prescribes the requirements for the establishment, implementation, maintenance and improvement

अपेक्षाएं दी गई हैं। इस मानक में दी गई अपेक्षाएं ऐसे सभी संगठनों के लिए हैं जो कोयले को छोड़कर अन्य खनन कार्य करते हैं, फिर चाहे उनका आकार, टाइप, स्थान अथवा परिपक्वता स्तर कुछ भी हो।

2014–15 के दौरान संशोधित महत्वपूर्ण मानक :

1. भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 (एनबीसी 2005) (एसपी 7 : 2005) : भाग 11 संवहनीयता के प्रति दृष्टिकोण (एनबीसी 2005 का संशोधन सं.1)

एनबीसी 2005 के संशोधन में संवहनीय भवनों से संबंधित एक नया अध्याय (नया भाग 11) जोड़ा गया है।

2. संरचनाओं के भूकम्प रोधी डिजाइन के मानदंड : भाग 4 स्टैक जैसी संरचनाओं सहित औद्योगिक संरचनाएं (आईएस 1893 (भाग 4) का प्रथम पुनरीक्षण)

इस पुनरीक्षण में औद्योगिक एवं स्टैक जैसी संरचनाओं के डिजाइन के लिए भूकम्प रोधी डिजाइन की क्रियाविधि और भूकम्प बल के आंकलन को संशोधित किया गया है। ये संशोधन भारत में हाल ही में आए भूकम्पों के भूकम्पीय अध्ययन पर आधारित जानकारी और विकास के आधार पर किए गए हैं।

3. भूकम्पीय बल के प्रभाव के अंतर्गत प्रबलित कंक्रीट संरचनाओं के तन्य विस्तार की रीति संहिता (आईएस 13920 का प्रथम पुनरीक्षण)

यह पुनरीक्षण नवीनतम विकास के अनुसार मानक को अद्यतन करने के लिए किया गया है जिसमें कॉलम से बीम के सामर्थ्य के अनुपात पर नए प्रावधानों (बीम–कॉलम के जोड़ों के अपरूपण डिजाइन) और सुगठित आरसी संरचनागत दीवारों के बेहतर डिजाइन को शामिल किया गया है। मानक में भूकम्प रोधी संरचनाओं के लिए बीम, कॉलम, गठित दीवारों और तल स्लैब जैसे संरचनागत घटकों में पर्याप्त इस्पात लगाकर पर्याप्त तन्यता को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान दिए गए हैं।

4. सीमेंट पर मानक

सीमेंट के लिए उत्पाद मानकों को अद्यतन करने के लिए इस क्षेत्र में हुए नवीनतम विकास के आधार पर सीमेंट पर निम्नलिखित मानकों, जो भामाब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत है, का पुनरीक्षण किया गया है।

1) साधारण पोर्टलैंड सीमेंट की विशिष्टि (आईएस 269 का छठा पुनरीक्षण)

2) पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट की विशिष्टि (आईएस 455 का पांचवा पुनरीक्षण)

3) पोर्टलैंड पौजालोना सीमेंट की विशिि ट : फ्लाई ऐश से बनी (आईएस 1489 (भाग 1) का चौथा पुनरीक्षण),

4) पोर्टलैंड पौजालोना सीमेंट की विशिष्टि : केल्सीनेट मृदा से बनी (आईएस 1489 (भाग 2) का चौथा पुनरीक्षण),

of eco- friendly non coal mining operations management system. The requirements given in this Standard are applicable to any organization engaged in the field of non-coal mining operations, regardless of its size, type, location or level of maturity.

IMPORTANT STANDARDS REVISED DURING 2014-15:

1. National Building Code of India 2005 (NBC 2005) (SP 7:2005): Part 11 Approach to sustainability (Amendment No.1 to NBC 2005)

This Amendment to NBC 2005 introduces a new chapter (new Part 11) relating to sustainable buildings.

2. Criteria for earthquake resistant design of structures: Part 4 Industrial structures including stack-like structure {First Revision of IS 1893 (Part 4)}

In this revision, procedures for earthquake resistant design and estimation of earthquake forces for design of industrial and stack-like structures have been modified. The modifications are based on the knowledge and developments based on the seismic studies of earthquakes in the recent past in India.

3. Code of Practice for Ductile Detailing of Reinforced Concrete Structures Subjected to Seismic Forces (First Revision of IS 13920)

This revision has been done to keep the standard updated with latest developments including new provisions on Column-to-beam strength ratio; Shear design of beam-column joints; and improved design of slender RC structural walls. The standard covers provisions for ensuring enough ductility by providing adequate steel in the structural elements such as beams, columns, shear walls and floor slabs for earthquake resistance of structures.

4. Standards on Cements

The following Indian Standards on Cements were revised based on latest developments in the field to update the product standards for Cement, which are under mandatory BIS certification:

i) Specification for ordinary Portland cement (sixth revision of IS 269)

ii) Specification for Portland slag cement (fifth revision of IS 455)

iii) Specification for Portland pozzolana cement : Fly ash based [fourth revision of IS 1489 (Part 1)]

iv) Specification for Portland pozzolana cement : Calcined clay based [fourth revision of IS 1489(Part 2)]

5) सफेद पोर्टलैंड सीमेंट की विशिष्टि (आईएस 8042 का तीसरा पुनरीक्षण)

5. प्रबलित कंक्रीट चिमनियों के डिजाइन–मानदंड (आईएस 4998 का तीसरा पुनरीक्षण)

इस मानक का पुनरीक्षण प्रबलित कंक्रीट की गोल चिमनियों के डिजाइन मानदंड पर है। इस पुनरीक्षण में प्रमुख रूप से हवा के आर–पार भार की गणना करने की सरलीकृत पद्धति; दोलन को दबाने या कम करने के लिए वायुगतिकीय उपायों; वायु प्रेरित व्यतिकरण प्रभावों के लिए आवर्धन घटकों; स्टेट डिजाइन को सीमित करने की पद्धतियों को सरल किया गया है।

6. दाबित सिरेमिक टाइलें – (आईएस 15622 को प्रथम पुनरीक्षण)

यह मानक फर्श और दीवारों पर इस्तेमाल होने वाली उच्च गुणता की दाबित चमकदार व चमक रहित सिरेमिक टाइलों के लिए है। इस मानक के पुनरीक्षण में दाबित सिरेमिक टाइलों के साइज़, आयामीय छूटें, सतह गुणता, यांत्रिक, भौतिक और रासायनिक अपेक्षाएं तथा चिन्हांकन को निर्दिष्ट किया गया है और इसे इस विषय पर अंतराष्ट्रीय मानक के अनुरूप किया गया है।

7. स्कूटर एवं मोटरसाइकिल चालकों के लिए सुरक्षा हैल्मेट (आईएस 4151 का चौथा पुनरीक्षण)

यह पुनरीक्षण विगत काल के अनुभव के आधार पर तथा यूरोपीय विनियमों एवं स्वचल उद्योग मानक {एआईएस–058 (भाग 1)} जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए नवीनतम विकास से अनुरूपता के लिए किया गया है और इसे ईसीई–आर–22, अगस्त 2001 के समनुरूप किया गया है।

8. 2500 केवीए, 33 केवी तक और के बाहरी प्रकार के तेल निमज्जित वितरण ट्रांसफार्मर – विशिष्टि भाग 1 मिनरल तेल निमज्जित {आईएस 1180 (भाग 1) का चौथा पुनरीक्षण}

अंतिम उपभोक्ता तक बिजली के वितरण में वितरण ट्रांसफार्मर प्रमुख आधारस्तंभ हैं। इस प्रकार के ट्रांसफार्मरों की बड़ी संख्या में पूर्ति करने के लिए इस मानक को संशोधित किया गया है। इस संशोधन में विभिन्न लोडिंग पर अधिकतम क्षति की अपेक्षाओं को निर्दि ट किया गया है। वर्तमान मानक में 2500 केवीए तक के और एकल फेज सहित सीलरहित एव सील वाले ट्रांसफार्मर शामिल हैं।

9. बिजली के निमज्जय वाटर हीटर (आईएस 368का 5वां पुनरीक्षण)

इस मानक का पुनरीक्षण इसके संगत सुरक्षा मानक, आईएस 302–2–201: 2007, जो अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत है, के साथ इसे एकरूप करने के लिए किया गया था । इसमें पानी के गर्म करने के उद्देश्य से वांछित नम्य कोर्ड और कनैक्टर सहित, एसी एकल फेज अथवा डीसी सुवाह्य बिजली के निमज्जय वाटर हीटर की सामान्य सुरक्षा और कार्यकारिता अपेक्षाएं शामिल हैं ।

v) Specification for white Portland cement (third revision of IS 8042)

5. Design of Reinforced Concrete Chimneys - Criteria (Third Revision of IS 4998)

The revision of the standard is on design criteria for reinforced concrete circular chimneys. Some of the key issues addressed are simplified method for calculation of across-wind loads; aerodynamic remedial measures to suppress or alleviate oscillations; magnification factors for wind induced interference effects; limit state design.

6. Specification for Pressed Ceramic Tiles – (First Revision of IS 15622)

The standard is applicable for pressed ceramic glazed or unglazed tiles of premium quality for use as both floor and wall coverings. This revision of the standard specifies sizes, dimensional tolerances, surface quality, mechanical, physical and chemical requirements, and marking of pressed ceramic tiles and has been brought in line with the international standard on this subject.

7. Specification for Protective Helmets for Scooter and Motorcycle Riders (Fourth Revision of IS 4151)

This revision has been taken up on the basis of experience gained in the past and to bring in line with latest developments at international level, such as European regulations and Automotive Industry Standard (AIS-058 (Part-1)), and has been aligned to ECE–R–22, August 2001.

8. Outdoor type Oil immersed Distribution Transformers upto and including 2500 kVA, 33kV – Specification Part 1 Mineral Oil Immersed {Fourth Revision of IS 1180 (part 1)}

Distribution transformers are one of the pillars for distribution of electricity to the end consumers. To cater to the need of large number of such transformers the Indian Standards has been revised, specifying requirements for maximum losses at various loading. This standard at present covers up to 2500 kVA and for both non-seal and seal type including single phase.

9. Electric immersion Water Heaters (Fifth Revision of IS 368)

Revision of this standard was undertaken to align it with the corresponding Safety Standard, IS 302-2-201:2007 which is under mandatory certification. It covers the general safety and performance requirements for AC single phase or DC portable electric immersion water heaters with a flexible cord and connector intended for water heating purposes.

10. घरेलू और समान बिजली के उपकरणों की सुरक्षा भाग 2 – विशेष अपेक्षाएं, खंड 26 घड़ी{आईएस 302 भाग 2/खंड 26) का पहला पुनरीक्षण}

घड़ी की सुरक्षा पर भारतीय मानक का पुनरीक्षण आईएस 302 भाग 2(1) के अनुसार पुनरीक्षित सुरक्षा अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर वर्तमान मानक को अद्यतन अंतर्राष्ट्रीय मानक के साथ एकरूप करने के लिए लिया गया था । यह मानक 250 वोल्ट से अधिक रेटित वोल्टता वाली बिजली की घड़ियों की सुरक्षा से संबंधित है ।

11. बत्ती उपकरण, भाग 1–सामान्य अपेक्षाएं तथा परीक्षण {आईएस 10322 (भाग 1) का पहला पुनरीक्षण}

आईएस 10322 (भाग 1) : 2014 का पुनरीक्षण प्रकाशित किया गया था जिसमें बत्ती उपकरणों की सुरक्षा अपेक्षाएं शामिल हैं । इस मानक का उद्देश्य बत्ती उपकरण के अधिकांश प्रकारों के लिए सामान्यतः लागू होने वाली अपेक्षाओं और परीक्षणों का एक सैट उपलब्ध कराना है जिससे आईएस 10322 (भाग 5) की विस्तृत विशिष्टियों और उनके विभिन्न खंडों का संदर्भ लिया जा सके । अतः, इस मानक का भाग 1 किसी भी प्रकार की बत्ती के लिए, स्वयं में विशिष्टि नहीं माना जा सकता और इसके प्रावधान, भाग 5 के समुचित खंड द्वारा निर्धारित सीमा तक बत्ती के किसी विशेष प्रकार पर लागू हैं।

12. सिल्वर लीफ – विशिष्टि (आईएस 3110 का दूसरा पुनरीक्षण)

चूंकि, मिठाई, पान तथा अन्य खाद्य पदार्थों पर चाँदी का वर्क चढ़ाने का उपयोग केवल सौन्दर्य बोध की दृष्टि से किया जाता है, इसके पोषक मूल्य में इससे कोई वृद्धि नहीं होती, इसलिए इस मानक का पुनरीक्षण फॉयल की मोटाई को कम करने के लिए किया गया है । इसके साथ ही इस मानक में सिल्वर फॉयल के ग्राम में भार के आधार पर सिल्वर लीफ के 5 ग्रेड भी इसमें शामिल किए गए हैं । खाद्य संयोजी पदार्थों के लिए एफएसएसएआई विनियमों के साथ आर्सेनिक, सीसा, कैडमियम तथा भारी धातु की अधिकतम सीमा एकरूप की गई है ।

आयोजित संगोष्ठियाँ/सम्मेलन

भारतीय मानकों के कार्यान्वयन में सघनता लाने के लिए स्टेकहोल्डरों के अभिज्ञात क्षेत्रों, जैसे निर्माता, उपयोगकर्ता, रिसर्च तथा अनुसंधान संगठन, सरकारी संस्थानों इत्यादि के लिए भामाब्यूरो संगोष्ठियां/कार्यशालाओं का आयोजन करता है । भामाब्यूरो ने वर्ष के दौरान विभिन्न संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित कीं और सम्मेलनों में भाग लिया, जिसका उद्देश्य भारतीय मानकों के बारे में सूचना बांटना और मानकीकरण के नए क्षेत्रों की पहचान करने के साथ–साथ उनमें और अधिक सुधार लाने/अद्यतन करने के लिए फीडबैक प्राप्त करना है । इस वर्ष के दौरान आयोजित की गई महत्वपूर्ण संगोष्ठियां/कार्यशालाएं इस प्रकार हैं :

1. 'भारत की भवन निर्माण संहिताः पुनरीक्षण के लिए नए निर्देश' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

'भारत की भवन निर्माण संहिताः पुनरीक्षण के लिए नए निर्देश' पर भामाब्यूरो और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए)

10. Safety of household and similar electrical appliances: Part 2 Particular requirements, Section 26 Clocks {First Revision of IS 302 (Part 2/Sec 26)}

Revision of Indian Standards on Safety of Clocks was done to take into account revised safety requirements as per IS 302(1) and to align the existing Standard with latest International Standards. This standard deals with the Safety of Electric Clocks having a rated voltage not more than 250 V.

11. Luminaries, Part 1 - General requirements and tests {First Revision of IS 10322 (part 1)}

Revision of IS 10322 (Part 1): 2014 was published which covers safety requirements for luminaries. The object of this standard is to provide a set of requirements and tests which are considered to be generally applicable to most types of luminaries and which can be referred by the detail specifications of IS 10322 (Part 5) and their various sections. This standard Part 1 is thus not to be regarded as a specification in itself for any type of luminaries, and its provision apply only to particular type of luminaries to the extent determined by the appropriate section of Part 5.

12. Silver Leaf – Specification (Second Revision of IS 3110)

As the use of silver coating on sweets, paan and other eatables has only an aesthetic value and it does not add any nutritional value, revision of this standard was undertaken to reduce the thickness of the foil. Also five grades of Silver leaf depending upon the grammage of the Silver foil have been covered in the standard. The maximum limits for arsenic, lead, cadmium and heavy metals have been aligned with FSSAI Regulations for food additives.

SEMINARS/ CONFERENCES ORGANISED:

To intensify the implementation of Indian Standards, BIS organises seminars/ workshops in identified sectors of stakeholders such as manufacturers, users, R&D organizations, Government institutions etc. During the year, BIS organised various seminars/ workshops and participated in conferences with a view to disseminate information about the Indian Standards and to get feedback for further improvement/ updation as well as to identify new areas of standardization. Important seminars/ workshops organised during this year are as under:

1. National Seminar on 'National Building Code of India: New Directions for Revision'

A seminar on 'National Building Code of India: New Directions for Revision', was organized at New Delhi jointly

द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रीय संगोष्ठी, संहिता के पुनरीक्षण की प्रगति के बारे में सूचना वितरित करने और इसी के संबंध में स्टेकहोल्डरों से फीडबैक प्राप्त करने के लिए आयोजित की गई । इस संगोश्ठी में भवन आयोजना, आर्किटैक्चर, टाउन प्लानर, सरकारी तथा निजी निर्माण से जुड़ी एजेंसियां, परामर्शदाता, अनुसंधान तथा भौक्षणिक संस्थान तथा भवन निर्माण सामग्री तथा प्रौद्योगिकी प्रदाता सहित डिजाइन और निर्माण से जुड़े विभिन्न स्टेकहोल्डरों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

by BIS and the School of Planning and Architecture (SPA) with a view to disseminate information about the ongoing revision of the Code and to obtain feedback from the stakeholders on the same. The seminar was attended by around 300 delegates representing various stakeholders connected with building planning, design and construction including engineers, architects, town planners, Govt. and private construction agencies, consultants, research and academic institutions and building materials and technology providers.

2. 'वितरण ट्रांसफार्मरों के मानकीकरण, प्रमाणन और गुणता नियंत्रण' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

भामाब्यूरो ने इंडियन ट्रांसफार्मर मैनुफैक्चरर्स एसोशिएशन (आईटीएमए), इंटरनेशनल कॉपर एसोशिएशन आफ इंडिया (आईसीएआई) और इंडियन इलैक्ट्रिकल मैनुफैक्चरर्स एसोशिएशन (आईईएमए) के साथ मिलकर 'वितरण ट्रांसफार्मरों के मानकीकरण, प्रमाणन और गुणता नियंत्रण' पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया ।

इस संगोष्ठी का उद्देश्य निर्माताओं, प्रयोगशालाओं और अन्य स्टेकहोल्डरों में 'बाहरी प्रकार के, विद्युतरोधी निमज्जित द्रव में 2500 केवीए, 33 केवी के वितरण ट्रांसफार्मर (भाग 1), खनिज तेल में निमज्जित, आईएस 1180(भाग 1) : 2014 पर भारतीय मानक के कार्यान्वयन के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना था । इस संगोष्ठी में

2. National Seminar on 'Standardization, Certification and Quality Control of Distribution Transformers'

BIS in association with Indian Transformer Manufacturers Association (ITMA), International Copper Association of India (ICAI) and Indian Electrical and Electronics

Manufacturers' Association (IEEMA) organized a National Seminar on 'Standardization, Certification and Quality Control of Distribution Transformers', at New Delhi.

The purpose of this seminar was to bring awareness among Manufacturers, Laboratories and other stakeholders regarding implementation of Indian standards on 'Outdoor type, insulated liquid immersed Distribution Transformers up to and including 2500 kVA, 33kV (Part 1: Mineral Oil Immersed), IS 1180(Part 1): 2014. The seminar registered

सरकारी संगठनों, व्यावसायिक निकायों, एसोशिएशनों जैसे स्टेकहोल्डरों के व्यापक समुदाय और विभिन्न उद्यमियों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों/व्यवसायियों ने भाग लिया। संगोष्ठी के दौरान प्रख्यात वक्ताओं ने 'वितरण ट्रांसफार्मरों से संबंधित मानकीकरण, प्रमाणन और गुणता नियंत्रण पर पेपर प्रस्तुत किए।

3. 'प्रतिरक्षा उपस्करों के लिए अंतःसंपर्क प्रौद्योगिकी तथा सतह अधिरोपित प्रौद्योगिकी में वर्तमान प्रवृत्ति, मानक और गुणता अपेक्षाएं' पर संगोष्ठी

भामाब्यूरो ने 'प्रतिरक्षा उपस्करों के लिए अंतःसंपर्क प्रौद्योगिकी तथा सतह अधिरोपित प्रौद्योगिकी में वर्तमान प्रवृत्तियां, मानक और गुणता अपेक्षाएं' पर 18 मार्च 2015 को पुणे में संगोष्ठी का आयोजन किया। 'प्रतिरक्षा उपस्करों के लिए अंतः संपर्क प्रौद्योगिकी तथा सतह अधिरोपित प्रौद्योगिकी में वर्तमान प्रवृत्तियाँ, मानक और गुणता अपेक्षाओं, विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए इलैक्ट्रॉनिक घटकों का प्रहस्तन तथा संबंधित मुद्दों और इलैक्ट्रॉनिक घटकों के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण के विषयों को शामिल करते हुए 8 से अधिक वक्ताओं ने संगोष्ठी के दौरान अपने आलेख प्रस्तुत किए। भामाब्यूरो ने प्रतिभागियों को इलैक्ट्रॉनिक और आईटी के क्षेत्र में अनुरूपता मूल्यांकन, इलैक्ट्रॉनिक्स और आईटी वस्तु आदेश, 2012 के अनिवार्य पंजीकरण, अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन योजनाओं तथा भामाब्यूरो की अन्य गतिविधियों के बारे में सूचना वितरित की।

4. मानकीकरण के माध्यम से ऊर्जा दक्ष पम्प पर संगोष्ठी

भामाब्यूरो ने गुजरात के राजकोट में मैसर्स राजकोट इंजीनियरिंग एसोशिएशन (आरपीए) के साथ संयुक्त रूप से 'मानकीकरण के माध्यम से ऊर्जा दक्ष पम्प' पर संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी के आयोजन का उद्देश्य स्टेकहोल्डरों में आईएसआई मुहर लगे पंपों का उपयोग करके ऊर्जा बचाने और दक्षता बढ़ाने के लिए जागरूकता उत्पन्न करना तथा स्टेकहोल्डरों को पंप के बारे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण गतिविधियों से अवगत कराना था।

5. 'खाद्य ग्रेड प्लास्टिक पर भारतीय मानक – सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना' पर कार्यशाला

भामाब्यूरो द्वारा नई दिल्ली में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। सभी स्टेकहोल्डरों को विद्यमान मानकों के साथ–साथ वर्तमान प्रौद्योगिकीय विकासों और पीईटी धारकों से संबंधित मुद्दों, प्लास्टिक में थैलेट्स और इस क्षेत्र में मानकीकरण में भविष्य में की जाने वाली कार्रवाई पर विचार–विमर्श के लिए सभी को एकसाथ लाने के उद्देश्य से यह कार्यशाला आयोजित की गई।

प्लास्टिक तथा पीईटी के वैविध्य, खासतौर से उत्पादों की व्यापक किस्मों की पैकेजबंदी के लिए खाद्य और भैशज व औषध सामग्रियों सहित अनिवार्य सामग्री के रूप में रेखांकित करने के लिए निर्माता, उद्योग तथा विनियामक प्राधिकरणों से संबंधित मुद्दों पर कार्यशाला के दौरान आलेख प्रस्तुत किए गए और विचार–विमर्श हुआ।

participation of more than 100 delegates/ professionals from a wide spectrum of stakeholders such as governmental organizations, professional bodies, associations and representatives from various industries. During the seminar, eminent speakers presented their papers on Standardization, Certification and Quality Control requirements related to distribution transformers.

3. Seminar on 'Recent trends in Interconnection Technology and surface mount technology, Standards and Quality requirements for defence equipments'

BIS organized a one day seminar on 'Recent trends in Interconnection Technology and surface mount technology, Standards and Quality requirements for defence equipments', at Pune on 18 March 2015. More than 8 speakers made their presentations during the seminar on subjects covering 'Recent trends in Interconnection Technology and surface mount technology, Standards and Quality requirements for defence equipments', Handling of electronic components to increase reliability and related issues and International standardization in the field of Electronic Components. BIS also disseminated information on Standardization in Electronics and IT sector and Conformity Assessment, Compulsory Registration of Electronics and IT Goods Order 2012, International Certification Schemes and other activities of BIS to the participants.

4. Seminar on 'Energy Efficient Pumps through Standardization'

A Seminar on 'Energy Efficient Pumps through Standardization', was organized by BIS jointly with M/s Rajkot Engineering Association (REA) at Rajkot, Gujarat. The seminar was aimed to create awareness amongst stakeholders to save energy and improve efficiency by using ISI marked pumps and to apprise stakeholders about National and International Standardization activities on pumps.

5. Workshop on 'Indian Standards on Food Grade Plastics – Identifying Areas for improvements'

This workshop was organised by BIS at New Delhi with the aim to bring all stakeholders together for discussing the existing standards vis-a-vis recent technological developments and issues related to PET containers, phthalates in plastics and deciding the future course of action in the standardization work in this field.

Issues relating to manufacturing industry and regulatory authorities highlighting the versatility of Plastics and PET in particular as an indispensible material for packaging a vast variety of products including food and pharmaceuticals were presented and discussed during the workshop.

6.'खेलकूद का सामान – मानकीकरण – वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताएं' पर कार्यशाला

भामाब्यूरो ने 'खेलकूद का सामान – मानकीकरण – वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताएं' पर कार्यशाला का आयोजन मेरठ, उत्तर प्रदेश में किया । इस कार्यशाला में उद्योग, आईआईपी दिल्ली तथा प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र (टीडीसी) (एमएसएनई), मेरठ के सदस्यों ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान खेल–कूद का सामान, टीडीसी की भूमिका, खेलकूद के सामान की पैकेजबंदी तथा मानकीकरण के नए कार्यक्षेत्र, जैसे फिटनैस उपस्कर, क्रिकेट के उपस्करों से संबंधित मानकों का पुनरीक्षण तथा ट्रैक और फील्ड के उपकरणों के क्षेत्र में वर्तमान मानक और भविष्य की आवश्यकताओं पर आलेख पढ़े गए ।

7. 'इंजीनियरिंग मापमिति के क्षेत्र में मानकीकरण' पर संगोष्ठी

भामाब्यूरो ने इंजीनियरिंग मापमिति के क्षेत्र में मानकीकरण पर ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), पुणे में संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें लगभग 70 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें निर्माता, शिक्षाविद्, परीक्षण प्रयोगशालाओं के कार्मिक, स्टेकहोल्डर भी शामिल थे। संगोष्ठी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंजीनियरिंग मापमिति के आधारभूत तथ्य, वर्तमान परिदृश्य तथा भविष्य की संभावनाओं पर आलेख प्रस्तुत किए।

8. 'पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य देखभाल – अस्पताल आयोजना और शल्य चिकित्सा उपकरण' पर संगोष्ठी

नई दिल्ली में 'पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य देखभाल – अस्पताल आयोजना और शल्य चिकित्सा उपकरण' पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया । संगोष्ठी में घोड़े के लिए यूरीनरी कैथेटर तथा शाल्य चिकित्सा उपकरण पर आलेख प्रस्तुत किए गए। आर्थो, डेंटल, ईएनटी, गायनी इत्यादि जैसे पशु चिकित्सा से संबंधित विषयों पर भारतीय मानक निर्धारित करने की सिफारिश की गई ।

9. 'हथकरघा और खादी क्षेत्र का विकास – मानकों की भूमिका' पर संगोष्ठी

भामाब्यूरो ने 29 जनवरी 2015 को जोधपुर में भारत सरकार के वस्त्रादि मंत्रालय के अंतर्गत इंडियन इंस्टीट्यूट आफ हैंडलूम टैक्नॉलोजी, जोधपुर के साथ मिलकर 'हथकरघा और खादी क्षेत्र का विकास – मानकों की भूमिका' पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया । इस संगोष्ठी में राजस्थान के हथकरघा उद्योग, हथकरघा बुनकर, बुनकर सेवा केन्द्र, तकनीकी परामर्शदाताओं, उपभोक्ताओं और संस्थान के संकाय सदस्यों ने भाग लिया। हथकरघा और खादी क्षेत्र के विकास में नई प्रवृत्तियों पर आलेख प्रस्तुत किए गए। संगोष्ठी के दौरान यह तथ्य सामने आया कि इन क्षेत्रों में भारतीय मानकों और भामाब्यूरो प्रमाणन मुहर योजना के कार्यान्वयन को सवंर्धित करने की काफी संभावनाएं हैं ।

6. Workshop on 'Sports Goods - Standardization- Present and future needs'

BIS organised a workshop on 'Sports Goods – Standardization - Present and future needs', at Meerut, UP. The workshop was attended by members of industry, IIP, Delhi and Technology Development Centre (TDC) (MSME), Meerut. During the workshop, presentations were made on existing standards and future needs in the area of sports goods, role of TDC, packaging of sports goods and on new work areas for standardization, like fitness equipment, revision of cricketing equipment standards and track and field equipments.

7. Seminar on 'Standardization in the field of Engineering Metrology'

BIS organized a seminar on 'Standardization in the field of Engineering Metrology', at Automotive Research Association of India (ARAI), Pune which was attended by around 70 participants including manufacturers, testing laboratory personnel, academicians and other stakeholders. In the seminar, presentations were made on basic facts, current scenario and future prospects in Engineering Metrology at national level and International level as well.

8. Seminar on 'Veterinary Healthcare – Hospital Planning and Surgical Instruments'

A seminar on 'Veterinary Healthcare – Hospital Planning and Surgical Instruments', was held at New Delhi. In the seminar presentations were made on Horse urinary Catheter and surgical instruments. Recommendations were made on formulation of Indian Standards in various veterinary sectors like Ortho, Dental, ENT, Gynae etc.

9. Seminar on 'Development of Handloom and Khadi Sector - Role of Standards'

A Seminar on 'Development of Handloom and Khadi Sector - Role of Standards', was organized by BIS at Jodhpur on 29 January 2015, in association with Indian Institute of Handloom Technology, Jodhpur under the Ministry of Textiles, Govt of India. The seminar was attended by representatives of the handloom industry in Rajasthan, Handloom weavers, Weavers Service Centre, technical consultants, consumers and faculty of the institute. Presentations were made on the recent trends of development in the handloom and Khadi sector. It was emerged during the seminar that there is a lot of scope for promoting implementation of Indian standards and BIS certification marks schemes in these sectors.

10. 'पटसन और वस्त्रादि के क्षेत्र में मानकीकरण – प्रमाणन की संभावना' पर संगोष्ठी

कोलकाता में इंस्टीट्यूट आफ जूट टैक्नॉलोजी, कोलकाता विश्वविद्यालय के साथ मिलकर 'पटसन और वस्त्रादि के क्षेत्र में मानकीकरण – प्रमाणन की संभावना' पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में पटसन और वस्त्रादि क्षेत्र, पटसन से संबंधित कई तरह के उत्पादों का मानकीकरण और भामाब्यूरो के मानकों के प्रभावी कार्यान्वयन और उनके प्रमाणन पर आलेख प्रस्तुत किए गए ।

11. 'पुस्तकालय प्रबंधन के प्रभावी साधन – मानक' पर संगोष्ठी

भामाब्यूरो ने नई दिल्ली में 'पुस्तकालय प्रबंधन के प्रभावी साधन – मानक' पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया । इस संगोष्ठी में विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग तथा अन्य महाविद्यालयों जैसे विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, डीईएसआईडीओसी, एनसीईआरटी, एटोमिक रिसर्च, आरबीआई, सीपीडब्ल्यूडी, रिसर्च स्कोलर, लाइब्रेरी एसोसिएशन तथा अन्य पुस्तकालय से संबंधित पेशेवरों ने भाग लिया।

10. Seminar on 'Standardization in the field of Jute and Textiles - Scope for Certification'

A Seminar on 'Standardization in the Field of Jute and Textiles - Scope for Certification', was held at Kolkata in association with Institute of Jute Technology, University of Calcutta. In the seminar presentations were made on the recent developments in the jute and textile sectors, standardization and effective implementation of BIS standards for jute and several jute related products and its certification.

11. Seminar on 'Standards – A tool for effective Library Management'

BIS organized a one-day Seminar on 'Standards – A tool for effective Library Management' at New Delhi. The seminar was attended by about 100 participants comprising Library professionals from various academic institutions like Universities, Engineering and other colleges, DESIDOC, NCERT, Atomic Research, RBI, CPWD, Research Scholars, Library Associations and others.

प्रमाणन

उत्पाद प्रमाणन

भा.मा. ब्यूरो उत्पाद प्रमाणन योजना का प्रचालन करता है जो कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों द्वारा नियंत्रित की जाती है। उत्पाद पर मानक मुहर (आईएसआई के रूप में लोकप्रिय) का लगा होना यह दर्शाता है कि उत्पाद संबद्ध भारतीय मानक के अनुरूप है। भा. मा. ब्यूरो किसी विनिर्माता को लाइसेंस प्रदान करने से पूर्व विनिर्माता के पास आवश्यक अवसंरचना तथा क्षमता की उपलब्धता का होना सुनिश्चित करता है और संबद्ध भारतीय मानक के अनुरूप बने उत्पाद की सतत रूप से जांच करता है। उत्पादन स्थल और बाज़ार से भी नमूने लिए जाते हैं और स्वतंत्र प्रयोगशाला में संबद्ध भारतीय मानक से उनकी अनुरूपता की जांच सुनिश्चित कराई जाती है।

प्रमाणन योजना मूलतः स्वैच्छिक प्रकृति की है, परंतु जनहित में बहुत से उत्पादों को भा मा ब्यूरो अधिनियम के अतिरिक्त सरकार ने विभिन्न वैधानिक उपायों, जैसे खाद्य निरापदता तथा मानक अधिनियम; आवश्यक वस्तु अधिनियम; भारतीय विस्फोटक अधिनियम; परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड; पर्यावरण संरक्षण अधिनियम; शिशुओं हेतु दुग्ध विकल्पी आहार, दूध पिलाने की बोतल और शिशु आहार अधिनियम; आदि के माध्यम से इसे अनिवार्य बनाया गया है। अनिवार्य प्रमाणन योजना में शामिल कुछ वस्तुएं, जैसे एल.पी.जी. सिलिंडर; दूध पाउडर; संघनित दूध; शिशुओं के लिए धान्य से बने आहार; मलाई रहित दूध पाऊडर, शिशुओं के लिए दूध विकल्पी आहार; हैक्सेन खाद्य ग्रेड, डॉक्टरी थर्मामीटर; पैकेजबंद पेयजल, प्राकृतिक खनिज जल, बिजली की इस्तरी और निमज्जय वाटर हीटर हेतु सुरक्षा अपेक्षाएं; केबल; स्विच; बिजली के बल्ब तथा सी.एफ.एल; सर्किट ब्रेकर;ऊर्जा मीटर; शुष्क बैटरियां; इस्पात ट्यूब; तेल दाब स्टोव; एक्सरे उपकरण; दूध पिलाने की प्लास्टिक की बोतलें; सीमेंट; इस्पात एवं इस्पात के उत्पाद; सामान्य प्रयोजन के डीज़ल इंजन मोटर वाहनों के लिए हवा भरे टायर एवं ट्यूब, केंद्रीकृत कास्ट डक्टाइल आयरन प्रैशर पाइप, प्रैशर पाइपों के लिए डक्टाइल आयरन फिटिंगें, सामान्य प्रयोजनों के लिए समगति कम्प्रेशन इग्नीशन (डीजल) इंजन, बिजली के ट्रांसफार्मर, इत्यादि हैं।

वर्ष के दौरान 3202 नए लाइसेंस प्रदान किए गए, जिसमें 23 उत्पाद इस योजना के अंतर्गत पहली बार शामिल किए गए । ये उत्पाद आईएस 15914 : 2011 उच्च तनन सामर्थ्य सपाट बेल्लित इस्पात की प्लेटें (6 एमएम तक), वेल्डकृत गैस सिलिंडर के निर्माण के लिए चद्दर और पट्टी आईएस 10238 : 2001 – फासनर –चूड़ीदार इस्पात के फासनर – इस्पात संरचनाओं के लिए स्टेप बोल्ट आईएस 15961 : 2012 – तप्त डिप एल्युमिनियम जस्त मिश्रधातु धात्विक लेपित इस्पात की पट्टी और चद्दर (सादी), आईएस 14203 : 1999 – अग्नि प्रतिरोधी रिकार्ड संरक्षण केबिनेट आईएस 12950 : 1990 –सीसा अम्ल बैटरियों के लिए सुवाहय सिरिंज टाइप बैटरी हाइड्रोमीटर, आईएस 15962 : 2012 – उन्नत

CERTIFICATION

PRODUCT CERTIFICATION

BIS operates a Product Certification scheme, which is governed by The Bureau of Indian Standards Act, 1986 and Rules and Regulations framed thereunder. Presence of BIS standard mark (popularly known as ISI mark) on a product indicates its conformity to the relevant Indian Standard. Before granting licence to any manufacturer, BIS ascertains the availability of required infrastructure and capability of the manufacturer to produce and test the product conforming to the relevant Indian standard on a continuous basis. Samples are also drawn from the production line as well as from market and got tested in independent laboratories to ensure their conformance to the relevant Indian Standard.

The certification scheme is basically voluntary in nature, but for a number of products, in public interest, it has been made mandatory by the Central Government under various statutes such as The Food Safety and Standards Act; The Essential Commodities Act; The Indian Explosive Act; The Atomic Energy Regulation Board; The Environment Protection Act; The Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Food Act; besides The Bureau of Indian Standards Act. Some of the items under mandatory certification are LPG Cylinders; Milk Powder; Condensed Milk; Cereal Food for Infant; Skimmed Milk Powder, Infant Milk Substitute, Hexane Food Grade, Clinical Thermometers; Packaged Drinking Water, Natural Mineral Water; Safety requirements for Electric Iron and Immersion Water Heater; Cables; Switches; Electric Lamps and CFLs; Circuit Breakers; Energy Meters, Dry Batteries; Steel Tubes; Oil Pressure Stoves; X-Ray Equipment; Plastic Feeding Bottles, Cement; Steel and Steel Products, Diesel Engine for General Purpose, Pneumatic Tyres and Tubes for Automotive Vehicles, Centrally Cast Ductile Iron Pressure Pipes, Ductile Iron Fittings for Pressure Pipes, Constant Speed Compression Ignition (diesel) Engines for General Purposes, Electrical Transformers, etc.

During the year, 3202 new licences were granted, which include 23 products covered for the first time under the scheme. These products are IS 15914 : 2011 - High Tensile Strength Flat Rolled Steel Plate (up to 6 mm), Sheet and Strip for the Manufacture of Welded Gas Cylinder; IS 10238 : 2001 - Fasteners - Threaded Steel Fastener - Step Bolts for Steel Structures; IS 15961 : 2012 - Hot Dip Aluminium-Zinc Alloy Metallic Coated Steel Strip and Sheet (Plain); IS 14203 : 1999 - Fire Resisting Record Protection Cabinets; IS 12950 : 1990 - Battery hydrometer portable syringe type for lead-acid batteries; IS 15962 : 2012 - Structural Steels

भूकम्पीय प्रतिरोधन सहित भवनों और संरचनाओं के लिए संरचना इस्पात, आईएस 990 : 1982 – स्टैनलैस इस्पात के चम्मच, आईएस 12594 : 1988 – कंक्रीट प्रबलन के लिए संरचनात्मक इस्पात के सरियों पर तप्त डिप जस्त लेपन, आईएस 16098 (भाग 1): 2013 – नॉन दाब ड्रेनेज और सीवरेज के लिए संरचनात्मक वाल, प्लास्टिक पाइपिंग प्रणाली भाग 1 चिकनी बाहरी सतह वाली पाइप और फिटिंग, टाइप ए, आईएस 5983 : 1980 – आई प्रोटेक्टर, आईएस 5405 : 1980 सेनेटरी नेपकिन, आईएस 8952 : 1995 – सामान्य इंजीनियरी प्रयोजनों हेतु मृदु इस्पात तार सरिये के उत्पादन के लिए इस्पात इंगट, ब्लूम और बिल्लेट, आईएस 10245(भाग 3) : 1999 – श्वसन हेतु उपकरण – भाग 3:ताजी हवा हौज और संपीडित वायु लाइन भवसन हेतु उपकरण, आईएस 16098(भाग 2) : 2013 – नॉन–दाब ड्रेनेज और सीवेज के लिए संरचनात्मक वाल प्लास्टिक पाइपिंग प्रणाली भाग 2 बिना चिकनी बाहरी सतह वाले पाइप और फिटिंग, टाइप बी, आईएस 12492 : 1988 संपीडित वायु के लिए थर्मोप्लास्टिक हौज (वस्त्र प्रबलित), आईएस 7904 : 1995 – उच्च कार्बन इस्पात के तार सरियेय आईएस 15073 भाग 1:2002 विद्युत डिटोनेटर की पैकेजिंग भाग 1 : लकड़ी के बक्से, आईएस 16103(भाग 2) : 2013 – सामान्य प्रकाश के लिए एलईडी मोड्यूल भाग 2 कार्यकारिता अपेक्षाएँय आईएस 16127 : 2003 – कान के पीछे लगने वाले (बीटीई) श्रवण यंत्र, आईएस 16190 : 2014 – कृषि प्रयोजनाओं के लिए कृषि वस्त्रादि – एचडीपीई लेमिनेटिड बुनी हुई सपाट ट्यूब; आईएस 737 : 2008 – सामान्य इंजीनियरी प्रयोजनों के लिए पिटवां एल्युमिनियम और एल्युमिनियम मिश्रधातु की चद्दर और पत्तीयां, आईएस 14261 : 1995 – प्रेषण युक्तियॉं – वी–बेल्ट – औद्योगिक उपयोग के लिए सिरा रहित संकरे वी–बेल्ट, और आईएस 16176 : 2014 – टेपर पाइप चूड़ियों (आर श्रृंखला) के लिए रेचेट पाइप थ्रेडर ।

भामाब्यूरो प्रमाणन मुहर योजना के अंतर्गत शामिल भारतीय मानकों की कुल संख्या 938 है। 31 मार्च 2015 को प्रचालन लाइसेंसों की कुल संख्या 29516 थी ।

देहरादून में आयोजित लाईसेंसी सभा
Licensees meet organized at Dehradun

for Buildings and Structures with Improved Seismic Resistance; IS 990 : 1982 -Spoons, Stainless Steel; IS 12594 : 1988 - Hot-dip Zinc Coating on Structural Steel Bars for Concrete Reinforcement; IS 16098 : Part 1 : 2013 - Structured-Wall Plastics Piping Systems for Non-Pressure Drainage and Sewerage Part 1 Pipes and Fittings With Smooth External Surface, Type A; IS 5983 : 1980 - Eye-protectors; IS 5405 : 1980 Sanitary Napkins; IS 8952 : 1995 - Steel ingots, blooms and billets for production of mild steel wire rods for general engineering purposes; IS 10245 : Part 3 : 1999 - Breathing Apparatus - Part 3 : Fresh Air Hose and Compressed Air Line Breathing Apparatus; IS 16098 : Part 2 : 2013 - Structured-Wall Plastics Piping Systems for Non-Pressure Drainage and Sewerage Part 2 Pipes and Fittings with Non-Smooth External Surface, Type B; IS 12492 : 1988 Thermoplastics Hoses (Textile Reinforced) for Compressed Air; IS 7904 : 1995 - High carbon steel wire rods; IS 15073 : Part 1 : 2002 - Packaging of Electric Detonators Part 1 : Wooden Cases; IS 16103 (Part 2): 2013 - LED modules for general lighting Part 2 Performance requirements; IS 16127:2003 - Behind the Ear (BTE) Hearing Aids; IS 16190: 2014 - Agro Textiles-HDPE Laminated Woven Flat Tube for Irrigation purposes; IS 737: 2008 - Wrought aluminium and aluminium alloy sheet and strip for general engineering purposes; IS 14261 : 1995 - Transmission Devices - V-belts - Endless Narrow V-belts for Industrial Use; and IS 16176 : 2014 - Ratchet Pipe Threader for Taper Pipe Threads (R- Series).

The total number of Indian Standards which have been covered under BIS Certification Marks Scheme are 938. The total number of operative licences as on 31 March 2015 was 29516.

निगरानी और लाइसेंसधारियों की बैठक

लाइसेंसों के प्रचालन को मॉनीटर करने के लिए वर्ष के दौरान कुल 19660 निरीक्षण, 6358 लॉट निरीक्षण किए गए और स्वतंत्र परीक्षण के लिए (बाजार से खरीदे नमूनों सहित) 20959 नमूने लिए गए।

Surveillance and Licensees Meet

In order to monitor the operation of licences, during the year, a total number of 19660 inspections and 6358 lot inspections were carried out and 20959 samples (including samples procured from market) were drawn for independent testing.

भारतीय मानक ब्यूरो की प्रमाणन मुहर योजना के प्रचालन के बारे में फीडबैक प्राप्त करने के लिए लाइसेंसधारियों के साथ नियमित तौर पर समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। वर्ष के दौरान, लाइसेंसधारियों के साथ 60 समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं, जो पैकेजबन्द पेयजल; टायर एवं ट्यूब; खाद्य रंग और कैरेमल; बिजली के उपकरण; सीमेंट; पी.वी.सी. उत्पाद; रबड़ एवं रबड़ उत्पाद; प्लास्टिक एवं संबद्ध उत्पाद; पटसन और पटसन के उत्पाद; एल पी जी सिलिन्डर, वाल्व एवं रेगुलेटर इत्यादि शामिल थे।

विदेशी विनिर्माता प्रमाणन योजना (एफएमसीएस)

भामाब्यूरो आयातित वस्तुओं को प्रमाणित करने के लिए विदेशी विनिर्माताओं के लिए अलग योजना प्रचालित करता आ रहा है । इस योजना के अंतर्गत विदेशी विनिर्माता भारतीय मानक ब्यूरो की मुहर अपने उत्पादों पर लगाने के लिए भामाब्यूरो से प्रमाणन प्राप्त कर सकते हैं । 2014–2015 के दौरान, विदेशी विनिर्माता प्रमाणन योजना के अंतर्गत 111 लाइसेंस जारी किए गए, जिससे 71 भारतीय मानकों के लिए इन लाइसेंसों की संख्या बढ़कर 470 हो गई । विश्वभर के देशों के लिए प्रदान किए गए लाइसेंसों में सीमेंट, एचडीपीई पाइप, शिशुओं हेतु खाद्य आहार फार्मूला, प्लास्टिक की दूध पिलाने की बोतलें, स्विचगीयर, प्लग एवं सॉकेट, लघु सर्किट ब्रेकर, अवशिष्ट धारा परिपथ ब्रेकर, पीवीसी विद्युतरोधी केबल, बिजली की इस्तरियों की सुरक्षा के लिए एक्सएलपी विद्युतरोधी केबल, शुष्क सेल बैटरियां, इस्पात एवं इस्पात उत्पाद, सीवन रहित गैस सिलिंडर, कॉम्पेक्ट बत्ती लैम्प, शिशुओं के लिए दूध छुड़ाने हेतु दुग्ध धान्य से बने खाद्य आहार, गैस आयतन मीटर, वाट घंटा मीटर, लकड़ी के उत्पाद, टायर और ट्यूब जैसे विभिन्न उत्पाद शामिल हैं ।

अनुरूपता की स्व–घोषणा हेतु पंजीकरण योजना

भामाब्यूरो नियम –अध्याय IV ए 'पंजीकरण' के अनुसार भामाब्यूरो द्वारा पंजीकरण योजना प्रचालित की जा रही है । इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई), संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी वस्तु (अनिवार्य प्रमाणन की अपेक्षाएं।) आदेश, 2012' जारी किया, जिसमें 03 अप्रैल 2013 से अनिवार्य पंजीकरण के लिए 15 उत्पादों को अधिसूचित किया गया है। डीईआईटीवाई द्वारा अधिसूचित उत्पादों में एलईडी/एलसीडी टीवी, लैपटॉप, प्रिंटर, सैट टॉप बॉक्स, माइक्रोवेव ओवन, नोटबुक/टेबलेट, प्रोजेक्टर, सर्वर, स्टोरेज इत्यादि शामिल हैं । विनिर्माता द्वारा अनुरूपता की स्व–घोषणा हेतु पंजीकरण योजना एक सरलीकृत प्रक्रिया है, जिसमें विनिर्माता स्वयं यह घोषणा करता है कि उसका उत्पाद भारतीय मानक के अनुरूप है। इस योजना के अंतर्गत विनिर्माता भामाब्यूरो की मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा जारी परीक्षण रिपोर्ट(टों) के साथ अधिसूचित उत्पादों के पंजीकरण के लिए आवेदन करता है ।

भारत सरकार ने मोबाइल फोन, एलईडी लैम्प और बत्ती उपकरण, पासपोर्ट रीडर, स्मार्ट कार्ड रीडर, यूपीएस/इनवर्टर, सीलबंद सैकेन्डरी सेल/बैटरी, सैल टर्मिनल के बिंदु, फ्रेंकिंग मशीन, पावर इत्यादि सहित 15 और इलैक्ट्रॉनिक व आईटी वस्तुओं को अधिसूचित किया है। इससे इस योजना के अंतर्गत इलैक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी वस्तुओं की कुल संख्या 30 हो गई है। 31 मार्च 2015 को उपरोक्त उत्पादों के लिए विश्वभर में अलग–अलग स्थानों पर स्थित विनिर्माताओं के 1428 पंजीकरण मंजूर किए गए ।

In order to acquire feedback on the operation of the BIS Certification Marks Scheme, review meetings with the licensees are organized on a regular basis. During the year, 60 review meetings with licensees were organized covering the areas of Packaged Drinking Water; Tyres and Tubes; Food colour and Caramel, Electrical Appliances; Cement; PVC Products; Rubber and Rubber Products; Plastic and related products; Jute and Jute Products; LPG Cylinders, Valves and Regulators etc.

Foreign Manufactures Certification Scheme (FMCS)

BIS has been operating separate scheme for foreign manufacturers in order to certify imported goods. Under this Scheme, foreign manufacturers can seek certification from BIS for use of BIS Standard Mark on their product. During 2014-15, 111 licenses were issued under the Foreign Manufacturers Certification Scheme, taking the total number of operative licences to 470 against 71 Indian Standards. The licences granted cover various products such as Cement, HDPE Pipes, Infant formula, Plastic Feeding Bottles, Switchgear, Plug and sockets, Miniature circuit breakers, Residual Current Circuit Breakers, PVC Insulated Cables, XLP Insulated Cables Safety of Electric Irons, Dry Cell batteries, Steel and Steel products, Seamless Gas Cylinders, Compact Fluorescent Lamps, Milk cereal based weaning food, Gas Volume Meters, Watt-hour meter, Wood products, Tyres and tubes from countries across the Globe.

Registration Scheme for Self Declaration of Conformity

Registration Scheme is being operated by BIS as per BIS Rules - Chapter IV A 'REGISTRATION'. The Department of Electronics and Information Technology (DeitY), Ministry of Communication and Information Technology, had issued 'Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012' notifying 15 products for compulsory registration w.e.f. 03 April 2013. The 15 products notified by Deity include LED/LCD TVs, Laptops, Printers, Set Top Box, Microwave Oven, Notebook/Tablets, Projectors, Servers, Storage, etc. Registration for self-declaration by the manufacturer is a simplified process of conformity assessment, in which a manufacturer himself makes a declaration that his product conforms to the Indian Standard. Under this Scheme, a manufacturer applies for registration of the notified products along with the test report(s) issued by BIS recognized laboratories.

Govt. of India, has notified 15 more Electronics and IT goods including Mobile Phones, LED Lamps and Luminaries, Passport Reader, Smart Card Reader, UPS/Inverters, Sealed secondary cells/batteries, Point of sale terminals, Franking machines, power etc., taking the total number of Electronics and IT Goods under this scheme to 30. As on 31 Mar 2015, a total of 1428 registrations were granted to manufacturers located throughout the world for the above mentioned products.

परीक्षण और अंशशोधन

प्रयोगशाला सेवाएँ

उत्पाद प्रमाणन मुहर योजना के कार्यों में सहायता के लिए भा मा ब्यूरो ने उत्पाद प्रमाणन योजना के अंतर्गत लिए जाने वाले नमूनों के परीक्षण की आवश्यकता को पूरा करने हेतु आरंभ में 1962 में साहिबाबाद में केन्द्रीय प्रयोगशाला की स्थापना की और बाद में ब्यूरो के पास देय आठ प्रयोगशालाओं का नेटवर्क है। मोहाली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में चार क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं और पटना, बंगलौर और गुवाहाटी शाखा कार्यालयों में तीन प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई। भा मा ब्यूरो की प्रयोगशालाओं में रसायन, सूक्ष्मजैविकीय, विद्युत और यांत्रिक के क्षेत्र में उत्पाद परीक्षण की सुविधाएं हैं। केन्द्रीय प्रयोगशाला, साहिबाबाद में विद्युत के क्षेत्र में इन–हाउस अंशशोधन की सुविधाएं आपरेशनल हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि भा मा ब्यूरो की प्रयोगशालाओं की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे विकास के साथ गति बनी रहे, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मोहाली और साहिबाबाद की प्रयोगशालाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानक आईएस/आईएसओ/आइईसी 17025 के अनुसार राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं अंशशोधन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा प्रत्यायित कराया गया है।

भामाब्यूरो प्रयोगशालाओं में 565 भारतीय मानकों के लिए पूर्ण परीक्षण सुविधाएं हैं और 182 भारतीय मानकों के लिए आंशिक परीक्षण की सुविधाएं हैं। वर्ष के दौरान भा मा ब्यूरो प्रयोगशालाओं ने उत्पाद प्रमाणन के अंतर्गत आने वाले विभिन्न उत्पादों के 14306 नमूनों का परीक्षण किया। इसके अतिरिक्त, चेन्नई में गोल्ड रेफरल एसेयिंग प्रयोगशाला ने 1174 परीक्षण रिपोर्टें जारी कीं।

भामाब्यूरो प्रयोगशालाओं में परीक्षण अवसंरचना को बढ़ाने के उद्देश्य से 41 तकनीकी सहायकों की भर्ती करके उन्हें प्रशिक्षित करने के बाद विभिन्न प्रयोगशालाओं में भेजा गया।

परीक्षण सुविधाओं का सृजन/उन्नयन

भामाब्यूरो प्रयोगशालाओं को आधुनिक करने तथा अपग्रेड करने के उद्देश्य से, वर्ष के दौरान भामाब्यूरो प्रयोगशालाओं द्वारा कई मुख्य परीक्षण उपस्करों की खरीद की गई। इनमें कार्बन–सल्फर विश्लेषक और परमाणु अवचूषण स्पेक्ट्रोफोटोमीटर शामिल हैं। वर्ष के दौरान चैन्नई में रेफरल एसेयिंग प्रयोगशाला में चाँदी के परीक्षण की सुविधाएं भी संस्थापित करके प्रचलनात्मक की गईं ।

गुणता आश्वासन कार्यकलाप

गुणता आश्वासन भा मा ब्यूरो प्रयोगशालाओं में परीक्षण का नियमित अंग है, जिसके द्वारा परीक्षण की गुणता सुनिश्चित की जाती है। अवधि के दौरान, भा मा ब्यूरो प्रयोगशालाओं में गुणता आश्वासन गतिविधियों के अंतर्गत 660 नमूनों का परीक्षण किया गया। इनमें दक्षता परीक्षण/अन्तर प्रयोगशाला तुलना कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान, परीक्षण किए गए नमूने शामिल हैं।

LABORATORY SERVICES

LABORATORY SERVICES

In order to support the activities of the product certification marks scheme, BIS has established eight laboratories in the country to cater to the testing need of samples generated from Product Certification Scheme, beginning with the establishment of Central Laboratory at Sahibabad in 1962. Subsequently, four regional laboratories at Mohali, Kolkata, Mumbai and Chennai and three branch office laboratories at Patna, Bangalore and Guwahati were established. BIS laboratories have facilities for testing of products in the field of chemical, microbiological, electrical and mechanical discipline. In-house calibration facilities in the field of electrical discipline are operational at Central Laboratory, Sahibabad.

In order to ensure that BIS laboratories are abreast with the latest developments at the International level, the laboratories at Mumbai, Kolkata, Chennai, Mohali, and Sahibabad have been accredited by the National Accreditation Board for Calibration and Testing Laboratories (NABL) as per the international standard IS/ISO/IEC 17025.

BIS labs have complete test facilities for 565 Indian Standards and in addition, partial test facilities are also available for 182 Indian Standards. During the year, the BIS laboratories have tested 14306 samples of various products covered under Certification. In addition, the Gold Referral Assaying Laboratory at Chennai has issued 1174 test reports during the year.

In order to further augment the testing infrastructure in BIS labs, 41 Technical Assistants were recruited, trained and placed in various BIS labs.

Creation/ up-gradation of testing facilities

In order to modernize and upgrade BIS labs, some major test equipments were purchased by BIS labs during the year. These include Carbon – Sulphur Analyzer and Atomic Absorption Spectrophotometer. Facilities for testing of Silver in Referral Assaying Laboratory at Chennai has also been installed and made operational during the year.

Quality Assurance Activities

Quality Assurance is a regular part of testing in BIS Labs by way of which the quality of testing is assured. During the year, 660 Samples were tested under Quality Assurance activities by BIS Labs. This includes the samples tested during participation in proficiency testing/ inter-lab comparison program.

प्रशिक्षण

क) भामाब्यूरो प्रयोगशालाओं में कार्यरत श्रमशक्ति को नवीनतम विकास से अवगत कराने के लिए उन्हें नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। अवधि के दौरान भामाब्यूरो प्रयोगशाला के 12 अधिकारियों को मूल्यांकन और हॉलमार्किग तथा मूल्यांकन और हॉलमार्किंग केन्द्रों के ऑडिट में प्रशिक्षित कराया गया। भामाब्यूरो के 8 अधिकारियों को आईएस/आईएसओ/आईईसी 17025 प्रयोगशाला गुणता प्रबंध के लिए प्रशिक्षित कराया गया।

ख) वर्ष के दौरान भामाब्यूरो प्रयोगशालाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों के लिए 23 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

प्रयोगशाला मान्यता योजना

उत्पाद प्रमाणन योजना के अंतर्गत आने वाले नमूनों के परीक्षण का कार्यभार भा मा ब्यूरो प्रयोगशालाओं में उपलब्ध क्षमता से कहीं अधिक होने के कारण भा मा ब्यूरो ने बाहरी प्रयोगशालाओं (ओएसएल)को मान्यता देने के लिए प्रयोगशाला मान्यता योजना (एलआरएस) प्रारंभ की है। ऐसी प्रयोगशालाओं की सेवाओं का उपयोग वहां किया जाता है जहां भा मा ब्यूरो प्रयोगशालाओं में आर्थिक दृष्टि से परीक्षण सुविधाएं विकसित करना व्यावहारिक न हो अथवा भा मा ब्यूरो प्रयोगशालाओं में बड़ी संख्या में नमूने इकठ्ठे हो जाएं। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मानक आईएस/ आईएसओ/आईईसी 17025 : 2005 पर आधारित है और प्रयोगशालाओं के प्रत्यायन हेतु अंशशोधन एवं परीक्षण प्रयोगशालाओं के राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा अपनाए गए मानदंड के अनुरूप हैं। भा मा ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त बाहरी प्रयोगशालाओं का निम्नलिखित पूर्व अपेक्षाएं पूरा करना अपेक्षित है

– प्रयोगशाला संबद्ध क्षेत्र में एनएबीएल द्वारा प्रत्यायित हों

– प्रयोगशाला में संबद्ध भारतीय मानक के अनुसार पूर्ण परीक्षण सुविधाएं हों

– प्रयोगशाला–भारतीय मानक के अनुसार उत्पादों के परीक्षण में सक्षम हों

वर्ष के दौरान 03 नई बाहरी प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान की गई व 7 प्रयोगशालाओं की मान्यता समाप्त की गई। 31 मार्च 2015 के दौरान भा मा ब्यूरो मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं 143 प्रचालन में थीं जिनमें प्रतिष्ठित अनुसंधान एवं विकास संगठन, तकनीकी संस्थान, सरकारी एवं निजी सैक्टर की प्रयोगशालाएं (सरकारी प्रयोगशालाएं – 62 और निजी प्रयोगशालाएं – 81) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त भामाब्यूरो द्वारा जब कभी आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न उत्पादों के लिए विशेष प्रकृति की 46 सरकारी प्रयोगशालाओं की सेवाओं का उपयोग भी किया गया।

भामाब्यूरो की आरंभ की गई पंजीकरण योजना की सहायता के लिए इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी वस्तु (अनिवार्य पंजीकरण की अपेक्षाएं) आदेश, 2012 के अंतर्गत शामिल आईटी उत्पादों के परीक्षण के लिए 17 बाहरी प्रयोगशालाओं को मान्यता दी गई।

Training

a) The manpower working in labs are being trained on regular basis to keep them abreast of the latest developments. During the year, 12 officials from BIS labs were trained in the assaying and hallmarking; and audits of assaying and hallmarking centres. In addition, 08 officials were trained for IS/ISO/IEC 17025 Laboratory Quality Management System.

b) During the year, BIS labs organized 23 training programmes for the industry in various fields.

Lab Recognition Scheme

As the volume of work for testing of samples generated from product certification scheme is much larger than the available capacity in BIS labs, BIS has established Laboratory Recognition Scheme (LRS) for recognition of outside laboratories (OSLs). The services of such laboratories are utilized when it is economically not viable to develop test facilities in BIS labs or when BIS labs are overloaded. The scheme is based on International Standard IS/ISO/IEC 17025:2005, and in line with the criteria adopted by the National Accreditation Board for Calibration and Testing Laboratories (NABL) for accreditation of laboratories. OSLs recognized by BIS are required to fulfil following prerequisites:

- The lab shall be accredited by NABL in the respective field

- The lab shall have complete testing facilities as per relevant Indian Standard

- The lab shall have competence to test the products as per Indian Standard

During the year, 03 new labs were recognized and 07 labs were de-recognized. As on 31 March 2015, the total no. of operative BIS recognized labs was 143, which include reputed R&D organizations, technical institutions, Govt. labs and Private sector labs (Government labs - 62 and Private labs - 81). Besides this, services of 46 Government laboratories of specialized nature were also utilized for different products, as and when required.

To support the newly launched BIS Registration Scheme, 17 outside labs were recognized for testing of IT products, which were covered under Electronics and Information Technology Goods (Requirement for Compulsory Registration) Order, 2012.

हॉलमार्किंग

स्वर्ण / चाँदी के आभूषण की हॉलमार्किंग योजना

(i) आभूषण की हॉलमार्किंग योजना

भामाब्यूरो में स्वर्णाभूषणों की हॉलमार्किंग योजना अप्रैल 2000 में शुरू की गई । इसका उद्देश्य स्वर्णाभूषणों की शुद्धता के लिए उपभोक्ताओं को थर्ड पार्टी आश्वासन देना था । चाँदी के आभूषणों / वस्तुओं की हॉलमार्किंग योजना 2005 में प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत ज्वैलर को हॉलमार्क लगे आभूषण बेचने के लिए लाइसेंस दिया जाता है और मूल्यांकन और हॉलमार्किंग केन्द्रों को लाइसेंस प्राप्त ज्वैलर द्वारा प्रस्तुत किए गए आभूषणों की शुद्धता के मूल्यांकन के लिए मान्यता दी जाती है, वे आभूषण, जो घोषित शुद्धता सहित संबद्ध भारतीय मानक के अनुरूप पाए गए हैं, पर हॉलमार्क लगाने और शुद्धता की घोषणा सहित हो ।

31 मार्च 2015 को स्वर्ण एवं चाँदी के आभूषण की हॉलमार्किंग के चालू लाइसेंसों की संख्या क्रमशः 13112 और 936 थी । प्रचालन के अंतर्गत भामाब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त योजना एसेइंग और हॉलमार्किंग केन्द्रों की संख्या 331 थी । वर्ष के दौरान, स्वर्ण एवं चाँदी के आभूषण / शिल्प वस्तुओं की 3.05 करोड़ रूपये मूल्य की वस्तुओं पर हॉलमार्क लगाया गया ।

HALLMARKING

HALLMARKING SCHEME OF GOLD/SILVER JEWELLERY

(i) Hallmarking of jewellery

Hallmarking of gold jewellery was started by BIS in April 2000 to provide third party assurance to consumers on the purity of gold jewellery or its fineness. The scheme for Hallmarking of silver jewellery/ artefacts was launched in October 2005. Under the Scheme, while the jewellers are granted licence to sell hallmarked jewellery, Assaying & Hallmarking centres are recognized to assay the purity of the jewellery submitted by the licensed jeweller, along with declaration of purity and to apply hallmark on such jewellery which is found conforming to relevant Indian Standard including declared fineness.

As on 31 March 2015, the number of operative licences for Hallmarking of gold and silver jewellery was 13112 and 936 respectively. The number of operative BIS recognized assaying and hallmarking centres was 331. During the year, 3.05 crore articles of gold and silver jewellery/ artefacts were hallmarked.

(ii) केन्द्रीय सहायता से भारत में स्वर्ण एसेइंग और हॉलमार्किंग (एएंडएच) केन्द्रों की स्थापना हेतु योजना का कार्यान्वयन

वर्ष के दौरान केन्द्रीय सहायता से अवसंरचना सृजित करने की सरकार की योजना के अंतर्गत एक केन्द्र को पहली किस्त दी गई और चार केन्द्रों को दूसरी किस्त दी गई, जिससे एएंडएच केन्द्रों की कुल संख्या 47 हो गई ।

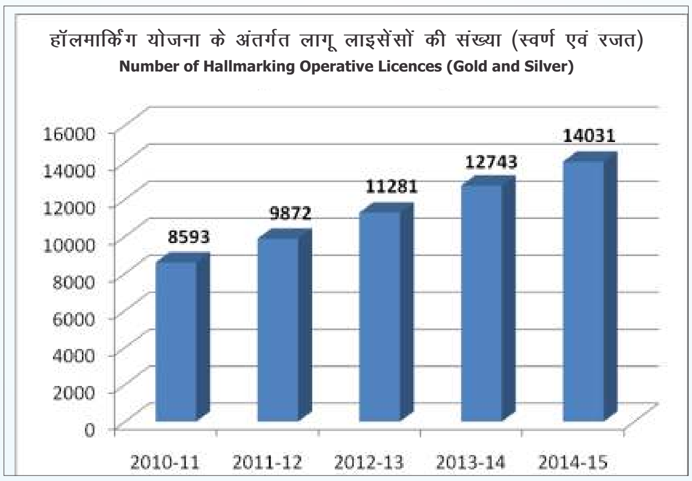

(ii) Implementation of the Scheme for setting up of gold Assaying and Hallmarking (A&H) centres in India with central assistance

Under the Government Scheme for Central Assistance for creating infrastructure, 1st instalment was provided to one centre, and 2nd instalment to four centres during the year, making the total number of such centrally assisted A&H centres to 47.

(iii) हॉलमार्किंग का संवर्धन

क) स्वर्ण / चाँदी के आभूषणों / वस्तुओं की हॉलमार्किंग से उपभोक्ताओं को प्रभावी सुरक्षा देने हेतु, भामाब्यूरो ने देश भर में अपने क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से ज्वैलरों / उपभोक्ताओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। वर्ष के दौरान, 40 ऐसे ज्वैलर्स के कार्यक्रम आयोजित किये गये।

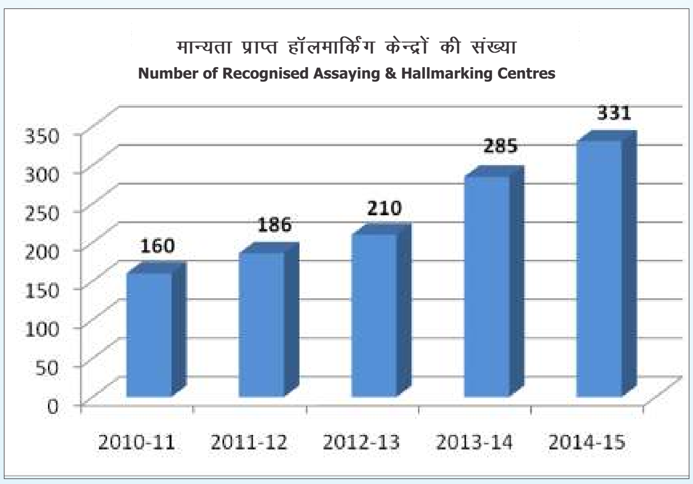

(iii) Promotion of Hallmarking

To promote hallmarking in the country for effective consumer protection in gold jewellery trade, awareness programmes for jewellers are organized by BIS through its various Regional and Branch offices across the country. During the year, 40 such jewellers' awareness programmes were organized.

प्रबंध पद्धति प्रमाणन

प्रबंध पद्धतियों के संगत अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय मानकों के अनुसार भामाब्यूरो ने स्थिर गति से निम्नलिखित प्रमाणन सेवाएँ प्रदान करना जारी रखा।

क) आईएस/आईएसओ 9001:2008 के अनुसार गुणता प्रबंध पद्धति (क्यूएमएस) प्रमाणन योजना

भामाब्यूरो गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना (क्यूएमएससीएस) सितम्बर 1991 में आरंभ की गई थी। यह योजना आईएसओ/आईईसी 17021 'अनुरूपता मूल्यांकन – प्रबंध पद्धतियों का ऑडिट करने वाले और प्रमाणन प्रदान करने वाले निकायों की अपेक्षाओं' के अनुसार प्रचालित की जाती है।

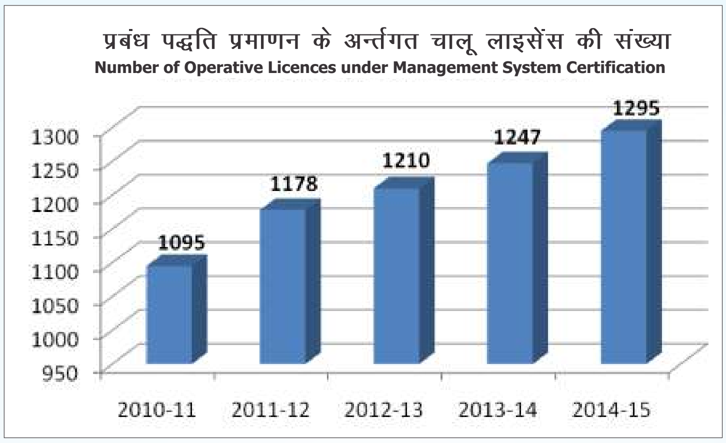

वर्ष के दौरान 53 गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस स्वीकृत किए गए। इस प्रकार 31 मार्च 2015 को प्रचालित लाइसेंसों की कुल संख्या 905 हो गई। इनमें रसायन, धातु एवं धातु उत्पाद, सीमेंट, निर्माण, डेयरी संयंत्र, शिक्षा, विद्युत उत्पादन, इंजीनियरिंग सेवाएं, खनन, मशीनरी, पैट्रोलियम,प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल, वस्त्रादि और सेवा क्षेत्र जैसे वित्तीय क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, बीमा, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, परिवहन इत्यादि औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं।

ख) आईएस/आईएसओ 14001:2004 के अनुसार पर्यावरण प्रबंध प्रमाणन (ईएमएस) पद्धति योजना

भामाब्यूरो ने आईएस/आईएसओ 14001 के अनुसार पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना (ईएमएस) प्रारंभ की । यह भी आईएसओ/आईईसी 17021 में निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार प्रचालित है। अप्रैल 2014–2015 के दौरान 27 नए ईएमएस लाइसेंस प्रदान किए गए जिससे प्रचालन लाइसेंसों की संख्या 207 हो गई। इन लाइसेंसों में एकीकृत इस्पात संयंत्र, ताप बिजली संयंत्र, विमान उद्योग, परमाणु बिजली घर, वैगन वर्कशाप, फार्मस्यूटिकल, मशीनरी, खनन, लोक प्रशासन इत्यादि शामिल हैं।

ग) आईएस/आईएसओ 18001:2007 के अनुसार व्यवसाय में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति (ओएचएसएमएस) प्रमाणन योजना

भामाब्यूरो ने आईएस 18001 : 2007 के अनुसार व्यवसाय में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन पद्धति (ओएचएसएमएस) प्रमाणन योजना आरंभ की थी। इससे कोई संगठन अपनी गतिविधियों से प्रभावित होने वाले उसके कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करने के लिए ऐसे महत्त्वपूर्ण खतरों और जोखिमों से जुड़ी

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

BIS continued to provide the following Management Systems Certification services as per the corresponding standards and there has been a steady growth.

a) Quality Management System (QMS) Certification Scheme as per IS/ISO 9001:2008

BIS Quality Management System Certification Scheme (QMSCS) was launched in September 1991. The Scheme is being operated in accordance with standard ISO/IEC 17021 'Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems'.

During the year, 53 Quality Management System Certification licences were granted. As on 31 March 2015 the total number of operative licenses were 905, covering industrial sectors such as chemicals, metal and metal products, cement, construction, dairy plants, education, electricity generation, engineering services, mining, machinery, petroleum, plastic, pharmaceuticals, textiles, and service sector such as financial sector, health sector, insurance, information technology, telecommunications, transport etc.

b) Environmental Management System (EMS) Certification Scheme as per IS/ISO 14001:2004

The Environmental Management System (EMS) Certification Scheme was launched by BIS as per IS/ISO 14001. It is also operated as per the International criteria laid down in ISO/IEC 17021. During 2014-15, 27 new EMS licenses were granted making the total number of operative licenses to 207. These licenses cover technology areas like integrated steel plants, thermal power plants, aeronautical industries, atomic power, wagon workshops, pharmaceuticals, machinery, mining, public administration etc.

c) Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) Certification Scheme as per IS 18001:2007

BIS launched Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) Certification Scheme as per IS 18001:2007, which essentially enables an organization to define, plan and manage policies and objectives, taking into account the legislative requirements and the

विधायी अपेक्षाओं एवं जानकारी को ध्यान में रखते हुए नीति और उद्देश्य तय कर सकता है, योजना बना सकता है, और प्रबंधन कर सकता है, जिन खतरों और जोखिमों को संगठन नियंत्रित कर सकता हो और जिनका प्रभाव कर्मचारियों पर पड़ने की संभावना है। वर्ष के दौरान 13 ओएचएसएमएस लाइसेंस प्रदान किए गए। इस प्रकार 31 मार्च 2015 को कुल प्रचालित लाइसेंसों की संख्या 87 हो गई। इन लाइसेंसों में ताप बिजली संयंत्र, सिरेमिक उद्योग, साइकिल उद्योग, गैस पॉवर स्टेशन और स्वास्थ्य सेवाएं तथा कर्मचारी विकास केन्द्र, वस्त्रादि, प्लास्टिक, सीमेंट, निर्माण, विद्युत एवं दूरसंचार केबल, पैट्रोलियम रिफाइनरी, कीटनाशक, औद्योगिक और विस्फोटक रसायन, रेलवे आदि शामिल हैं।

घ) खाद्यजनित हानि विश्लेषण तथा क्रांतिक नियंत्रण बिन्दु (एचएसीसीपी) योजना

भा.मा.ब्यूरो आई.एस. 15000 के अनुसार स्टैंड एलोन एचएसीसीपी प्रमाणन योजना भी प्रदान करता है। 31 मार्च 2015 को 2 एचएसीसीपी स्टैंड एलोन लाइसेंस तथा 38 क्यूएमएस के साथ एकीकृत 38 लाइसेंस प्रचालन में थे।

ड) आईएस/आईएसओ 22000:2005 के अनुसार खाद्य निरापदता प्रबंध पद्धति (एफएसएमएस) प्रमाणन योजना

भामाब्यूरो ने आईएस/आईएसओ 22000 : 2005 के अनुसार खाद्य सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना (एफएसएमएस) प्रारंभ की थी। इस पद्धति को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि खाद्य श्रृंखला में आने वाले सभी प्रकार के संगठन खाद्य निरापदता प्रबंध पद्धति को क्रियान्वित कर सकते हैं। 31 मार्च 2015 को 10 लाइसेंस प्रचालन में थे।

च) आईएस 15700:2005 के अनुसार सेवा गुणता प्रबंध पद्धति (एसक्यूएमएस) प्रमाणन योजना

सेवा गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन (एसक्यूएमएस) योजना अप्रैल 2007 में आरंभ की गई थी। यह आईएस 15700 : 2005 'गुणता प्रबंध पद्धतियां – जन सेवा संगठनों द्वारा सेवा देने की गुणता अपेक्षाएँ' पर आधारित है। यह मानक एक्रोस द काउंटर गुणता सेवा की सुपुर्दगी पर बल देता है। जो संगठन इस मानक को कार्यान्वित कर रहे हैं उन्हें भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। 2014–15 अवधि के दौरान 17 नए लाइसेंस स्वीकृत किए गए। 31 मार्च 2015 को कुल 40 लाइसेंस प्रचालन में थे।

छ) आईएस 50001 : 2011 के अनुसार ऊर्जा प्रबंध पद्धति (ईएनएमएस) प्रमाणन योजना

भामाब्यूरो ने आईएस 50001 : 2011 के अनुसार ऊर्जा प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना 2013 में प्रारंभ की । किसी भी संगठन में इस योजना के कार्यान्वयन से उस संगठन को आवश्यक रूप से अनुकूलतम ऊर्जा प्राप्त होती और उपयोगीकरण, जिसके द्वारा ऊर्जा खर्च न्यूनतम करने तथा पर्यावरण संबंधी प्रभावों को कम करने में सहायता मिलती है। 31 मार्च 2015 को प्रचालन में 06 ईएनएमएस लाइसेंस प्रचालन में थे ।

information about significant hazards and risks, which the organization can control and over which it can be expected to have an influence, to protect its employees and others, whose health and safety may be affected by the activities of the organization. During the year, 13 OHSMS licenses were granted making the total operative licenses to 87 as on 31 March 2015. The licenses cover technology areas like thermal power plants, ceramic industry, cycle industry, gas power station, health services and employee development centres, textiles, plastic, cement, construction, electrical and telecommunication cables, petroleum refinery, insecticides, industrial and explosive chemicals, railways etc.

d) Hazards Analysis and Critical Control Point (HACCP) Scheme

BIS also offers a standalone HACCP Certification Scheme as per IS 15000. As on 31 March 2015, 02 HACCP stand-alone licences and 38 licences integrated with QMS, were in operation.

e) Food Safety Management System (FSMS) Certification Scheme as per IS/ISO 22000:2005

BIS has launched Food Safety Management System (FSMS) as per IS/ISO 22000:2005. This system is designed to allow all types of organization within the food chain to implement a food safety management system. As on 31 March 2015, 10 FSMS licences were in operation.

f) Service Quality Management System (SQMS) Certification Scheme as per IS 15700:2005

The Service Quality Management System (SQMS) Certification was launched by BIS in April 2007, based on the Indian Standard IS 15700:2005. This standard focuses on delivery of quality service across the counter by Public Service Organisations. Further, the organizations implementing this standard can be certified by BIS. During the period 2014-15, 17 new licenses were granted. As on 31 March 2015, total number of operative licenses were 40.

g) Energy Management System (EnMS) Certification Scheme as per IS 50001:2011

BIS launched the Energy Management Systems Certification Scheme as per IS/ISO 50001 in 2013. Implementation of this scheme essentially enables an organization to achieve and maintain optimum energy procurement and utilization, throughout the organization thereby minimizing energy costs and mitigating environmental effects. As on 31 March 2015, 06 EnMS licences were in operation.

ज) क्यूएमएस और ईएमएस का प्रत्यायन

भामाब्यूरो का गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन और पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजनाएं प्रमाणन निकायों का राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीसीबी) के कार्यान्वयन पर विभिन्न सार्वजनिक सेवा सरकारी संगठनों में व्याख्यान दिए गए । विदेश मंत्रालय और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली के साथ बैठकें भी आयोजित की गईं । उद्योग के बीच ऊर्जा प्रबंध पद्धति (ईएनएमएस) के संवर्धन के भाग के रूप में क्षेत्रीय लाइसेंसधारियों की बैठकों के साथ ईएनएमएस पर जागरूकता कार्यक्रम चंडीगढ़, नई दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई और चेन्नई में आयोजित किए गए।

झ) प्रबंध पद्धति प्रमाणन का संवर्धन

विभिन्न सार्वजनिक सेवा सरकारी संस्थानों में आईएस 15700 के अनुसार सेवा गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन(एसक्यूएमएस) के कार्यान्वयन पर व्याख्यान दिए गए । विदेश मंत्रालय और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली के साथ बैठकों का आयोजन भी किया गया। चंडीगढ़, नई दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई तथा चेन्नई में ऊर्जा प्रबंध पद्धति (ईएनएमएस) के संवर्धन के भाग के रूप में ईएनएमएस में जागरूकता कार्यक्रम क्षेत्रीय लाइसेंसधारियों की बैठकों के साथ आयोजित किए गए ।

ञ) ऑडिटरों की बैठकें

इस अवधि के दौरान 05 ऑडिटरों की बैठकें आयोजित की गईं, जो मध्य क्षेत्रीय कार्यालय, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालयों – प्रत्येक में एक बैठक आयोजित की गई। इन बैठकों में पद्धति प्रमाणन ऑडिट करने के लिए पंजीकृत बाहरी ऑडिटरों और भामाब्यूरो के अधिकारियों ने भाग लिया ।

लाइसेंसधारियों की समीक्षा बैठक

भामाब्यूरो लाइसेंसधारियों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य के लिए तथा प्रबंध पद्धति लाइसेंसधारियों की समीक्षा तथा भामाब्यूरो की सेवाओं के बारे में लाइसेंसधारियों से फर्स्टहैंड प्रत्यक्ष फीडबैक प्राप्त करने के लिए प्रबंध पद्धति लाइसेंसधारियों की 5 समीक्षा बैठकें मध्य क्षेत्रीय कार्यालय, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय और पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित की गई।

h) Accreditation of QMS and EMS

The Quality Management systems Certification and the Environmental Management Systems Certification Schemes of BIS are accredited by the National Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB), Quality Council of India.

i) Promotion of Management Systems Certification:

Lectures were delivered on implementation of Service Quality Management Systems Certification (SQMS) as per IS 15700 in various public service government organizations. Meetings were also conducted with the Ministry of External Affairs and Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, New Delhi. As a part of promotion of Energy Management System (EnMS), awareness programmes on EnMS along with regional licensee meets were conducted in Chandigarh, New Delhi, Kolkata, Mumbai and Chennai.

j) Auditors' Meet

During the period, 05 Auditors' Meets were organized, one each by the Central Regional Office, Eastern Regional Office, Northern Regional Office, Southern Regional Office and Western Regional Office. These meets were attended by external auditors and BIS officers, registered for carrying out system certification audit.

k) Licensees' Review Meet

For the purpose of creating awareness and to receive first hand feedback about BIS services from the licensees, 05 Management Systems Licensees Review Meetings were organized, one each by the Central Regional Office, Eastern Regional Office, Northern Regional Office, Southern Regional Office and Western Regional Office.

(कोलकाता में आयोजित प्रबंध पद्धति लाइसेंसधारियों की समीक्षा बैठक)

Management System Licensees Review Meeting organized at Kolkata

अंतर्राष्ट्रीय तथा तकनीकी सूचना सेवाएं

अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) एक स्वतंत्र गैर सरकारी सदस्यता वाला संगठन है और यह विश्व में स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय मानकों का सबसे बड़ा विकासकर्ता है । भामाब्यूरो, आईएसओ का संस्थापक सदस्य है और विभिन्न तकनीकी समितियों, उपसमितियों, कार्यकारी समूह इत्यादि में सहभागी (पी) सदस्य अथवा पर्यवेक्षक(ओ) सदस्य के रुप में कार्य करके अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विकास में सक्रिय रूप में कार्यरत है। मार्च 2015 को भामाब्यूरो, आईएसओ की 416 तकनीकी समितियों/ उपसमितियों का 'पी' सदस्य था और आईएसओ की 247 तकनीकी समितियों/उपसमितियों का 'ओ' सदस्य था। भामाब्यूरो आईएसओ की नीति बनाने वाली विभिन्न समितियों की बैठकों में भी भाग लेता है और वर्तमान में आईएसओ तकनीकी प्रबंध बोर्ड (आईएसओ टीएमबी) का सदस्य है, जो आईएसओ में मानकीकरण के संदर्भ में विभिन्न नीति संबंधी मामले देखती है । भामाब्यूरो के पास आईएसओ की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण समितियों का सचिवालय भी है, जिनसे भारत का व्यापारिक हित जुड़ा है ।

अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी संगठन (आईईसी) की स्थापना 1906 में हुई थी और यह सभी विद्युत, इलैक्ट्रानिक तथा संबद्ध प्रौद्योगिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक तैयार करने और प्रकाशित करने वाला अग्रणी संगठन है । भारत आईईसी में आईईसी की भारतीय राष्ट्रीय समिति के माध्यम से प्रतिनिधित्व करता है, भामाब्यूरो के महानिदेशक जिसमें अध्यक्ष हैं । राष्ट्रीय समिति के अन्य सदस्य, भारत में इलैक्ट्रो–प्रौद्योगिकी के विभिन्न स्टेकहोल्डरों के प्रतिनिधि हैं। मार्च 2015 तक आईईसी की 74 तकनीकी समितियों/ उपसमितियों में भारत 'पी' सदस्य है तथा आईईसी की 79 तकनीकी समितियों/उपसमितियों में 'ओ' सदस्य था । अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विकास में भामाब्यूरो की ऐसी भागीदारी से भारतीय व्यापार और उद्योग के हितों के संरक्षण में मदद मिलती है। आईईसी की भारतीय राष्ट्रीय समिति, आईईसी के मानकीकरण प्रबंध बोर्ड की सदस्य है, जो आईईसी के मानकीकरण से संबंधित नीति संबंधी मामलों को देखती है ।

भा मा ब्यूरो मानकीकरण, परीक्षण, प्रमाणन प्रशिक्षण इत्यादि संबंधी क्षेत्रीय एवं द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रमों में भी सक्रियता से शामिल हुआ । अब तक भा मा ब्यूरो ने 26 देशों के राष्ट्रीय मानक निकायों से समझौता ज्ञापन (एमओयू)/परस्पर मान्यता करार (एमआरए) पर हस्ताक्षर किए हैं । भामाब्यूरो ने सार्क देशों के लिए सार्क सदस्य राज्यों की सरकारों द्वारा बनाये गए क्षेत्रीय निकाय सार्क मानक संगठनों के माध्यम से सार्क देशों के लिए अनुरुपता मूल्यांकन योजनाओं पर क्षेत्रीय मानकों के निर्धारण और कार्यान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाई है । इस संबंध में सितम्बर 2014 के दौरान नई दिल्ली में एएआरएसओ की क्षेत्रीय तकनीकी समितियों की तीन बैठकों का आयोजन किया।

INTERNATIONAL AND TECHNICAL INFORMATION SERVICES

International Organization for Standardization (ISO) is an independent, non-governmental membership organization and the world's largest developer of voluntary International Standards. BIS is a founder member of ISO and is actively involved in development of International Standards by acting as Participating (P) member or Observer (O) member on various Technical Committees, Sub-Committees, Working Groups, etc. As on March 2015, BIS was a 'P' member in 416 Technical Committees/ Subcommittees of ISO, and 'O' Member in 247 Technical Committees/ Subcommittees of ISO. BIS also participates in various policy-making committees of ISO and is presently a member of the ISO Technical Management Board (ISO TMB) which deals with policy related matters w.r.t Standardisation in ISO. BIS holds the secretariat of some important ISO Committees dealing with subjects that are of trade interest to India.

International Electro-technical Commission (IEC) was founded in 1906 and is the world's leading organization for the preparation and publication of International Standards for all electrical, electronic and related technologies. India is represented in IEC through the Indian National Committee of IEC in which DG, BIS is the President. The other members of the National Committee represent the various stakeholders of electro-technology activity in India. As on March 2015, India was 'P' member in 74 Technical Committees/ Subcommittees of IEC, and 'O' Member in 79 Technical Committees/ Subcommittees of IEC. Such participation by BIS in the development of International Standards helps in protecting the interests of Indian trade and industry. Indian National Committee of IEC is a member of Standardisation Management Board of IEC, which deals with policy related matters concerning Standardisation in IEC.

BIS was also actively involved in the Regional and Bi-lateral Co-operation Programmes pertaining to standardization, testing, certification, training etc. So far, BIS has signed Memorandum of Understanding (MoU)/Mutual Recognition Agreements (MRA) with national standards bodies of 26 countries. BIS played an active role in formulation and implementation of regional standards on conformity assessment scheme for the SAARC countries through the regional body SAARC Standards Organisation created by Governments of SAARC member states. In this regard 3 meetings of Sectoral Technical committees of SARSO were conducted at New Delhi during September 2014.

डब्ल्यूटीओ–टीबीटी मामले

भामाब्यूरो ने डब्ल्यूटीओ–टीबीटी पूछताछ बिंदु के रुप में अपनी गतिविधियां जारी रखीं । भामाब्यूरो ने राष्ट्रीय हित के विभिन्न मामलों पर वाणिज्य मंत्रालय एवं उद्योग के साथ परस्पर संपर्क कार्य किया। राष्ट्रीय एवं अन्य देशों, दोनों के मानकों एवं अनुरुपता मूल्यांकन पद्धतियों संबंधी सभी समुचित पूछताछों का उत्तर दिया।

भामाब्यूरो के वाणिज्य विभाग, भारत सरकार और सी आई आई की भागीदारी से 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मानकों की भूमिका, चुनौतियां, अवसर और मुद्द' विषय पर नई दिल्ली में अप्रैल 16–17, 2014 को मानक कान्कलेव का आयोजन किया ।

आईएसओ में सहभागिता

● 8–12 सितम्बर 2014 के दौरान आईएसओ महासभा तथा संबद्ध बैठकों में रियो डी जेनेरियो में 4 सदस्यीय भारतीय शिष्टमंडल ने भाग लिया । इस अवधि के दौरान शिष्ट मंडल ने एसएमई पर एसएबीआरएई संगोष्ठी, डेवको बैठकों तथा आईएसओ महासभा में सक्रिय रुप से भाग लिया । इस शिष्ट मंडल ने 10 सितम्बर 2014 को पीएएससी कार्यकारिणी की बैठक में भी भाग लिया । नई दिल्ली में पीएसी की अगली बैठक कार्यसूची का प्रस्ताव भी भारतीय शिष्ट मंडल ने रखा, जिसे पीएएससीईसी ने सिद्धांततः अनुमोदित किया । शिष्टमंडल ने सीईएन–सीईएनईएलईसी, यूरोप तथा जीआईएससी, जापान के साथ प्रासंगिक बैठकों में भी भाग लिया, जिनमें मानक और अनुरुपता मूल्यांकन के क्षेत्र से संबंधित पारस्परिक सहयोग से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया ।

● भामाब्यूरो आईएसओ तकनीकी प्रबंध बोर्ड (टीएमवी) में तीन वर्ष, अर्थात् 1 जनवरी 2013 से 31 दिसम्बर 2015 के लिए चुना गया है । भामाब्यूरो ने क्रमशः जेनेवा में 3–5 जून 2014, ब्राजील में 8–9 सितम्बर 2014 तथा मियामी, एफएल, यूएसए में 23–24 फरवरी 2015 में हुई आईएसओ तकनीकी प्रबन्ध बोर्ड (टीएमबी) की 60वीं, 61वीं तथा 62वीं बैठक में भाग लिया । इन बैठकों में आईएसओ के कार्य में विकासशील अर्थव्यवस्था की सहभागिता बढ़ाना, बौद्धिक संपदा अधिकार, आईएसओ की नीतिगत योजना 2016–20, आई एस ओ की कार्यकारिता उपलब्धियों की समीक्षा, आई एस ओ तकनीकी समिति की स्थापना से संबंधित मामलों, आई एस ओ मार्गदर्शिका का पुनरीक्षण इत्यादि जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर विचार–विमर्श हुआ । आईएसओ तकनीकी समिति/उपसमितियां इसके उल्लेखनीय योगदान और उत्कृष्ट कार्यकारिता के लिए दिए जाने वाले एल. डी. आयशर लीडरशीप एवार्ड पर निर्णय लेने के लिए बनी समिति में भामाब्यूरो को एक सदस्य के रुप में नामित किया गया।

WTO-TBT Matters

BIS continued its activities as the WTO / TBT Enquiry Point. BIS worked in close interaction with the Ministry of Commerce and Industry on various issues of national interest. All valid queries pertaining to Standards and Conformity Assessment systems, both national and of other countries were replied.

BIS in partnership with Department of Commerce, Govt. of India, and CII organized a Standards Conclave on 'Role of Standards in International Trade: Challenges, Opportunities and Issues' on April 16-17, 2014 at New Delhi.

Participation in ISO

● A four member Indian delegation attended the 'ISO General Assembly' and related meetings at Rio-de-Janeiro during 8 - 12 September 2014. The delegation actively participated in the SABRAE Seminar on SMEs, DEVCO meeting and the ISO General Assembly held during this period. The delegation also participated in PASC Executive Committee Meeting on 10 Sep 2014. The agenda for the next PASC Meeting to be held in New Delhi was proposed by the Indian delegation which was approved in principle by the PASC EC. The delegation also had sideline meetings with CEN-CENELEC, Europe and JISC, Japan wherein matters relating to mutual co-operation in the field of Standards and conformity assessment were discussed.

● BIS has been elected to the ISO Technical Management Board (TMB) for three years i.e. 1 Jan 2013 to 31 Dec 2015. BIS attended the 60th, 61st and 62nd meeting of ISO Technical Management Board (TMB) held at Geneva during 3-5 June 2014, Brazil during 8-9 Sep 2014 and Miami, FL, USA during 23-24 Feb 2015 respectively. During these meetings important issues such as increasing participation of developing economies in ISO work, Intellectual Property rights, ISO Strategic Plan 2016-20, reviewing performance/achievements of ISO, matters relating to establishment of ISO technical committees, revision of ISO guides etc were discussed. BIS was nominated as a member on the Committee to finalize the L.D. Eicher Leadership Award given to the ISO Technical Committee/Sub Committee for its significant contribution and superior performance.

(आईएसओ/टीसी 229 नेनोटेक्नोलॉजी की 17वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई।)

17th Meeting of ISO TC 229 'Nanotechnologies', organized at New Delhi

- **आईएसओ/टीसी 229 'नैनोटेक्नोलॉजी'**

आईएसओ टीसी 229 नैनोटेक्नोलॉजी की 17वीं बैठक 3–7 नवम्बर 2014 में नई दिल्ली में हुई, जिसकी भामाब्यूरो और राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने संयुक्त रुप से इसकी मेजबानी की थी । इस बैठक में 25 विभिन्न देशों के लगभग 140 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नैनोटेक्नोलॉजी–चुम्बकीय नैनोपार्टिकल, अभिलक्षण तथा मापक के द्रव निलम्बन के विषय पर बैठक में व्यापक चर्चा हुई।

आईईसी में सहभागिता

- पांच सदस्यीय भारतीय शिष्टमंडल ने 10–14 नवम्बर 2014 के दौरान टोक्यो, जापान में आयोजित आईईसी जीएम 2014 में भाग लिया। आईईसी बैठकों के अलावा आईईसी महासचिव, मानकों तथा अनुरुपता मूल्यांकन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से आईईसी सेन्ट्रल आफिस अधिकारियों, जर्मन शिष्टमंडल तथा द सीईएन/सीईएनईएलएसी के शिष्टमंडल के साथ प्रासंगिक बैठकों का आयोजन भी किया गया ।
- आईईसी की भारतीय राष्ट्रीय समिति द्वारा नामित प्रतिनिधि आईईसी मानकीकरण प्रबंध बोर्ड (एसएमबी) के सदस्य के रूप में चुना गया यह 2015 –2017 की अवधि के लिए आईईसी का शीर्ष निकाय है।

आईएसओ/आईईसी तकनीकी समिति की बैठकों में सहभागिता

- भामाब्यूरो की तकनीकी समितियों के सदस्यों ने आईएसओ/आईईसी की विभिन्न तकनीकी समितियों की बैठकों में भाग लिया और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विकास में प्रभावी रुप से योगदान दिया।

क्षेत्रीय सहयोग कार्यक्रम में सहभागिता

भामाब्यूरो ने निम्नलिखित क्षेत्रीय सहयोग कार्यक्रमों में भाग लिया :

- भामाब्यूरो के शिष्टमंडल ने 5–9 मई 2014 के दौरान कुआलालम्पुर, मलेशिया में आयोजित 37वीं पेसिफिक एरिया स्टैण्डर्डस कांग्रेस (पीएएससी) की बैठक में भाग लिया। पीएएससी सदस्यों में से 19 अन्य राष्ट्रीय मानक निकायों के प्रतिनिधियों के साथ भामाब्यूरो ने भाग लिया। आईएसओ, आईईसी, आईटीयू तथा सीओपीएएनटी, एसीसीएसक्यू, एपीएलएसी तथा पीएसी जैसे अन्य राष्ट्रीय निकायों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया ।
- मानक हेतु व्यापार सुविधा, तकनीकी विनियमों तथा अनुरुपता मूल्यांकन पर 4–5 सितम्बर 2014 के दौरान रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में आईबीएसए समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के लिए भविष्य की कार्यवाही की समीक्षा और विचार विमर्श करने के लिए आईबीएसए गुणता अवसंरचना संगठन की चौथी बैठक में तीन सदस्य भारतीय शिष्टमंडल ने भाग लिया ।
- भामाब्यूरो ने नई दिल्ली में 21–26 सितम्बर 2014 के दौरान निम्नलिखित सार्क सेक्टोरल तकनीकी समिति (एसटीसी) की बैठकों का आयोजन किया :

i) खाद्य एवं कृषि उत्पादों पर एसटीसी की चौथी बैठक

- **ISO/TC 229 'Nanotechnologies'**

The 17th Meeting of ISO/TC 229, Nanotechnologies was held at New Delhi from 3-7 November 2014, jointly hosted by BIS and National Physical Laboratory. The meeting was attended by about 140 delegates from 25 different countries. The subject of Nanotechnology – 'Liquid Suspension of Magnetic Nanoparticles, Characteristic and Measurement', was discussed at length in the meeting.

Participation in IEC

- A five member Indian delegation participated in the IEC GM 2014 during 10-14 November 2014 at Tokyo, Japan. Apart from IEC meetings, sideline meetings with IEC General Secretary, IEC Central office officers, German delegation and the CEN/CENELAC delegation were held with a view to enhance bi-lateral co-operation in the fields of standards and conformity assessment.
- A representative, nominated by the Indian National committee of IEC was elected as member of IEC Standardization Management Board (SMB) which is the apex body of IEC for the period 2015-2017.

Participation in ISO / IEC Technical Committee Meetings

- Members of technical committees of BIS participated in various ISO/IEC Technical Committees and contributed effectively in the development of various International Standards.

Participation in Regional Co-operation Programmes

BIS participated in the following regional co-operation programmes:

- A delegation from BIS attended 37th Pacific Area Standards Congress (PASC) meeting during 5-9 May 2014, in Kuala Lumpur, Malaysia. BIS along with representatives of 19 other national standards bodies of the PASC members participated in the meeting. Representatives from the ISO, the IEC, the ITU and other regional bodies such as COPANT, ACCSQ, APLAC and PAC also attended the meeting.
- A three member Indian delegation participated in the fourth meeting of IBSA Quality Infrastructure Organization to review and discuss future actions for implementation of the IBSA MoU on Trade Facilitation for Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment at Rio-de-Janeiro, Brazil during 4-5 Sep 2014.
- BIS organized the following SAARC Sectoral Technical Committee (STC) meeting during 21-26 Sep 2014 at New Delhi:

i) Fourth meeting of STC on Food and Agriculture Products,

ii) रसायन तथा रासायनिक उत्पादों पर एसटीसी की पहली बैठक

iii) विद्युत, इलैक्ट्रानिक्स, दूरसंचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी पर

एसटीसी की पहली बैठक

भारत ने सार्क देशों के बीच सहयोग और मानकीकरण गतिविधि, जो इस क्षेत्र में व्यापार को सुकर बनाने के माध्यमों में से एक है, को सक्रिय रुप से जारी रखा है । बैठक के दौरान पहचान किए गए विषयों, जो समिति के विषय क्षेत्र के अंतर्गत हैं, पर सदस्य देशों के राष्ट्रीय मानकों के सुमेलन के माध्यम से एसएआरएसओ मानक निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।

(खाद्य एवं कृषि उत्पादों पर सार्क सेक्टोरल तकनीकी समिति की चौथी बैठक)
4th meeting of SAARC Sectoral Technical Committee on Food and Agriculture Products

ii) First meeting of the STC on Chemical and Chemical Products,

iii) First meeting of STC on Electrical, Electronics Telecom and IT,

India has been actively pursuing the co-operation among SAARC countries and the standardization activity is one of the means to facilitate trade within the region. During the meetings, it was decided to formulate SARSO standards on the identified subjects, covered under the scope of the Committee, by harmonizing National Standards of Member Countries.

द्विपक्षीय सहयोग में सहभागिता

- भामाब्यूरो ने वाणिज्य मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के लिए घनिष्ठ संपर्क रखते हुए जर्मनी, जापान, बंगलादेश, रूस, ओमान, स्लोवा, ताईवान, किर्गिस्तान जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग की दिशा में कार्य करना जारी रखा ।

- इंडो–जर्मन द्विपक्षीय सहयोग के अंतर्गत खिलौनों की निरापदता और अनुरूपता मूल्यांकन, मानकीकरण और सहयोग के अन्य विषयों के साथ–साथ पहचाने गए क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच व्यापार आसान बनाने के लिए भारतीय मानकों और डीआईएन मानकों में अंतराल की पहचान करने के लिए अंतराल विश्लेषण किया गया है ।

- **वर्ष के दौरान निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए :**

- 29 अक्टूबर 2014 को भामाब्यूरो और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, ओमान सलतनत, जिसका प्रतिनिधित्व स्टैण्डर्डस एंड मैट्रॉलोजी सल्तनत के महानिदेशक (डीजीएसएम) कर रहे थे, द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए । इस समझौता ज्ञापन के विषय क्षेत्र में मानकीकरण, गुणता, अनुरूपता तथा प्रमाणन को सुदृढ़ करने के आम उद्देश्य की दिशा में घनिष्ठ सहयोग

Participation in Bilateral Co-operation Programmes

- BIS continued to work towards closer bi-lateral co-operation with countries such as Germany, Japan, Bangladesh, Russia, Oman, Slovak, Taiwan, Kyrgyzstan in close association with the Ministry of Commerce and the Ministry of External Affairs.

- Under the Indo-German bilateral cooperation in the area of standardization and conformity assessment safety of toys has been identified as one of the areas along with other subjects for co-operation. Gap analysis has been done to identify gaps in Indian standards and DIN standards and regulation to facilitate trade in this area between the two countries.

- **The following Memorandum of Understanding (MoU's) were signed during the year:**

- A MoU was signed between BIS and The Ministry of Commerce and Industry, Sultanate of Oman represented by the Directorate General for Standards and Metrology (DGSM), Sultanate of Oman on 29 October 2014. The scope of this MoU is to facilitate closer co-operation towards the common aim of strengthening standardization, quality,

भामाब्यूरो, भारत तथा डीजीएसएम ओमान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
Signing of MoU between BIS, India and DGSM, Oman

बढ़ाना शामिल है । इस समझौता ज्ञापन के विषय क्षेत्र में मापन और परीक्षण गतिविधियों और पारस्परिक व्यापार, आर्थिक और औद्यागिक विकास के हितों में विशेषज्ञता शेयर करना तथा व्यापार में तकनीकी बाधाओं को हटाना भी शामिल है ।

● भामाब्यूरो पारम्परिक रूप से आईएसओ और आईईसी के मानकों को अपनाता रहा है, किंतु स्टेकहोल्डरों के अनुरोध पर भामाब्यूरो ने अब आवश्यकता के आधार पर विशिष्ट क्षेत्रों में अन्य अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठनों (एसडीओ) के मानकों को अपनाने का निर्णय लिया है । इस संदर्भ में भामाब्यूरो ने 21 जनवरी 2015 को इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलैक्ट्रोनिक्स इंजीनियर्स, यूएस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ।

• भामाब्यूरो और जैपनीज इंडस्ट्रियल स्टैण्डर्डस कमेटी (जेआईएससी) के बीच वर्तमान समझौता ज्ञापन के अंतर्गत जैपनीज स्टैण्डर्डस एसोसिएशन (जेएसए/जेआईएससी), जापान के शिष्टमण्डल ने अपने युवा स्टाफ सदस्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 03–05 नवम्बर 2014 के दौरान भामाब्यूरो का दौरा किया और भामाब्यूरो के विभिन्न विभागों के साथ विचार–विमर्श किया ।

• जैपनीज शिष्टमंडल ने सहयोग ज्ञापन (एमओसी) और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार–विमर्श की गतिविधि आरंभ करने के लिए 26 मई 2014 को भामाब्यूरो का दौरा किया ।

• ब्रिटिश स्टैण्डडर्स इंस्टीट्यूशन (बीएसआई) के मानकों के निदेशक ने 21 अक्टूबर 2014 को भामाब्यूरो का दौरा किया, जिसके दौरान मानकीकरण के क्षेत्र में भामाब्यूरो और बीएसआई के बीच सहयोग पर विचार–विमर्श हुआ ।

तकनीकी सूचना सेवायें

भामाब्यूरो उद्योग, आयातकों, निर्यातकों, व्यक्तियों और सरकारी एजेंसियों को उनकी पूछताछ के उत्तर में तकनीकी सूचना सेवा देता है। वर्ष के दौरान इस प्रकार की 400 से अधिक पूछताछों का उत्तर दिया गया है।

पहचान संख्या की स्पोंसरशिप

क) जारीकर्ता पहचान संख्या (आईआईएन)

अंतर्राष्ट्रीय मानक आईएसओ/आईईसी 7812 – 1 अंतर्राष्ट्रीय और/तथा अंतर उद्योग विनिमय में प्रयोग के लिए पहचान कार्डों के जारीकर्ता की पहचान के लिए एक नंबरिंग सिस्टम निर्दिष्ट करता है। यह मुख्य उद्योग और कार्ड जारीकर्ता की पहचान करता है। भामाब्यूरो आईएसओ 7812 – 1 के अनुसार अमेरिकन बैंकर्स एसोसिएशन (एबीए) को बैंक/वित्तीय संगठनों के आवेदन स्पोंसर करने के माध्यम से आईआईएन जारी करना सुविधा जनक बनाता है। वर्ष के दौरान चार जारीकर्ता पहचान संख्याएं जारी की गईं।

ख) विश्व विनिर्माता पहचानकर्ता डब्ल्यूएमआई संख्या

सोसाइटी ऑफ आटोमोटिव इंजीनियर्स (एसएई), यूएसए के साथ समन्वय से भामाब्यूरो भारत में आटोमोबाइल विनिर्माता और निर्यातकों को आईएसओ 3780:1983 सड़क वाहन–विश्व विनिर्माता पहचानकर्ता (कोड) जारी करता। वर्ष के दौरान 72 डब्ल्यू एम आई कोड जारी किये गये

conformity assessment and certification. The MoU also includes in its scope measurements and testing activities and facilitate sharing of expertise in the interest of mutual trade, economic and industrial development and removal of technical barriers to trade.

● BIS, traditionally has been adopting standards of ISO and IEC. However, as requested by stakeholders, BIS has now decided to adopt Standards from other International Standards Development Organizations (SDOs) in specific areas based on the need. In this respect, BIS has signed an MoU with the Institute of Electrical and Electronics Engineers, US on 21 January 2015.

● Under the existing MoU between BIS and Japanese Industrial Standards Committee (JISC), Japan delegation from Japanese Standards Association (JSA)/ JISC Japan, visited BIS during 03-05 Nov 2014 under their Young staff member training programme and held discussions with various departments of BIS.

● A Japanese delegation visited BIS on 26 May 2014 for initiation of activation of the Memorandum of Co-operation (MoC) and discussions on other bilateral issues.

● Director of Standards, British Standards Institution (BSI) visited BIS on 21 Oct 2014 during which discussions were held regarding co-operation between BIS and BSI in the field of standardization.

TECHNICAL INFORMATION SERVICES

BIS provides Technical Information Services to industry, importers, exporters, individuals and government agencies in response to their enquiries. More than 400 such enquiries were responded during the year.

Sponsorship of Identification Numbers

(a) Issuer Identification Number (IIN)

The International Standard ISO/IEC 7812-1 specifies a numbering system for the identification of issuers of the identification cards used in International and/ or inter-industry interchange. It identifies the major industry and the card issuer. BIS facilitates issue of IIN as per ISO 7812-1 by sponsoring applications of Banks/ Financial Organizations to the American Bankers Association (ABA). Four Issuer Identification numbers were issued during the year.

(b) World Manufacturer Identifier (WMI) number

In co-ordination with the Society of Automotive Engineers (SAE), USA, BIS issues WMI Codes as per ISO 3780: 1983 Road Vehicles - World Manufacturer Identifier (Code) to automobile manufacturers and exporters in India. In all 72 WMI Codes were issued during the year.

प्रशिक्षण सेवायें

उद्योग हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा (निट्स) उद्योग जगत के लिए 53 इन–हाउस कार्यक्रम, उद्योग के लिए 7, लीड ऑडिटर पाठ्यक्रमों सहित 49 ओपन कार्यक्रम, उपभोक्ता संगठनों हेतु 4 कार्यक्रम एवं तकनीकी समिति के सदस्यों एवं मानक विकसित करने वाले संगठनों हेतु 5 कार्यक्रम आयोजित किये । इन कार्यक्रमों के माध्यम से निट्स ने लगभग 3.62 करोड़ रूपये का राजस्व अर्जित किया।

कुछ महत्वपूर्ण आयोजित किये गये कार्यक्रमों में निम्नलिखित पाठ्यक्रम शामिल थे :

क) प्रबंध पद्धति (क्यूएमएस, ईएमएस, ओएचएसएमएस) , लीड असेसर का पाठ्यक्रम, जागरूकता एवं आंतरिक ऑडिट, सेवा गुणता प्रबंध पद्धतियां

ख) प्रयोगशाला गुणता प्रबंध पद्धतियां एवं चिकित्सा प्रयोगशाला क्यूएमएस

ग) मापन अनिश्चितता

घ) आईएलसी/पीटी एवं जेड–स्कोर का आंकलन

ड) भामाब्यूरो लाइसेंसधारक एवं आवेदकों हेतु

च) मानकीकरण

विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी)

निम्नलिखित आईटीपी, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की वित्तीय सहायता से आयोजित किए गए।

क) प्रबंध पद्धति पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (01–26 सितम्बर 2014) में 15 विकासशील देशों के 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

TRAINING SERVICES

Training Programmes for Industry

During the year, National Institute of Training for Standardization (NITS) organized 53 In-house programmes, 49 Open programmes including 7 Lead Auditors courses for the industry, 4 programs for consumer organizations and 5 programs for Technical Committee Members and Standards Developing Organizations. NITS through these programme generated a revenue of around Rs. 3.62 crore.

Some of the important programs conducted included courses on:

a) Management Systems (QMS, EMS, OHSMS), Lead Assessor's courses, Awareness and Internal Audit, Service Quality Management Systems

b) Laboratory Quality Management Systems and Medical Labs QMS

c) Measurement Uncertainty

d) ILC/PT and evaluation of z-scores

e) For BIS licensees and applicants

f) Standardization

International Training Programmes (ITP) for Developing Countries

The following ITPs were organised with the financial support from Ministry of External Affairs, Government of India.

a. The 11th International Training Programme on Management Systems (01-26 September 2014), attended by 20 participants from 15 developing countries.

मानकीकरण एवं गुणता आश्वासन संबंधी 47वें आईटीपी के प्रतिभागी

Participants of 47th ITP on Standardization and Quality Assurance

ख) मानकीकरण और गुणता आश्वासन पर 47वें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (13 अक्तूबर से 5 दिसम्बर 2014) में 17 विकासशील देशों के 27 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

ग) विकासशील देशों हेतु प्रयोगशाला गुणता प्रबंध पद्धति पर पाँचवे अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (02–20 फरवरी 2015) में 19 विकासशील देशों के 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

श्रीलंका स्टैण्डर्डस इंस्टीट्यूट के विशेष अनुरोध पर नमूना लेने की तकनीक पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (31 मार्च से 04 अप्रैल 2014) आयोजित किया गया जिसमें 7 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

इन कार्यक्रमों में 33 विभिन्न देशों से कुल 77 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

भामाब्यूरो कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष के दौरान, विशेषतः भामाब्यूरो के कर्मचारियों के लिए 21 कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

क) नये भर्ती वैज्ञानिक बी के लिए इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम

ख) नये भर्ती तकनीकी सहायकों के लिए इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम

ग) नये भर्ती सहायक निदेशक (ए एंड एफ) एवं उप निदेशक (ए एंड एफ) के लिए इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम

घ) नये भर्ती कनिष्ठ आशुलिपिकों एवं निम्न श्रेणी लिपिकों के लिए इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम

ड) प्रमाणन गतिविधियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

च) हालमार्किंग एवं ए एंड एच केन्द्रों के ऑडिट संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम

छ) हालमार्किंग के ट्रैनर कार्यक्रम का प्रशिक्षण

ज) प्रत्येक क्षेत्र के अधिकारियों के लिए निवारक सतर्कता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

झ) ग एवं घ ग्रेड कर्मचारियों के लिए कुशलता उन्नयन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम

ण) अनुरूपता मूल्यांकन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम

इन कार्यक्रमों में भामाब्यूरो के 398 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। भामाब्यूरो के 33 कर्मचारियों को अन्य ओपन कार्यक्रमों में भी प्रशिक्षित किया गया।

b. The 47th International Training Programme on Standardization and Quality Assurance (13 October to 5 December 2014), attended by 27 participants from 17 developing countries.

c. 5th International Training Programme on Laboratory Quality Management System for developing countries (02-20 February 2015), attended by 30 participants from 19 developing countries.

An International Training Programme was also organized on specific request from the Sri Lanka Standards Institute on Sampling Techniques (31 March to 04 April 2014) was attended by 07 participants. .

In these programs, a total of 77 participants from 33 different countries participated.

Training Programmes for BIS Employees

During the year, 21 programmes were exclusively organized for BIS officials, which included the following:

a. Induction Training Program for newly recruited Scientists B

b. Induction Training Program for newly recruited Technical Assistants

c. Induction Training Program for newly recruited ADs(A&F) and DDs(A&F)

d. Induction Training Program for newly recruited Junior Stenos and LDCs

e. Refresher Course in Certification Activities

f. Training Programme on 'Hallmarking and Audit of A and H Centres'

g. Training of Trainers program in Hallmarking

h. Training Programme on Preventive Vigilance for officers at each region

I. Training Program on Skill up-gradation for C & D grade employees

j. Training Program on Conformity Assessment

398 BIS employees were trained in these programmes. 33 BIS employees were also trained in other open programmes.

उपभोक्ता मामले

भामाब्यूरो, केन्द्रित एवं समयबद्ध तरीके से अपने सभी स्टेकहोल्डरों को मानकीकरण एवं प्रमाणन संबंधी अपनी सेवायें एवं लाभ उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता से संबद्ध विभिन्न गतिविधियों का निपटान करता है जिनमें भामाब्यूरो के स्टेकहोल्डरों हेतु विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन, राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार एवं विश्व मानक दिवस का आयोजन शामिल है।

क) उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम –

उपभोक्ताओं के बीच मानकीकरण, प्रमाणन एवं गुणता चेतना की अवधारणा को बढ़ाने के लिए, उपभोक्ता संगठनों के सहयोग से तथा विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखा कार्यालयों के माध्यम से नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्ष के दौरान देशभर में ऐसे 292 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

ख) उद्योग हेतु जागरूकता कार्यक्रम –

उद्योगों में मानकीकरण की अवधारणा उत्पाद प्रमाणन, प्रबंध पद्धति प्रमाणन एवं अन्य भामाब्यूरो गतिविधियों को प्रचारित करने के लिए वर्ष के दौरान उद्योग जागरूकता के लिए 113 कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में व्याख्यान एवं चर्चाएं शामिल थीं। उद्योग को ध्यान आकृष्ट करने के आधार पर विशेष औद्योगिक सैक्टरों से संबद्ध मानकों पर भी प्रकाश डाला गया।

ग) मानक की शैक्षिक उपयोगिता पर कार्यक्रम –

भामा ब्यूरो मानकीकरण की अवधारणा एवं इसके लाभों को युवाओं के मस्तिष्क में बैठाने के लिए छात्रों और विद्यालय एवं कॉलेजों इत्यादि की फैकल्टी के लिए मानकों की शैक्षिक उपयोगिता (ईयूएस) पर कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। मानकीकरण के सिद्धांतों एवं व्यावहारिक रीतियों से तकनीकी संस्थानों के छात्रों को परिचित कराने की आवश्यकता एवं देश के औद्योगिक विकास में मानकीकरण की महत्ता की जरूरत भी महसूस की जा रही है। अवधि के दौरान भामाब्यूरो ने ईयूएस पर 62 कार्यक्रम आयोजित किए।

घ) विश्व मानक दिवस :

भामाब्यूरो ने विश्वव्यापी हजारों विशेषज्ञों के सार्थक प्रयासों को सराहना देने के लिए दिनांक 14 अक्तूबर 2014 को विश्व

लखनऊ में आयोजित उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम
Consumer Awareness Program Organzed at Lucknow

कानपुर में आयोजित उद्योग जागरूकता कार्यक्रम
Industry awareness program organized at Kanpur

देहरादून में आयोजित मानकों की शैक्षिक उपयोगिता पर कार्यक्रम
Educational Utilization of Standards programme organized at Dehradun

CONSUMER AFFAIRS

BIS endeavours to provide its services and the benefits of standardization and certification to all its stakeholders in a focused and time bound manner. The Consumer Affairs department handles various consumer related activities which includes organizing various awareness programmes for the stakeholders of BIS, organising Rajiv Gandhi National Quality Award and World Standards Day.

(a) Consumer Awareness Programmes:

For promoting the concept of standardization, certification and quality consciousness among consumers, awareness programmes were organized on a regular basis through various Regional and Branch Offices, some of them in association with Consumer Organizations. During the year, 292 such programmes were organized throughout the country.

(b) Industry Awareness Programmes:

To propagate the concept of standardization, product certification, management systems certification and other BIS activities amongst Industries, 113 Industry Awareness Programmes were organized during the year. These programme consisted of lectures and discussions. Standards relating to specific industrial sectors, depending on concentrations of industries in the area were also highlighted during these programmes.

(c) Educational Utilization of Standards Programmes:

BIS organizes Educational Utilization of Standards Programmes (EUS) for students and faculties of schools, colleges etc., to inculcate the young minds with the concepts and benefits of standardization. The need for familiarizing the students of technical institutions with the principles and practices of standardization is being increasingly felt due to the importance of standardization in the industrial development of our country. During the year, BIS has organized 62 EUS Programmes.

(d) World Standards Day:

BIS celebrated the World Standards Day on 14 Oct 2014 to pay tribute

मानक दिवस का आयोजन किया है जो ऐसे स्वैच्छिक तकनीकी करार विकसित करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय मानकों के रूप में प्रकाशित होते हैं। विश्व मानक दिवस का इस वर्ष का विषय 'मानक प्रतिस्पर्धा का समान अवसर देते हैं', था। मुख्यालय की संगोष्ठी का उद्घाटन माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री, भारत सरकार ने किया। इस शीर्षक पर तीन प्रतिष्ठित वक्ताओं ने अपने तकनीकी पेपर प्रस्तुत किये। भामाब्यूरो द्वारा तकनीकी संगोष्ठियां अपने क्षे.का./शा.का. एवं अपने मुख्यालय के माध्यम से देशभर में आयोजित की गईं, जिनमें काफी संख्या में प्रतिनिधियों ने इस विषय से संबद्ध विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर विचार–विमर्श किया।

ड) सार्वजनिक शिकायतें– भामाब्यूरो प्रमाणित उत्पादों से संबद्ध शिकायतों की समीक्षा की जाती है और निपटान के लिए नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाती है। वर्ष के दौरान 96 शिकायतें (ऑनलाइन एवं ऑफलाइन) प्राप्त हुईं एवं 80 शिकायतें निपटाई गईं।

च) सिटिजन चार्टर – सिटिजन चार्टर कार्यान्वित किया गया है और प्रबंध नियंत्रण रिपोर्टो के माध्यम से प्रत्येक माह, समय–सीमा की मॉनिटरिंग की जा रही है।

छ) राजीव गाँधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार (आरजीक्यूए)

उत्कृष्ट प्रयास करने के लिए विनिर्माताओं और सेवा संगठनों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 1991 में ब्यूरो द्वारा राजीव गाँधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार स्थापित किए गए। इन वार्षिक पुरस्कारों की तुलना यूएसके मैल्कम बाल्रिज राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार एवं यूरोपियन गुणता पुरस्कार सदृश अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से की जाती है। इन पुरस्कारों का मूल्यांकन लीडरशिप, नीतियों, उद्देश्यों एवं कार्यनीतियों, मानव संसाधन प्रबंध, संसाधनों, प्रक्रमण, उपभोक्ता पर केन्द्रित परिणामों, कर्मचारियों की संतुष्टि, व्यवसाय के परिणाम एवं पर्यावरण तथा समाज पर प्रभाव –इन नौ मानदंडों के आधार पर किया जाता है। लघु स्तर के संगठनों के लिए आंकलन छह मानदंडों के आधार पर किया जाता है ।

वर्ष 2012 के लिए राजीव गाँधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कारों की घोषणा की गई। इनमें 'सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार' एवं तीन पुरस्कार, जो बड़े निर्माण उद्योग, लघु सेवा उद्योग एवं लघु निर्माण उद्योग के तहत,

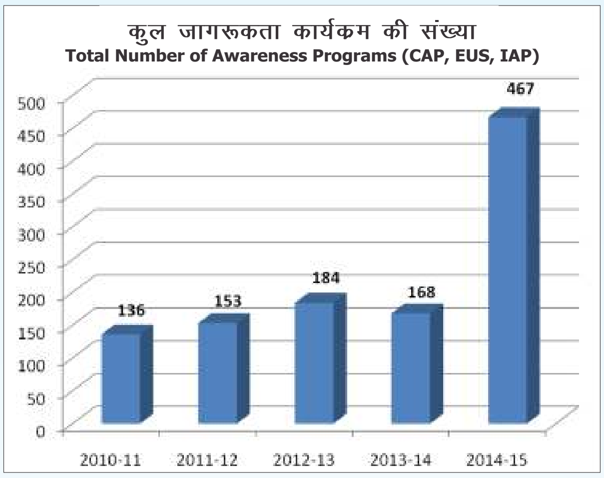

नई दिल्ली में विश्व मानक दिवस 2014 समारोह का आयोजन
World Standards Day 2014 function organized at New Delhi

मुम्बई में आयोजित विश्व मानक दिवस
World Standards Day Organized at Mumbai

to the collaborative efforts of thousands of experts worldwide, who develop voluntary technical agreements that are published as International or National Standards. This year the theme for World Standards Day was 'Standards level the playing field'. The Seminar at headquarters was inaugurated by the Hon'ble Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Government of India. Three eminent speakers presented technical papers on the theme. Technical seminars were organized by BIS all over the country through its ROs/BOs and its headquarters, where a large number of delegates deliberated over various technical issues relating to the subject.

(e) Public Grievances: Consumer complaints relating to BIS certified products are reviewed and monitored regularly for redressal within the stipulated time frame. During the year, 96 complaints (online & offline) were received and 80 complaints were redressed.

(f) Citizen Charter: Citizen's Charter has been implemented and time lines are being monitored every month through Management Control Reports.

(g) Rajiv Gandhi National Quality Award (RGNQA):

With a view to encourage manufacturers and service organizations to strive for excellence, Rajiv Gandhi National Quality Award was instituted by the Bureau in 1991. This annual award compares well with similar international awards such as the Malcolm Baldrige National Quality Award of US and the European Quality Award. The assessment for this award is made on the basis of nine parameters namely, Leadership; Policies, Objectives and Strategies; Human Resource Management; Resources; Processes; Customer focused results; Employees' satisfaction; Business results and Impact on environment and society. For small scale organizations the assessment is carried out on the basis of six parameters.

The Rajiv Gandhi National Quality Awards for the year 2012 were announced. The awards included 'Best of All Award' and three awards, one each under large scale manufacturing industry, large scale service industry and small scale

प्रत्येक के लिए एक शामिल है। इसके अतिरिक्त प्रशस्ति–पत्र देने के लिए नौ संगठन छांटे गये।

(ज) प्रवर्तन

भामाब्यूरो मानक मुहर (आईएसआई मुहर) गुणता की मुहर है। धोखेबाज विनिर्माता भामाब्यूरो से लाइसेंस प्राप्त किये बिना अर्थात् आईएसआई मुहर का दुरूपयोग करके घटिया उत्पादों पर नकली आईएसआई मुहर लगाकर, उनका उत्पादन एवं उनकी मार्किटिंग करके उपभोक्ताओं को ठग रहे हैं। आईएसआई मुहर के दुरूपयोग की घटनाएं भामाब्यूरो के लिए प्रमुख चिंता का विषय है। प्रवर्तन गतिविधियों को सुदृढ़ करने एवं बेहतर समन्वय के लिए प्रत्येक शाखा कार्यालय में नोडल प्रवर्तन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

वर्ष के दौरान आईएसआई मुहर का दुरूपयोग करने वाली फर्मों पर देशभर में 67 छापे मारे गए। इन छापों में विभिन्न हूबहू मानक मुहर लगे नकली उत्पाद, जैसे पैकेजबंद पेयजल, पीवीसी विद्युतरोधी केबल, प्रेशर कुकर, यूपीवीसी पाइप, क्लिनिकल थर्मामीटर, ब्लीचिंग पाउडर, सबमर्सिबल पम्पसेट, इलैक्ट्रिक आयरन, हॉट एयर ब्लॉअर, सीलिंग पंखे, इलैक्ट्रिक स्विच, नमक, प्लाईवुड एवं इन्सुलेटिड मैट इत्यादि जब्त किए गए। प्रवर्तन मामलों पर यथासमय कार्रवाई करने और न्यायालयों में दोषियों के विरूद्ध अभियोजन शुरू करने के लिए कार्रवाई की गई।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, भामाब्यूरो ने मुख्यालय तथा अन्य शाखा कार्यालयों द्वारा मारे गए प्रवर्तन छापों के बारे में व्यापक प्रचार करते हुए कई प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी कीं, ताकि आईएसआई मुहर का दुरूपयोग करने वाले विनिर्माताओं के विरूद्ध उपभोक्ताओं में जागरूकता फैलाई जा सके। घटिया उत्पादों पर प्रयोग किए जा रहे ब्रांडनाम सहित, उन्हें प्रयोग कर रहे विनिर्माताओं के नामों का उल्लेख भी इन प्रैस विज्ञप्तियों में किया गया। आईएसआई मुहर का दुरूपयोग करने वाले विनिर्माताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से उपभोक्ता संगठनों और निर्माता एसोसिएशनों के साथ बैठकें आयोजित की गईं ।

manufacturing industry. Besides nine organisation were shortlisted for giving Commendation Certificates.

(i) Enforcement:

The BIS Standard Mark (ISI Mark) is a quality mark. There are unscrupulous manufacturers, who deceive consumers by producing and marketing sub-standard products with ISI Mark without obtaining the licence from BIS i.e. misuse of ISI Mark. The menace of misuse of ISI Mark is an area of prime concern for BIS. Nodal Enforcement Officers have been nominated in each branch office for strengthening and better coordination of enforcement activity.

During the year, BIS carried out 67 enforcement raids all over the country on the firms misusing ISI Mark. During these raids, various products with spurious/imitation of Standard Mark such as Packaged Drinking Water, PVC Insulated Cables, Pressure Cookers, UPVC Pipes, Clinical Thermometer, Bleaching Powder, Submersible Pump Sets, Electric Iron, Hot Air Blower, Ceiling Fans, Electric Switch, Salt, Plywood and Insulated Mats etc. were seized. The enforcement cases were processed for consequent launching of prosecution against the offenders in the court of law.

Besides, BIS also issued a number of press releases about the enforcement raids from HQs and other branch offices all over the country for giving wide coverage with the intention to create awareness among the consumers about such misuse of ISI Mark. The names of such manufacturers along with brand names which are being used by them on the spurious products were also mentioned in the press releases. Meetings were also organized with the consumer organizations and the manufacturers associations with the objective of making them aware about the misuse of the ISI Mark and also to get information about manufacturers who were misusing ISI Mark.

प्रचार

भामाब्यूरो की प्रचार गतिविधियों का उद्देश्य आम उपभोक्ताओं और उद्योगों के मध्य भामाब्यूरो की गतिविधियों मुख्य रूप से मानकीकरण, वस्तुओं और सेवाओं का प्रमाणन और हॉलमार्किंग के बारे में जागरूकता पैदा करना है । इसके उल्लंघनकर्ताओं को रोकने के लिए नकली मुहरांकन जैसी अनैतिक व्यापारिक रीतियों को रोकने के लिए दंडात्मक प्रावधान किया गया। प्रिंट और इलैक्ट्रोनिक मीडिया के साथ–साथ प्रचार के अन्य माध्यमों जैसे आउटडोर प्रचार मैट्रो, रेल, रेल संपर्क 139, पब्लिक यूटिलिटी, एयरपोर्टो एवं रेलवे स्टेशनों इत्यादि पर, होर्डिंग्स लगाकर प्रचार किया गया ।

भामाब्यूरो द्वारा हॉलमार्क किए गए स्वर्ण आभूषणों एवं भामाब्यूरो द्वारा प्रमाणित आईएसआई मुहरांकित चीजें खरीदने हेतु आम उपभोक्ताओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से जोर–शोर से प्रचार अभियान चलाया गया तथा उन्हें भामाब्यूरो प्रमाणित सामानों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई हेतु भामाब्यूरो द्वारा बनाई गई पद्धति के संबंध में भी सूचित किया गया।

भामाब्यूरो ने लोकप्रिय उपभोक्ता और औद्योगिक मेलों में भाग लिया, जिनमें भामाब्यूरो की गतिविधियों के साथ–साथ गुणता पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु सूचना वितरित करने के लिए बनायी गयी फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। इन कार्यक्रमों के दौरान लघु संवर्धनात्मक फिल्मों की स्क्रीनिंग भी की गई। भामाब्यूरो के स्टॉल पर भामाब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों के ब्लो–अप प्रदर्शित किए गए और ब्रोशर/फोल्डर जैसी प्रचार सामग्री आगंतुकों को उपलब्ध करायी गयी।

वर्ष 2014–15 के दौरान प्रचार गतिविधियों के विशिष्ट विवरण नीचे दिए गए हैं :

- डीडी न्यूज एवं प्राइवेट न्यूज चैनलों पर आईएसआई मुहर पर एक टीवी स्पॉट एवं इंटरटेंमेंट चैनलों पर हॉलमार्किंग संबंधी एक स्पॉट कुल 9 सप्ताह तक (शुक्रवार–रविवार तक प्रति सप्ताह 3 दिनों हेतु) प्रसारित किया गया।
- इसके अतिरिक्त, फरवरी 2015 के दौरान दिल्ली चुनावों के दौरान पोलिंग एवं काउंटिंग के दिनों में आजतक न्यूज चैनल पर आईएसआई मुहर एवं हॉलमार्क पर टीवी स्पॉट प्रसारित किये गये।
- निम्नलिखित सहित वर्ष भर 214 दिनों की अवधि के लिए आकाशवाणी के माध्यम से 24 एफएम चैनलों एवं 37 विविध भारतीय स्टेशनों, राष्ट्रीय समाचार, प्राइमरी चैनल/ लोकल रेडियो स्टेशनों पर हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में आईएसआई मुहर एवं हॉलमार्किंग पर रेडियो स्पॉट प्रसारित किये।
- 27 जनवरी 2015 को माननीय प्रधानमंत्री एवं अमरिकी राष्ट्रपति के 'मन की बात' कार्यक्रम के दौरान हॉलमार्किंग के विज्ञापन प्रसारित किये गये।
- 22 फरवरी 2015 को माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम "मन की बात" के दौरान हॉलमार्किंग संबंधी विज्ञापन प्रसारित किये गये।

PUBLICITY

The publicity activity of BIS is aimed at creating awareness of various BIS activities among the Industry and the Consumer, significantly relating to Standardization, Certification of goods and services and Hallmarking of Gold Jewellery. The penal provision for unscrupulous practices like spurious marking was also publicized to deter violators. The publicity was done through print & electronic media as well as other media like outdoor publicity, Metro Rail, Rail Sampark 139, Public Utilities, Hoardings at airports and railway stations etc.

Aggressive publicity campaigns were taken up aimed at persuading consumers to buy ISI Marked goods and Hallmarked Gold Jewellery certified by BIS and they were also informed of the mechanism for redressal of complaints relating to BIS certified goods.

BIS participated in popular consumer and industrial trade fairs where screening of films was made to disseminate information on the activities of BIS as well as to focus on quality. Short promotional films were screened during these events. Blow-ups on various activities of BIS were displayed at BIS stall and publicity material like brochures, folders, leaflets were also made available to the visitors.

The specific details on publicity activities for the year 2014-15 are as follows:

- One TV Spot on ISI Mark on DD News and private news channels and one spot on Hallmarking on Entertainment Channels were telecast for total 9 weeks (3 days per week Friday-Sunday).
- Besides above, TV spots on ISI Mark and Hallmark were telecast on Aaj Tak News Channel on Polling and Counting Days of Delhi Elections, during Feb 2015.
- Radio spots on ISI Mark and Hallmarking were broadcast in Hindi and regional languages on 24 FM channels and 37 Vividh Bharati Stations, National News, Primary Channels/Local Radio Stations through All India Radio for a period of 214 days, spread throughout the year, including the following:
  - Hallmark advertisement broadcast during 'Mann Ki Baat' featuring Hon'ble Prime Minister and US President on 27 Jan 2015
  - Hallmark advertisement broadcast during 'Mann Ki Baat' featuring Hon'ble Prime Minister on 22 Feb 2015

- उपभोक्ता जागरूकता के लिए तीन महीनों तक 139 रेल सम्पर्क पर आईएसआई मुहर एवं हॉलमार्किंग पर जिंगल चलाये गये।
- प्रिंट मीडिया के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता के लिए वर्ष भर आईएसआई मुहर लगे सामानों/स्वर्ण एवं रजत शिल्प वस्तुओं पर हॉलमार्किंग के महत्व पर विज्ञापन अभियान निम्नलिखित विवरणानुसार चलाये गये :
- 707 समाचार पत्रों में आईएसआई मुहर एवं हॉलमार्क पर 8 विज्ञापन प्रकाशित किये गये।
- 452 समाचारपत्रों में इलैक्ट्रिकल, इलैक्ट्रोनिक्स वस्तुओं और हॉलमार्क पर 4 विज्ञापन प्रकाशित किये गये।
- 6 स्मारिकाओं में आईएसआई मुहर एवं हॉलमार्क पर 6 विज्ञापन प्रकाशित किये गये।
- भामाब्यूरो गतिविधियों को प्रोत्साहित करने एवं लोकप्रिय बनाने के लिए महानिदेशक, भामाब्यूरो एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के 14 साक्षात्कार रेडियो एवं टीवी पर वर्ष के दौरान आयोजित किये गये।
- हेलमेट, पानी के मीटर, हॉलमार्किंग, आईएसआई मुहर, एसडीओसी, नई पहलों, खाद्य तेलों इत्यादि सहित भामाब्यूरो प्रमाणित उत्पादों एवं विभिन्न गतिविधियों से संबद्ध विशेष समाचार कथाएं, वर्ष के दौरान विभिन्न समाचारपत्रों में प्रकाशित की गईं।
- भामाब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों से संबद्ध 30 प्रेस नोट जारी किये गये एवं प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किये गये।

महत्वपूर्ण कार्यक्रमों संबंधी प्रचार

- विश्व मानक दिवस समारोह– विश्व मानक दिवस संबंधी विज्ञापन 22 विभिन्न समाचार पत्रों में दिनांक 14 अक्तूबर 2014 अखिल भारतीय स्तर पर जारी किया गया। विश्व मानक दिवस 2014 समारोह को इलैक्ट्रोनिक एवं प्रिंट मीडिया द्वारा व्यापक स्तर पर कवर किया गया।
- विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस– 27 विभिन्न समाचारपत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर विज्ञापन प्रकाशित किया गया।
- बल्क एस एम एस के माध्यम से प्रचार– दिवाली के अवसर पर, दिल्ली/एनसीआर क्षेत्र में उपभोक्ताओं की बड़ी संख्या तक प्रचार करने के लिए पर्व की शुभकामनाएं देते हुए भामाब्यूरो के संदेश सहित 05 लाख एसएमएस भेजे गये।

- Jingles on ISI Mark and Hallmarking were run on 139 Rail Sampark for three months for consumer awareness.
- Advertisement campaigns on importance of ISI Mark goods/ Hallmarking of Gold and silver artefacts ran throughout the year for consumer awareness through print media as per following details:
- 8 advertisements on ISI Mark and Hallmark were published in 707 newspapers
- 4 advertisements on Electrical, Electronic items and Hallmark were published in 452 newspapers
- 6 advertisements on ISI Mark and Hallmark were published in 6 souvenirs
- To promote and popularize BIS activities, 14 interviews of DG, BIS and other senior BIS officials were organized during the year on radio and TV.
- Specialized news stories related to BIS certified products and various activities of BIS including Helmets, Water Meter, Hallmarking, ISI Mark, SDoC, New Initiatives, Edible Oil, etc. were published by various newspapers during the year.
- 30 press notes relating to various BIS activities were issued and published in print media.

Publicity on important events

- World Standards Day Celebrations – An advertisement on World Standards Day was released on all-India basis on 14 Oct 2014 in 22 different newspapers. The function of 'World Standards Day 2014' was widely covered by electronic and print media.
- World Consumer Rights Day - An advertisement on all-India basis was published in 27 different newspapers.
- Publicity through Bulk SMSs – On the occasion of Diwali, 05 Lakhs bulk SMSs were sent conveying festival wishes along with a message on BIS in order to reach out to a large number of consumers, in Delhi/NCR region.

मानकों एवं अन्य प्रकाशनों की बिक्री

ब्यूरो मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखा कार्यालयों में स्थित 24 बिक्री केन्द्रों के माध्यम से भारतीय मानक और विशेष प्रकाशनों की बिक्री करता है। पंजीकृत पुस्तक विक्रेताओं के माध्यम से भी बिक्री की जाती है। भामाब्यूरो भारत में विदेशी मानकों (आईएसओ, आईईसी, बीएसआई लंदन, डीआईएन जर्मनी, जेआईएस, जापान) की भी बिक्री करता है। भामाब्यूरो अपने ई–पोर्टल के माध्यम से भारतीय मानकों की बिक्री करता है। मानकों को भामाब्यूरो के ई–पोर्टल से सॉफ्ट कॉपी के रूप में डाउनलोड किया जा सकता है अथवा ई–पोर्टल द्वारा हार्ड कॉपी के लिए भी क्रयादेश दिया जा सकता है । क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड द्वारा पोर्टल पर भुगतान किया जा सकता है। भामाब्यूरो के पास उन ग्राहकों के लिए भी भुगतान की प्रणाली है जिनकी ई–खरीद रू. 50,000 से अधिक की हो, ऐसे ग्राहक डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर द्वारा भी भुगतान कर सकते हैं। भामाब्यूरो के खाते में सीधे एनईएफटी/आरटीजीएस (ऑनलाइन हस्तांतरण) द्वारा भी ग्राहक मानकों हेतु भुगतान कर सकते हैं।

भारतीय मानक पूरे सेट के रूप में अथवा सिविल इंजीनियरिंग, विद्युत इंजीनियरिंग, यांत्रिक इंजीनियरिंग, टैक्सटाइल इत्यादि जैसे 14 क्षेत्रों के लिए अलग–अलग विशेष सेटों के रूप में डीवीडी पर लीज के लिए भी उपलब्ध हैं। ग्राहकों की सुविधा के लिए भामाब्यूरो के ई–पोर्टल www.standardsbis.in से जुड़ा एक टच स्क्रीन कियोस्क मुख्यालय के बिक्री विभाग में लगाया गया है। ग्राहक इस पर अपनी आवश्यकता के मानक, मानकों का मूल्य, विषय क्षेत्र, संशोधन इत्यादि देख सकते हैं।

SALE OF STANDARDS AND OTHER PUBLICATIONS

BIS sells Indian Standards and Special publications through 24 different sales outlets located at the Headquarters (HQs), Regional offices and Branch Offices. Sale is also done through registered booksellers. BIS also sells foreign standards (ISO, IEC, BSI London, DIN Germany, JIS Japan) in India. BIS sells Indian Standards through its e-portal. Standards can be downloaded in the form of soft copy (or) an order for hard copy can be placed through the e-portal. Online payment can be made over the portal through credit/debit card. BIS also has a system of payment through DD/ pay order for customers whose e-purchase is more than 50,000. Customers can also make payment for standards through NEFT/RTGS (online transfer) in BIS bank account directly.

The Indian Standards are also available as a complete set in DVD or 14 different department/ sector specific sets like Civil Engineering, Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Textiles, etc., on lease. For the ease of customers, a touch screen kiosk, connected to BIS e-portal (www.standardsbis.in), has been installed at Sales Department, HQs. The customer can search the standard of their requirement, see the price of standards, scope, amendments, etc.

हिन्दी गतिविधियाँ

भारतीय मानक ब्यूरो राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी राजभाषा संबंधी सभी निर्देशों का पालन करता है। तदनुरूप, वर्ष के दौरान हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी निम्नलिखित कार्य किए गए:

हिन्दी कार्यान्वयन : भामाब्यूरो के सभी विभागों को राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम की प्रतियाँ जारी की गईं। मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चारों बैठकें समय से आयोजित की गईं। चार तिमाहियों की हिंदी की प्रगति रिपोर्ट समय पर मंत्रालय को भेजी गई। वर्ष के दौरान ब्यूरो के विभिन्न कार्यालयों में 19 हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिनमें 370 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।

निरीक्षण : संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति ने ब्यूरो के पुणे, भुवनेश्वर, विशाखापटनम शाखा कार्यालयों एवं पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई और दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय, चैन्नई का निरीक्षण किया। समिति ने भामाब्यूरो में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की।

मानक एवं सामान्य अनुवाद : वर्ष के दौरान, 58 मानकों का अनुवाद किया गया और 465 मानकों के शीर्षकों को द्विभाषी बनाया गया। मानकों के अनुवाद कार्यों के अतिरिक्त ब्यूरो ने अपने विभिन्न विभागों से प्राप्त कई प्रोफार्मा, वार्षिक रिपोर्ट, हॉलमार्किंग, विश्व मानक दिवस, राजीव गाँधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार, निविदा सूचनाएं, संसदीय प्रश्न, संसद की स्थायी समिति के लिए सामग्री, राजपत्र अधिसूचना, प्रशिक्षण सामग्री आदि के लगभग 725 पृष्ठों का अनुवाद किया।

हिन्दी पखवाड़ा : मुख्यालय में 01 सितम्बर 2014 से 15 सितम्बर 2014 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया, जिसमें हिन्दी संबंधी 6 प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं के सफल विजेताओं को 32 पुरस्कार दिए गए।

Inspection of Vishakhapatnam Branch office by Committee of Parliament on official Language

विशाखापटनम शाखा कार्यालय में संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण

हिन्दी पखवाड़ा 2014 – समापन समारोह

Hindi Pakhwada 2014 - Closing Ceremony

HINDI ACTIVITIES

BIS follows all the directions issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs regarding official language. Accordingly, following work related to progressive use of Hindi have been done during the year.

Hindi implementation – Annual Programme issued by Official Language Department was circulated to all the departments of BIS. Official Language Committee of HQ conducted all its quarterly meetings on time. Quarterly reports were timely sent to the Ministry. During the year, 19 Hindi workshops were organized in which 370 officers and employees were trained.

Inspection – During the year, the concerned Committee of Parliament on official language inspected branch offices at Pune, Bhubaneswar, Vishakhapatnam and Western Regional Office, Mumbai and Southern Regional office, Chennai. The Committee expressed satisfaction towards the progressive use of Hindi in BIS.

Standard and General Translation – During the year, 58 standards were translated and titles of 465 standards were also made bilingual. Besides standards translation, approximately 725 pages of different types of materials relating to Proforma, Annual Report and the material on Hallmarking, World Standards Day, Tender Notices, Parliament Questions, RGNQA, Parliamentary Standing Committee, Gazette Notifications, Training etc., have also been translated.

Hindi Pakhwada - Hindi fortnight was celebrated from 1st September 2014 to 15th September 2014 at HQs in which six different competitions were organized. 32 Prizes were distributed to the successful participants in these competitions.

प्रोत्साहन योजनाएं : ब्यूरो ने सरकार की सभी योजनाओं जैसे हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन की नकद पुरस्कार योजना, हिन्दी प्रोत्साहन भत्ता योजना, राजभाषा शील्ड योजना आदि का क्रियान्वयन जारी रखा।

अन्य कार्य

क) 'मानकों के माध्यम से गुणता संवर्धन' शीर्षक से एक ई–बुक जारी की गई।

ख) दिनांक 30 मार्च 2015 को 'कम्प्यूटर पर हिन्दी में कार्य' विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें भामाब्यूरो कर्मचारियों को अनुवाद एवं लिप्यंतरण कार्य एवं यूनीकोड फोण्ट के प्रयोग करने के लिए कम्प्यूटर के प्रयोग हेतु प्रशिक्षित किया गया।

ग) 23 फरवरी 2015 को एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें 'राजभाषा हिन्दीः दशा व दिशा' पर एक पुस्तिका का विमोचन किया गया।

Incentive Schemes - BIS also continued to implement all incentive schemes of Government of India such as Cash Incentive Scheme of Hindi Noting and Drafting, Hindi Incentive Allowance Scheme, Rajbhasha Shield Scheme etc.

Other Work

a. An e-book titled 'Manako kay Madhyam se Gunataa Samvardhan' was released.

b. Workshop on 'Work on Computer in Hindi' was organized on 30 March 2015 in which BIS employees were trained to use the computer for translation & transliteration work and for the use of Unicode fonts.

c. A seminar was organized on 23 Feburary 2015 in which a book titled 'Rajbhasha Hindi : Dashaa waa Dishaa' was released.

प्रकाशन

भामाब्यूरो अपने प्रकाशन विभाग के माध्यम से भारतीय मानकों एवं संशोधनों का इलैक्ट्रानिक प्रकाशन करता है तथा राजपत्र में प्रकाशित मानकों एवं संशोधनों की अधिसूचना प्रकाशित करता है।

वर्ष के दौरान, 146 नये मानक 129 पुनरीक्षित मानक एवं 220 संशोधन प्रकाशित किये गये तथा राजपत्रित कराये गये।

भामाब्यूरो निम्नलिखित सूचनायुक्त कैटलॉग हर वर्ष प्रकाशित करता है :

क) 31 दिसम्बर (संबंधित वर्ष का) तक अद्यतन किए गए भामाब्यूरो द्वारा प्रकाशित भारतीय मानक

ख) भारतीय मानकों के रूप में अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मानक,

ग) हिन्दी में भारतीय मानक (अनुवाद),

घ) विशेष प्रकाशन, एवं

ड) सभी प्रकाशनों के संगत इंडेक्स

भामाब्यूरो के पास अपने सभी प्रकाशनों के कॉपीराइट हैं और तकनीकी पुस्तकों के लेखकों से भारतीय मानकों का सार प्राप्त करने के अनुरोध विभाग को भेज दिए जाते हैं। तकनीकी सत्यापन करने और आईएसओ : जीईएन 19:1999 'गाइडलाइन्स फॉर ग्रान्टिंग कॉपीराइट एक्सप्लॉइटेशन राइट्स टू थर्ड पार्टीज फॉर आईएसओ स्टैण्डर्डस इन बुक्स' के आधार पर तृतीय पक्षों को कॉपीराइट उपयोग का अधिकार प्रदान करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार कॉपीराइट शुल्क का भुगतान करने के बाद विभाग, आवेदक को अनुमति प्रदान करता है।

PUBLICATION

BIS, through its publication department handles the electronic publishing of Indian Standards & amendments and the notification of published standards and amendments in the gazette.

During the year, 146 new standards, 129 revised standards and 220 amendments were published and gazetted.

BIS publishes a catalogue annually containing the following information:

a) Indian Standards published by BIS updated up to 31 December (of the concerned year),

b) International Standards adopted as Indian Standards,

c) Indian Standards in Hindi (translation),

d) Special Publications and

e) Index corresponding to all publications

BIS has the copyright to all its publications and requests for reproducing extracts from Indian Standards are received by the department from authors of technical books. After technical verification and calculations based on the procedures adopted from ISO: GEN 19:1999 `Guidelines for Granting Copyright Exploitation Rights to Third Parties for ISO Standards in Books', the department grants permission to the applicant on payment of the copyright charges.

योजनागत परियोजनाएं (12वीं योजना)

भामाब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा यथा–अनुमोदित बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के अन्तर्गत निम्नलिखित दो केन्द्रीय सेक्टर योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है । ये केन्द्रीय सैक्टर योजनायें निम्नानुसार हैं :

हॉलमार्किंग

हॉलमार्किंग की इस योजना का प्रचालन 10वीं योजना से किया जा रहा है तथा 12वीं योजना में भी इसे जारी रखा गया है, इसके मुख्य घटक निम्नलिखित हैं :

क) अवसंरचना निर्माण – एसेइंग और हॉलमार्किंग (एएंडएच) केन्द्रों की स्थापना करना

ख) क्षमता निर्माण

i) शिल्पकारों को प्रशिक्षण

ii) प्रशिक्षकों (भामाब्यूरो ऑडिटरों) को प्रशिक्षण

iii) एसेइंग और हॉलमार्किंग केन्द्रों के कार्मिकों का प्रशिक्षण

2014–15 के दौरान भामाब्यूरो ने इस योजना के अन्तर्गत रू. 60 लाख प्राप्त किये और रू. 49.33 लाख खर्च किये। शिल्पकार प्रशिक्षण पर 09 कार्यक्रम, प्रशिक्षक पर 01 कार्यक्रम, एसेइंग व हॉलमार्किंग कार्मिक प्रशिक्षण पर 04 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

मानकीकरण की राष्ट्रीय पद्धति

ग्यारहवीं योजना के अन्तर्गत प्रचालित की जा रही मानकीकरण की राष्ट्रीय पद्धति पर योजना का प्रचालन निम्नलिखित घटकों के साथ बारहवीं योजना में भी जारी रखा गया है :

i) भारतीय मानकों की स्थापना/पुनरीक्षण हेतु अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं

ii) भा.मा.ब्यूरो तकनीकी समिति बैठकों में भामाब्यूरो तकनीकी समिति सदस्यों की सहभागिता को सघन करना

iii) संगोष्ठी/कार्यशाला और प्रशिक्षण

iv) अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण में भामाब्यूरो अधिकारियों, तकनीकी समिति के सदस्यों, अन्य अधिकारियों तथा विशेषज्ञों की अंतर्राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/द्विपक्षीय बैठकों/प्रशिक्षणों में भाग लेकर सहभागिता की सघनता बढ़ाना

iv) भारत में आईएसओ/आईईसी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/सार्क बहुपक्षीय/द्विपक्षीय बैठकें कार्यशालाएं/प्रशिक्षण आयोजित करना

वर्ष के दौरान भामाब्यूरो ने इस योजना के अंतर्गत रू. 440 लाख प्राप्त किये, रू. 412 लाख खर्च किए।

PLAN SCHEMES (XIIth PLAN)

BIS is implementing following two Central Sector Schemes under XIIth Five year Plan (2012-17), as approved by the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. These Central Sector Schemes are as under:

Hallmarking

The scheme on Hallmarking, operative since the Xth Plan has continued in the XIIth Plan. The components of the scheme are indicated below:

a) Infrastructure building- Setting up of Assaying and Hallmarking (A&H) Centres

b) Capacity building

i) Training of artisans

ii) Training of Trainers (BIS auditors)

iii) Training of personnel of assaying and hallmarking Centres

During 2014-15, BIS received Rs. 60 lakhs under this scheme and spent Rs. 49.33 lakhs. Nine artisan training programmes, one Training of Trainers programme and four A&H personnel training programmes were conducted.

National System for Standardization

The scheme on National System of Standardization which commenced during the XIth Plan has continued to operate in the XIIth Plan with the components as indicated below:

i) Research and Development projects for establishment/ revision of Indian Standards

ii) Intensifying participation of BIS Technical Committee Members in Technical Committee Meetings

iii) Seminars/ Workshops and Training

iv) Intensifying participation of BIS officials, Technical Committee Members, other officials and experts in International Standardization by participation in International/ Regional/ Bilateral meetings/ Trainings

v) Organizing ISO/IEC and other International/ Regional/ SAARC Multilateral/ Bilateral Meetings/ Workshops/ Trainings in India

During the year, BIS received Rs. 440 lakhs under this scheme and spent Rs. 412 lakhs.

सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं

पद्धतियों के विकास एवं सतत सुधार के लिए कार्यनीति संसाधन में योजनाबद्ध रूप से सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र समर्थ बनाया जा रहा है। इसका समग्र उद्देश्य दक्षता, पारदर्शिता बढ़ाकर एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करके और उनकी समय से डिलीवरी करके सेवाओं में सुधार लाना है ।

बैंडविड्थ का विस्तार

विस्तारित बैंडविड्थ वाला नया वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) भामाब्यूरो के 25 कार्यालयों में शुरू किया गया है । भामाब्यूरो मुख्यालय एवं पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय की संचार व्यवस्था में गति लाने के लिए क्रमशः 10 एमबीपीएस एवं 4 एमबीपीएस लाइनें शुरू की गई हैं ।

लॉगइन

आम लॉगइन सुविधा भामाब्यूरो वेबसाइट पर ऑनलाइन बनाई गई है । यह सुविधा स्टेकहोल्डरों को उनके विशेष अधिकारों के आधार पर विभिन्न ऑनलाइन सेवाएं और सूचनाएं देने में समर्थ बनाती है।

उपयोगकर्ता अनुप्रयोग मोड्यूल

उत्पाद प्रमाणन, पद्धति प्रमाणन, हॉलमार्किंग इत्यादि जैसी सभी प्रमुख गतिविधियों के उपयोगकर्ता अनुप्रयोग मोड्यूल ऑनलाइन किए गए हैं । ये मोड्यूल बाहरी उपयोगकर्ताओं को उनके आवेदन पत्रों के ई–प्रस्तुतीकरण, ऑनलाइन भुगतान करने एवं आवेदन–पत्र के स्टेटस जानने की सुविधा प्रदान करते हैं ।

प्रमाणन मुहर प्रबंध पद्धति (सीएमएमएस) में सुधार

सीएमएमएस को सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के लिए वेब–समर्थ बनाया गया है । सभी प्रमाणन अधिकारी कहीं से भी इस मोड्यूल को एक्सेस कर सकते हैं एवं इससे निरीक्षण रिपोर्टों, लाइसेंस की मंजूरी/नवीकरण या मुहरांकन पुनः चालू करना, किस्मों का समावेश इत्यादि प्रस्तुत करने जैसे कार्यों में उसी समय पर कार्यवाही की जा सकती है । फलस्वरूप, देरी में कमी आती है एवं निर्णय करने एवं सेवाएं देने में तेजी आ रही है ।

प्रयोगशाला सॉफ्टवेयर

देशभर में किसी भी स्थान से नमूनों के परीक्षण हेतु ऑनलाइन परीक्षण के लिए अनुरोध करने की सुविधा प्रमाणन अधिकारियों को भी दी गई है । विभिन्न शाखा कार्यालयों द्वारा अग्रेषित नमूनों को, नमूना कक्ष द्वारा प्राप्त एवं स्वीकृत किया जा सकता है । उसके बाद ऑनलाइन पद्धति के प्रयोग से इन्हें कूटबद्ध किया जा सकता है ।

मानक सॉफ्टवेयर

- तकनीकी विभागों के लिए एक मानक निर्धारण मोड्यूल विकसित किया गया है । इस मोड्यूल से मानकों को

INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES

A planned IT system is being enabled as a strategic resource for development and continual improvement of systems. The overall objective is to improve services by increasing efficiency, transparency and ensuring reliability and their timely delivery.

Enhancement of bandwidth

A new Virtual Private Network (VPN) having enhanced bandwidth has been commissioned in 25 BIS offices. Further, 10 Mbps and 4 Mbps lines have been commissioned at BIS Head Quarters (HQs) and Western Regional Office respectively for faster communication.

Login

A common login facility has been made online in the BIS website. This facility enables BIS stakeholders to access various online services and information based on their privileges.

User Application modules

The User Application modules of all the major activities like Product Certification, System Certification, Hallmarking, etc., have been made online. These modules enable outside users to e-submit their applications, make online payments and also to track the application status.

Improvements in Certification Marks Management System (CMMS)

The CMMS has been web-enabled for all the Regional Offices/Branch Offices. All the Certification Officers can access this module from anywhere and thus, can perform real time actions like submission of inspection reports, grant/renewal of licence or revocation of marking, inclusion of varieties, etc., thereby cutting down delays and expediting the decision making and service delivery.

Lab Software

The Certification Officers have also been given the facility to generate online Test Requests for testing of samples from anywhere across the country. The samples, thus forwarded by various Branch Offices can be received and accepted, by the Sample Cells and subsequently, encoded using the online system.

Standards Software

- A Standards Formulation module has been developed for Technical deptts. This module automates

विकसित करने संबंधी कार्य अर्थात् पी–ड्राफ्ट से एफ–ड्राफ्ट के फाइनल होने तक की मॉनीटरिंग स्वतः होती है ।

- भामाब्यूरो वेबसाइट पर सीधे सभी प्रकाशित/राजपत्रित नए मानक, पुनरीक्षित मानक एवं संशोधन अपलोड करने की प्रकाशन विभाग को सुविधा दी गई है, ताकि इन्हें सभी विशेषाधिकार प्राप्त उपयोगकर्ता (भामाब्यूरो कर्मचारीगण) देख सकें । इस सुविधा में वापस लिए गए मानकों की अद्यतन स्थिति भी दी गई है ।
- ऑन–लाइन सेवा सृजित की गई है, जिसमें मानकों को आईएस संख्या, शीर्षक, तकनीकी विभाग, समूह, उपसमूह, उप–उपसमूह इत्यादि विभिन्न सर्च मानदंडों के आधार पर ढूंढा जा सकता है ।
- किसी भी मानक पर स्टेकहोल्डर अपनी टिप्पणियाँ दे सकें, बीआईएस के स्टेकहोल्डरों को समर्थ करने हेतु एक ऑन–लाइन सुविधा भी दी गई है। टिप्पणियों के सफल सबमिट होने पर स्वचालित ई–मेल संबंधित तकनीकी विभाग को चली जाती है ।
- प्रत्येक विभाग परिषद् की आयोजित की जाने वाली बैठकों की कार्यसूची एवं कार्यवृत्त सहित बैठक–कैलेंडर भामाब्यूरो वेबसाइट पर होस्ट करने की जनोपयोगी सेवा (यूटिलिटी) सृजित की गई है ।

ऑन–लाइन शिकायतें

शिकायत पंजीकरण मोड्यूल बाहरी उपयोगकर्ताओं को उनकी शिकायतों को ऑन–लाइन पंजीकृत करने के लिए विकसित किया गया है। इसके सफल सबमिट होने पर स्वचालित ई–मेल उपयोगकर्ता, उपभोक्ता मामले विभाग एवं संबंधित शाखा कार्यालय को चली जाती है। इस प्रकार की शिकायत के जल्दी समाधान के लिए शिकायत के विवरण संबंधित भा.मा.ब्यूरो कर्मचारी को ऑन–लाइन देखने की सुविधा दी गई है ।

लोगो डिजाइन प्रतियोगिता

प्रबंध पद्धति प्रमाणन विभाग के समन्वय से लोगो डिजाइन प्रतियोगिता सुविधाजनक बनाने के लिए मोड्यूल विकसित किया गया है । इस मोड्यूल से भाग लेने वाले, अपने लोगो ई–सबमिट कर सकते हैं, ई–भुगतान कर सकते हैं और उसे ट्रैक कर सकते हैं। इससे जज उनका मूल्यांकन कर सकते हैं ।

पैसिफिक एरिया स्टैण्डर्ड कांग्रेस (पीएएससी) वेबसाइट

अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के साथ समन्वय करके पीएएससी बैठक के लिए एक वेबसाइट तैयार की गई । वेबसाइट में बैठक में जो उपस्थित होना चाहते हैं, उन अतिथियों/सदस्यों को पंजीकरण की सुविधा दी गई है । पुनः अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग को पंजीकृत सदस्यों की सूची देखने एवं आमंत्रण–पत्रों को सृजित करने का विशेषाधिकार भी दिया गया ।

monitoring of the work related to development of the Standards i.e. from P-draft stage till the finalization of F-draft.

- A facility has been given to Publication deptt to upload all the published/gazetted New Standards, Revised Standards and Amendments directly into the BIS website thus enabling all the privileged users (BIS Employees) to view the same online. Facility has also been provided to update the Standards withdrawn.
- An online service has been created to locate the Standards based on various search criteria's including IS No., Title, Technical department, Groups, Sub groups, Sub-Sub groups, etc.
- An online facility has also been created to enable BIS stakeholders to submit their comments on any Standard. On successful submission of comments, an automated email is being sent to the concerned technical department.
- A utility has been created on the BIS website to host the meeting calendar for each Division Council along with the agenda and minutes of the meetings held.

Online Complaints

A complaint registration module has been developed to facilitate outside users to e-register their complaints online. On successful submission of the same, automated emails are sent to the user, Consumer affairs department and the concerned Branch office, if applicable. Further, the concerned BIS officials have been given access to view the complaint details online for early resolution of the same.

Logo Design Competition

A module for facilitating the Logo Design Competition has been developed in coordination with Management System Certification Department. This module enabled participants to e-submit their logos, make e-payments and to track the same. Further, it facilitates judges to evaluate the submitted logos.

Pacific Area Standards Congress (PASC) Website

A website was developed for PASC Meeting in coordination with International Relations Department. The website facilitated registration for the guests/members who intended to attend the meeting. Further, Iinternational Relations Ddepartment was given privilege to view the list of registered members and to generate invitation letters.

कम वोल्टता दिष्टधारा (एलवीडीसी) पर आईईसी–भामाब्यूरो अंतर्राष्ट्रीय कांफ्रेंस की वेबसाइट

बैठक में उपस्थित होने के इच्छुक सदस्यों को पंजीकरण की सुविधा देने के लिए इलैक्ट्रो–तकनीकी विभाग के साथ समन्वयन करके यह वेबसाइट बनाई गई है। ईटीडी को पंजीकृत सदस्यों की सूची देखने का अधिकार दिया गया है ।

भुगतान गेटवे

इस गेटवे को ई–भुगतान की सुविधाओं के अन्य मोड्यूल/सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत किया गया है । समाधान मोड्यूल, ऑनलाइन चालान एवं डीडी भुगतान के समाधान के लिए लेखा एवं वित्त अधिकारियों को उपलब्ध कराया गया है ।

एकीकृत भामाब्यूरो वेब–पोर्टल

भामाब्यूरो की सभी प्रमुख गतिविधियों को एकीकृत करने के लिए एक एकीकृत वेब–पोर्टल बनाया जा रहा है । भामाब्यूरो के एकीकृत वेब–पोर्टल का विकास संबंधी कार्य सेंटर फॉर डवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी–डेक) को दिया गया है । इस संबंध में इसके समय से एवं सफल विकास को सुनिश्चित करने के लिए सुस्पष्ट समय सूची तैयार की गई है। परियोजना 1 जनवरी 2015 से शुरू की गई है । परियोजना का विकास सीडीएसी एवं संबंधित एकल संपर्क बिंदु (एसपीओसी) के समन्वय से प्रगति पर है ।

Website for IEC-BIS International Conference on Low Voltage Direct Current (LVDC)

This website was developed in coordination with the Electro-Technical Department, to facilitate registration of the members who would like to attend the meeting. Further, ETD has been given privilege to view the list of registered members.

Payment Gateway

This gateway has been integrated with the other modules/software to facilitate e-payments. Further, reconciliation module has been provided to Account and Finance Officials to reconcile the online, challan and DD payments.

Integrated BIS web portal

An integrated web portal has been envisaged to integrate all the major activities of BIS. The work, regarding development of an Integrated BIS web portal, has been given to Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC). In this regard, a defined time schedule has been worked out to ensure its timely and successful development. The project has been initiated w.e.f. 01 Jan 2015. The development of the project is in progress with coordination of CDAC and respective Single Point of Contact (SPOCs).

परियोजना प्रबंधन और कार्य

भामाब्यूरो कार्यालयों के नये भवनों के निर्माण एवं वर्तमान भवनों में नवीकरण संबंधी कार्य भामाब्यूरो अपने परियोजना प्रबंध एवं कार्य विभाग के माध्यम से चला रहा है।

वर्ष 2014–15 के दौरान नये भवनों के निर्माण सहित प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति संबंधी कार्य निम्नानुसार हैं :

नई भवन परियोजनाएं

राजकोट कार्यालय भवन

राजकोट नगर निगम से प्राप्त 861.5 वर्गमीटर के प्लॉट पर बेसमेंट एवं 3 मंजिलों वाले नये राजकोट शाखा कार्यालय का निर्माण सीपीडब्ल्यूडी के माध्यम से पूर्ण किया जा रहा है। सिविल कार्य एवं इलैक्ट्रिकल संस्थापनों संबंधी कार्य पूर्ण हो गए हैं। अग्निशमन कार्य,

PROJECT MANAGEMENT AND WORKS

The works relating to construction of new office buildings for BIS Offices and renovation works in existing buildings is being undertaken by BIS through its Project Management and Works Department.

The progress of major projects including construction of new buildings during 2014-15 is as under:

NEW BUILDING PROJECTS

RAJKOT OFFICE BUILDING

Construction of a new Rajkot Branch Office building comprising of a basement and 3 floors on a plot measuring 861.5 sq. m. acquired from Rajkot Municipal Corporation is under execution through CPWD. Civil works and electrical installations work have been completed. Fire fighting

राजकोट / Rajkot

हैदराबाद / Hyderabad

चंदीगढ़ / Chandigarh

लिफ्ट लगवाने, स्थायी इलैक्ट्रिकल एवं वॉटर/ सीवेज के कनेक्शन लेने संबंधी कार्य प्रगति पर हैं ।

उत्तर क्षेत्रिय कार्यालय (चंडीगढ़) भवन

चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेश से प्राप्त 4492.43 वर्गमीटर के प्लॉट पर बेसमेंट एवं 2 मंजिलों वाले उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय भवन का निर्माण सीपीडब्ल्यूडी के माध्यम से पूर्ण किया जा रहा है। अग्निशमन, एयर कंडिशनिंग एवं अन्य संबद्ध कार्य सहित भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ईपीएबीएक्स एवं यूपीएस लगाने के साथ ही इलैक्ट्रिकल एवं

works, installation of lifts and obtaining permanent electrical and water/sewage connection are in progress.

NORTHERN REGION OFFICE (CHANDIGARH) BUILDING

Construction of Northern Regional Office Building comprising of a basement and 2 floors on a plot measuring 4492.43 sq. m., procured from the Union Territory Administration at Chandigarh is being executed through CPWD. The building construction, including fire fighting, air conditioning and other related works has been completed. Remaining works including installation of EPABX

वाटर कनेक्शन लेने सहित शेष कार्य किये जा रहे हैं।

हैदराबाद कार्यालय भवन

2023.5 वर्गमीटर के आकार के प्लॉट पर बेसमेंट एवं 3 मंजिलों वाले हैदराबाद शाखा कार्यालय के नये भवन का निर्माण सीपीडब्ल्यूडी के माध्यम से किया जा रहा है, जिसकी जगह आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर निगम से प्राप्त की गई है । सिविल कार्य एवं इलैक्ट्रिकल संस्थापनों संबंधी कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। इलैक्ट्रिकल सबस्टेशन, अग्निशमन, इलैक्ट्रिकल एवं वाटर कनैक्शन लेने संबंधी कार्य चल रहे हैं ।

जम्मू कार्यालय भवन

बड़ी ब्रहमा, जम्मू में भामाब्यूरो के जम्मू कार्यालय का भवन, जिसमें 2 मंजिलें हैं तथा यह 2094.35 वर्गमीटर के आकार के प्लॉट पर है, जिसे जम्मू एवं कश्मीर औद्योगिक विकास निगम से प्राप्त किया गया है, का निर्माण सीपीडब्ल्यूडी के माध्यम से किया जा रहा है । सिविल कार्य पूर्ण हो चुका है । इलैक्ट्रिकल कार्य, इलैक्ट्रिकल एवं वाटर कनैक्शन लेने संबंधी कार्य प्रगति पर है।

नवीकरण परियोजनाएं

भामाब्यूरो मुख्यालय (मु.) में सेंट्रल एयर कंडीशनिंग एवं ईएंडएम सेवाओं का अपग्रेडेशन

भामाब्यूरो मुख्यालय (मानक भवन एवं मानकालय) के दोनों भवनों में एयर कंडीशनिंग एवं इलैक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल (ईएंडएम) सेवाओं के उन्नयन संबंधी परियोजना सीपीडब्ल्यूडी के माध्यम से पूरी की जा रही है ।

उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला भवन, मोहाली का नवीकरण

अवसंरचना सुदृढ़ीकरण, प्लिन्थ संरक्षण एवं बरसाती पानी की निकासी संबंधी कार्य सीपीडब्ल्यूडी के माध्यम से पूरे किए गए हैं तथा आंतरिक सज्जा का नवीकरण किया जा रहा है ।

हरित पहलें – सोलर पॉवर परियोजनाएँ

भामाब्यूरो मुख्यालय, नई दिल्ली में छत पर सोलर पॉवर प्लांट

भामाब्यूरो की हरित पहलों के भाग के रूप में 100 कि.वा. के सोलर पॉवर प्लांट भामाब्यूरो मुख्यालय, मानक भवन, नई दिल्ली की छत पर बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगाया गया है । प्लांट में 250 डब्ल्यूपी के 400 सोलर फोटोवोल्टैक पैनल लगे हैं । 100 कि.वा. का प्लांट धूप वाले दिनों में बिजली की 500 यूनिटों से अधिक बिजली उत्पन्न कर रहा है । जहां कहीं भामाब्यूरो के अन्य कार्यालयों में छत उपलब्ध है, वहां भी इस पहल को शुरू करना प्रकिया आरंभ की गई है। पुनः पूरे सिस्टम को सोलर–लॉग उपकरण के माध्यम से भामाब्यूरो लेन से जोड़ा गया है तथा भामाब्यूरो की वेबसाइट पर 'ब्यूरो सोलर पॉवर इनीशिएटिव' टैब के माध्यम से वास्तविक समय पर मॉनीटर किया जा सकता है।

and UPS as well as obtaining electrical and water connections, are being carried out.

HYDERABAD OFFICE BUILDING

Construction of a new Hyderabad Branch Office building comprising of basement and three floors on a plot measuring 2023.5 sq. m., procured from Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation at Industrial Development Park, is being executed through CPWD. Civil works and majority of electrical works have been completed. Works relating to electrical substation, fire fighting and obtaining of electricity and water connection are underway.

JAMMU OFFICE BUILDING

Construction of Jammu Office Building comprising of 2 floors at Bari Brahma, Jammu on a plot of size 2094.35 sq. m., acquired from the J&K State Industrial Development Corporation is being executed through CPWD. Civil works have been completed. Electrical works and obtaining electrical and water connections are in progress.

RENOVATION PROJECTS

CENTRAL AIR-CONDITIONING AND UP-GRADATION OF E & M SERVICES AT BIS HEAD QUARTERS (HQs)

The project related to Air Conditioning and up-gradation of Electrical and Mechanical (E&M) services at both the buildings (Manak Bhavan and Manakhalaya) in BIS HQs is under execution through CPWD.

RENOVATION OF NORTHERN REGION OFFICE LABORATORY BUILDING, MOHALI

The works relating to structural strengthening, Plinth Protection and storm water drainage have been completed by CPWD and renovation of interiors are being taken up.

GREEN INITIATIVE - SOLAR POWER PROJECTS

ROOFTOP SOLAR POWER PLANT AT BIS HQs, NEW DELHI

As part of the Green Initiative of BIS, a Rooftop Solar Power Plant of 100 kW has been commissioned for supplementing the energy requirements of BIS Headquarters, Manak Bhavan, New Delhi. The plant comprises of 400 Solar Photovoltaic panels of 250 Wp each. The 100 kW plant is generating over 500 units of energy on sunny days. BIS is in the process of extending the initiative to other locations of BIS Offices where suitable rooftop spaces are available. Further, the entire system has been connected to the BIS LAN through solar-log equipment and can be monitored on real-time basis through the tab 'Bureau Solar Power Initiative' in BIS website.

सतर्कता गतिविधियाँ

भामाब्यूरो के सतर्कता विभाग के प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं और भामाब्यूरो मुख्यालय का सतर्कता विभाग इसके अंतर्गत है ।

सतर्कता विभाग केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय विभाग के साथ निकट समन्वय से काम करता है। सतर्कता विभाग केन्द्रीय सतर्कता आयोग, डीओपीटी इत्यादि द्वारा निर्दिष्ट विषय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार ब्यूरो में सतर्कता संबंधी गतिविधियों के प्रबंधन का कार्य करता है । इसके अतिरिक्त, इसकी गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल है :

क) निवारक सतर्कता (अर्थात् प्रक्रियाओं को स्ट्रीमलाइन करना, प्रशिक्षण, सहमत सूची और संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची तैयार करना)

ख) दंडात्मक सतर्कता (अर्थात् प्राप्त शिकायतों की संवीक्षा एवं छानबीन करना, दोषी अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना) इत्यादि

ग) निगरानी एवं पहचानना (अर्थात् निरीक्षण, वार्षिक सम्पत्ति रिटर्न की संवीक्षा, मानीटरिंग, समीक्षा बैठकें इत्यादि करना)

दिनांक 27 अक्टूबर 2014 से 01 नवम्बर 2014 तक भारतीय मानक ब्यूरो में सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित किया गया । सप्ताह का आरंभ महानिदेशक द्वारा भामाब्यूरो के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शपथ दिलाने से शुरू हुआ । 'भ्रष्टाचार से संघर्ष– प्रौद्योगिकी की समर्थक भूमिका' पर सप्ताह के दौरान क्विज, निबंध एवं स्लोगन प्रतियोगिताएं इत्यादि भामाब्यूरो मुख्यालय, नई दिल्ली सहित भारत भर में ब्यूरो के सभी कार्यालयों में आयोजित की गईं । दिनांक 31 अक्टूबर 2014 को भामाब्यूरो मुख्यालय, नई दिल्ली में सप्ताह का पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया ।

वर्ष के दौरान, नोएडा, मुम्बई, चैन्नई, चंडीगढ़ एवं कोलकाता स्थित 5 क्षेत्रीय कार्यालयों में से प्रत्येक में भामाब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए निवारक सतर्कता पर द्वि–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये । भामाब्यूरो के 78 वरिष्ठ अधिकारियों ने इन 5 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

वर्ष के दौरान, परवाणु शाखा कार्यालय, कोयम्बटूर शाखा कार्यालय, जयपुर शाखा कार्यालय एवं पुणे शाखा कार्यालय का ऑडिट निवारक सतर्कता के लिए किया गया । ऑडिट के निष्कर्षों पर उपयुक्त सुधारात्मक कार्यवाहियाँ की गईं ।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2014 – समापन समारोह

Vigilance Awareness Week 2014 - closing ceremony

VIGILANCE ACTIVITIES

The vigilance Set up of BIS is headed by the Chief Vigilance Officer (CVO) and comprises of Vigilance Department at BIS Headquarters.

The Vigilance Department functions in close coordination with the Central Vigilance Commission (CVC), Central Bureau of Investigations (CBI) and Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution. It is entrusted with the responsibility of managing all vigilance related activities in the Bureau in accordance with the guidelines on the subject issued by Central Vigilance Commission and DOPT etc. This, inter-alia, include activities related to:

(a) Preventive vigilance (e.g. streamlining of procedures, training, preparation of 'Agreed List' and 'List of officers of doubtful integrity' etc.)

(b) Punitive Vigilance (e.g. scrutiny of complaints received, investigations, disciplinary action against the officers at fault etc.)

(c) Surveillance and detection (e.g. inspections, scrutiny of annual property returns, monitoring, review meetings etc.)

The Vigilance Awareness Week was celebrated in Bureau of Indian Standards from 27 October 2014 to 01 November 2014. Observance of the Week commenced with the pledge administered by the Director General, BIS to all employees. During the Week, quiz, essay and slogan competitions, etc. on the theme 'Combating Corruption-Technology as an enabler' were organized in various offices of BIS all over India including BIS, HQs, New Delhi. The Award Ceremony of the Week was held on 31 October 2014 at BIS HQs, New Delhi.

A two-day training programme on Preventive Vigilance for the senior officers of BIS was conducted in each of the five regions at Noida, Mumbai, Chennai, Chandigarh and Kolkata during the year. 78 Senior Officers of BIS participated in these five training programmes.

Preventive Vigilance Audits of Parwanoo Branch Office, Coimbatore Branch Office, Jaipur Branch Office and Pune Branch Office were carried out during the year. Appropriate corrective actions on the findings of audits were taken.

मानव संसाधन विकास, प्रशासन एवं सामान्य सेवाएं

भर्ती

वर्ष के दौरान सीधी भर्ती के माध्यम से वैज्ञानिक बी के 67 पद भरे गये। इसके अतिरिक्त, 60 तकनीकी सहायक (प्रयोगशाला) एवं 28 निम्न श्रेणी लिपिक भी भर्ती किए गए ।

31 मार्च 2015 तक कुल 1532 व्यक्ति भामाब्यूरो में कार्यरत थे । 2014–15 के दौरान भामाब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों में तैनात कार्मिक निम्नानुसार हैं :

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT, ADMINISTRATION AND GENERAL SERVICES

Recruitment

During the year, 67 scientists were recruited for the post of Scientist-B through direct recruitment. In addition 60 Technical Assistant (lab) & 28 Lower Division Clerks were also recruited.

As on 31 March 2015, a total of 1532 persons were on roll in BIS. The deployment of personnel in the various activities of BIS during 2014-15 is given below:

गतिविधि Activity	कार्मिकों की समूहवार तैनाती (31 मार्च 2015 को) Group wise Deployment of Personnel (as on 31 March 2015)		
	ए (वैज्ञानिक संवर्ग) A (Scientific Cadre)	ए (गैर वैज्ञानिक संवर्ग) एवं बी,सी,डी A (Non Scientific Cadre) & B,C,D	योग Total
मानक निर्धारण Standards Formulation	80	56	136
प्रमाणन Certification	314	328	642
प्रयोगशालाएं Laboratories	43	230	273
तकनीकी सहायी सेवाएं Technical Support Services	27	124	151
प्रशासन/एच.आर.डी./स्थापना Admin/ HRD/ Estt.	02	151	153
अन्य (कार्पोरेट) Others (Corporate)	17	160	177
योग Total	**483**	**1049**	**1532**

31 मार्च 2015 को समूहवार संख्या निम्नलिखित है:

As on 31 March 2015, the Group wise strength is as under:

समूह Group	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओ.बी.सी./विक्लांग/भूतपूर्व सैनिक का प्रतिनिधित्व Representation of SC/ST/OBC/PH/Ex Ser.	योग Total
ए (वैज्ञानिक संवर्ग) A (Scientific Cadre)	180	483
ए (गैर–वैज्ञानिक संवर्ग) A (Non-Scientific cadre)	16	37
बी B	120	442
सी C	143	344
डी D*	103	226
योग Total	**562**	**1532**

पहले वे समूह 'घ' में थे । छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर भारत सरकार के निर्णय के अनुसार उन्हें विहित प्रशिक्षण देने के बाद, समूह 'घ' कर्मचारियों का स्टेटस उनके प्रशिक्षण पूरा करने के बाद समाप्त हो गया है । अब मल्टीटास्किंग स्किल में प्रशिक्षण के बाद उन्हें समूह 'ग' का कर्मचारी माना जा रहा है ।

*Earlier, they were in Group `D'. After imparting the prescribed training to them as per the decision of Government of India on the recommendation of 6th CPC, the status of Group `D' employees have ceased on their completion of training. Now, after training with multitasking skills, they are being treated as Group `C' employees.

भामाब्यूरो ने मानव संसाधन के विकास संबंधी अपने प्रयास जारी रखे हैं । भामाब्यूरो कार्मिकों को निट्स में इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है एवं समय–समय पर विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित करके उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है।

BIS continues to make its efforts on development of human resource. BIS personnel are imparted training through in-house training programmes at NITS and also by deputing them to the training programmes organized by various agencies from time to time.

भा.मा.ब्यूरो के कर्मचारियों की समग्र जनशक्ति

Strength of BIS Employees

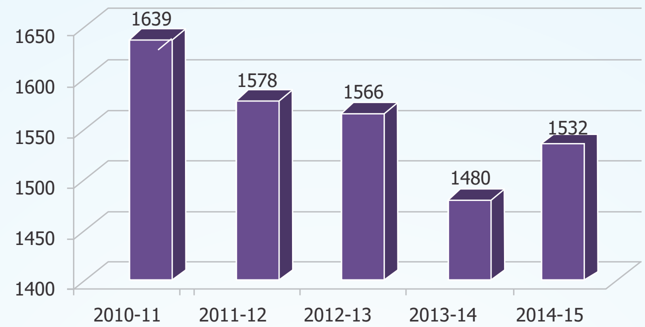

स्वच्छ भारत मिशन

'स्वच्छ भारत मिशन' के संबंध में उपभोक्ता मामले मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के प्रत्युत्तर में निम्नलिखित कार्यवाही की गई :

i) भामाब्यूरो की ओर से, ग्यारह अधिकारियों ने दिनांक 02 अक्टूबर 2014 को राजपथ पर भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित 'स्वच्छ भारत मिशन' के अवसर पर 'वाकेथन' में भाग लिया ।

ii) 20 से 22 जून 2014 एवं 02 अक्टूबर 2014 के दौरान भामाब्यूरो मुख्यालय के सभी विभागों के कर्मचारियों द्वारा 'सफाई अभियान' चलाया गया । इसी प्रकार, कार्यालय परिसरों में और आसपास सफाई अभियान भामाब्यूरो के क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों में भी चलाए गए।

iii) भामाब्यूरो के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में पड़े हुए अप्रयुक्त/दोषपूर्ण फर्नीचर एवं उपकरण को पहचाना गया एवं उनका निपटारा किया गया ।

Swachh Bharat Mission

In response to the directions received from Ministry of Consumer Affairs regarding the 'Swachh Bharat Mission', following actions were taken:

i) On behalf of BIS, eleven officials participated in the 'Walkathon' on the occasion of 'Swachh Bharat Mission' organized by the Sports Authority of India at Raj Path on 02 October 2014.

ii) A cleanliness drive was carried out by the employees in all the departments at BIS HQs during 20 to 22 June 2014 and on 2nd October 2014. Similarly, cleanliness drive in and around the office premises were also carried out at Regional and Branch offices of BIS.

iii) The unused/ defective furniture and equipment lying in various departments and offices of BIS were identified and disposed off.

02 अक्टूबर 2014 को भामाब्यूरो कर्मचारियों को 'स्वच्छता शपथ' दिलाते हुए महानिदेशक, भामाब्यूरो

DG, BIS administering 'Swachhta Shapath' to BIS Employees on 02 Oct 2014

स्टेक होल्डरों की बैठक

दिनांक 01 दिसम्बर 2014 को नई दिल्ली में भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के प्रस्तावित संशोधन के संबंध में भामाब्यूरो द्वारा स्टेकहोल्डरों की बैठक का आयोजन किया गया। माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने इसकी अध्यक्षता की । बैठक में सरकारी संगठनों, पेशेवर निकायों, संघों, उपभोक्ता संगठन, समाजसेवी एवं उद्योगों जैसे– स्टेकहोल्डरों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

Stakeholders' Meeting

A stakeholders' meeting was organised by BIS regarding 'The proposed amendments to the Bureau of Indian Standards Act, 1986', on 01 December 2014 at New Delhi. It was chaired by the Honourable Union Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution. The meeting registered participation of representatives of stakeholders such as governmental organizations, professional bodies, associations, consumer organisations, activists and industries.

नई दिल्ली में आयोजित भामाब्यूरो अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर स्टेकहोल्डरों की बैठक
Stakeholders' Meet on 'The proposed amendments to the BIS Act', organised at New Delhi

स्टाफ वेलफेयर

समूह बीमा योजना, होलीडे होम सुविधा, इन–हाउस डॉक्टर सेवा, आर्थिक सहायता प्राप्त अल्पाहार, चिल्ड्रन स्कॉलरशिप योजना इत्यादि जैसे वेलफेयर के कार्य भामाब्यूरो ने अपने कर्मचारियों के लिये जारी रखे।

निम्नलिखित होलीडे होम भामाब्यूरो मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत कार्यरत थे :

क. भामाब्यूरो मुख्यालय – शिमला
ख. पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय – पुरी
ग. दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय – कोडईकनाल
घ. पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय – लोनावाला

Staff Welfare

BIS continued its welfare measures for its employees, namely, Group Insurance Scheme, Facility of Holiday Homes, In-house Service of a Doctor, Subsidised Refreshment, Children Scholarship Scheme etc.

The following Holiday Homes were functional under BIS HQs and Regional Offices:

a. BIS HQs – Shimla
b. Eastern Regional Office – Puri
c. Southern Regional Office – Kodaikanal
d. Western Regional Office – Lonavala

रिकॉर्ड रूम

रिकॉर्डों को सुरक्षित रखने तथा बेहतर प्रबंधन के उद्देश्य से भामाब्यूरो, मुख्यालय में केंद्रीय रिकॉर्ड रूम कार्य कर रहा है। इसी प्रकार के रिकॉर्ड रूम भामाब्यूरो के क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों मे भी कार्य कर रहे हैं।

Record Room

With the aim of preserving and for better management of the records, a Central Record Room functions at the BIS HQs. Similar Record Rooms are also functioning in all Regional and Branch Offices of BIS.

पुस्तकालय सेवाएं

भामाब्यूरो के मुख्यालय में स्थित तकनीकी पुस्तकालय मानकों एवं संबद्ध विषयों पर जानकारी का एक राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र है और उद्योग, व्यापार, सरकार, अनुसंधानकर्ताओं और उपभोक्ताओं की आवश्यकता को पूरा करता है। 1000 वर्ग मीटर के फ्लोर एरिया में फैला यह पुस्तकालय आज दक्षिण एशिया क्षेत्र का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। इसके संग्रह में पूरे विश्व के लगभग 4 लाख मानक और

Library Services

BIS technical Library located at headquarters is a national resources centre for information on standards and related matters and meets the needs of industry, trade, government, researchers and consumers alike. It is today the largest library of standards in the South Asian Region, covering a floor area of 1000 square meters. The collection includes about 4 lakh standards from all over the world and

70,000 तकनीकी पुस्तकें हैं। 2538 आगंतुकों को संदर्भ सेवाएं प्रदान की गईं तथा विषयों के संदर्भ ग्रंथ तैयार करके और उनकी पसंद की संदर्भ सामग्रियां उन्हें उपलब्ध कराई गई। इसने भारतीय व्यापार और उद्योग से प्राप्त होने वाली 1684 छोटी–बड़ी पूछताछों इत्यादि का उत्तर तुरंत देकर उनकी सहायता की। पुस्तकालय इसमें प्राप्त मानकों के यंत्रीकृत डाटाबेस को नियमित रूप से अद्यतन करके उसका रखरखाव करता है। वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत 33850 प्रकाशनों को इलैक्ट्रोनिक रूप से सूचीबद्ध किया गया है।

कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत समिति का गठन

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के पालन के लिए फरवरी 1998 में भारतीय मानक ब्यूरो में एक शिकायत समिति का गठन किया गया, अक्तूबर 2013 में इसे पुनर्गठित किया गया। मुख्यालय, नई दिल्ली की नवगठित आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के गठन में वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी को अध्यक्ष बनाया गया और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक महिला संघ, नई दिल्ली की एक सदस्य इसमें शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, मुम्बई, कोलकाता, चैन्नई और चंडीगढ़ स्थित चार क्षेत्रीय कार्यालयों में भी आईसीसी गठित की गई है।

70,000 technical books. Reference Services were provided to 2538 visitors by way of preparing exhaustive subject bibliographies and making available, the reference materials of their choice. It assisted the Indian Trade and Industry by answering 1684 long and short range queries as received from them. The Library maintains regular updation of mechanized database of standards received in the library. Under the Annual Action Plan 33850 numbers of publications have been electronically indexed.

Constitution of Complaints Committee on Sexual Harassment of Women at Work Place

In compliance with the guidelines of the Supreme Court of India on the prevention of sexual harassment of women at the work place, a complaint committee was constituted in Bureau of Indian Standards in Feb 1998 that has since been reconstituted in October 2013. The composition of the newly constituted Internal Complaints Committee (ICC) at HQ – New Delhi consists of a senior level women employee as Presiding Officer and one of the members from All India Democratic Women's Association (AIDWA), New Delhi.

In addition, ICCs have also been constituted in the four Regional Offices at Mumbai, Kolkatta, Chennai and Chandigarh.

वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा

लगातार 26वें वर्ष अर्थात् 2014–15 में भी भारतीय मानक ब्यूरो (भा.मा. ब्यूरो) अपनी व्यय और देयताएं स्वयं पूरी करके आत्मनिर्भर बना रहा। वर्ष 2014–15 के दौरान कुल आय (निवेश से आय को छोड़कर) रू. 34542.86 लाख थी जबकि गतवर्ष यह रू. 31443.12 लाख थीं, जिसके परिणामस्वरूप 9.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई, इस आय में सबसे बड़ा हिस्सा प्रमाणन मुहरांकन शुल्क का था, जो गतवर्ष के रू. 27949.15 लाख की तुलना में रू. 30813.14 लाख रहा अर्थात् इसमें 10.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2014–15 के दौरान कुल राजस्व खर्च रू. 18765.93 लाख हुआ जबकि 2013–14 के दौरान यह रू. 18656.30 लाख था, और इसमें 0.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 2014–15 के दौरान आय और व्यय का वर्ष 2013–14 के साथ तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित है:

FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

For the Twenty Sixth consecutive year i.e. 2014-15, Bureau of Indian Standards (BIS) continued to be self reliant in meeting its expenditure and other liabilities. Total income (excluding income from investment) during the year 2014-15 was Rs. 34542.86 lakh as against Rs.31443.12 lakh in the previous year, resulting in an increase of 9.86%. The largest contribution to the income was from Certification Marking Fee which stood at Rs. 30813.14 lakh against Rs. 27949.15 lakh in the previous year i.e. an increase of 10.25%. The total revenue expenditure during the year 2014-15 was Rs. 18765.93 lakh as against Rs. 18656.30 lakh in 2013-14 registering a marginal increase of 0.59%.

A Comparative Statement of Income & Expenditure during the year 2014-15 vis-a-vis 2013-14 is as under:

(₹ लाख में) (₹ in lakh)

		2014-15	2013-14	वृद्धि / गिरावट (-) (%) Increase/ decrease (-) (%)
	आय INCOME			
1	बिक्री / सेवाओं से आय Income from Services	32722.03	29748.73	9.99
2	शुल्क / अंशदान Fees/Subscription	222.46	197.14	12.84
3	रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय Income from Royalty, Publications etc.	1244.13	1233.61	0.85
4	अन्य आय Other Income	354.24	263.64	34.37
	उप–योग Sub Total	34542.86	31443.12	9.86
5	निवेशों से आय Income from Investment	1739.50	1001.96	73.61
	योग TOTAL	36282.36	32445.08	11.83
	व्यय EXPENDITURE			
1	स्थापना व्यय Establishment Expenses	12846.19	12189.30	5.39
2	अन्य प्रशासनिक व्यय आदि Opening and Other Administrative Expenses etc.	5506.42	6139.75	-10.32
3	मूल्यह्रास Depreciation	413.32	327.25	26.30
	उप–योग Sub Total	18765.93	18656.30	0.59
4	पेन्शन / ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा Contribution to Pension/Gratuity Liability Fund A/C			
4.1	निधि हेतु वार्षिक अंशदान Annual Contribution to the Fund	2329.97	2213.13	
4.2	निधि में कमी के लिए अंशदान Contribution towards shortfall in the Fund	0.00	7153.96	
	योग Total	21095.90	28023.39	
	पूंजीगत निधि में अग्रनीत अधिशेष Surplus carried to Capital Fund	15186.46	4421.69	

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS
31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष का पक्का चिट्ठा BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2015

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

	अनुसूची Schedule	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
कार्पस निधि एवं देनदारियां			
CORPUS FUND AND LIABILITIES			
कार्पस/पूंजी निधि Corpus/Capital Fund	1	53508,38,482	38300,35,277
रिजर्व और निधियां Reserves and Surpluses		-	-
उद्दिष्ट/अक्षय निधि Earmarked/Endowment Fund	2	118843,92,402	110108,23,189
प्रतिभूत ऋण और उधार Secured Loans and Borrowings		-	-
अप्रतिभूत ऋण और उधार Unsecured Loans and Borrowings		-	-
आस्थगित क्रेडिट देनदारियां Deferred Credit Liabilities		-	-
वर्तमान देनदारियां और प्रावधान Current Liabilities and Provisions	3	1205,20,705	1132,04,315
योग TOTAL		**173557,51,589**	149540,62,781
परिसम्पत्तियां ASSETS			
अचल परिसम्पत्तियां Fixed Assets	4	12671,32,873	10469,77,446
निवेश : उद्दिष्ट/अक्षय निधि से Investments-from Earmarked/Endowment Funds	5	11675,01,480	12415,39,674
निवेश : अन्य Investments-Others	6	-	-
वर्तमान परिसम्पत्तियां ऋण, अग्रिम इत्यादि। Current Assets, Loans, Advances Etc.	7	149211,17,236	126655,45,661
विविध खर्च (बट्टे खाते या समायोजित न करने तक) Miscellaneous Expenditure(to the extent not written off or adjusted)		-	-
योग TOTAL		**173557,51,589**	**149540,62,781**
सार्थक लेखा सम्बन्धी नीतियां Significant Accounting Policies	16		
आकस्मिक देनदारियां और लेखा पर टिप्पणियां **Contingent Liabilities and Notes on Accounts**	17		
निवेश का विवरण **Details of Investment**	18		

(जी. गुरूचरण)	**(एच.आर. आहूजा)**	**(विनोद कुमार)**
(G. GURUCHARAN)	**(H.R. AHUJA)**	**(VINOD KUMAR)**
महानिदेशक	उपमहानिदेशक (वित्त)	निदेशक (वित्त)
DIRECTOR GENERAL	DY. DIRECTOR GENERAL (FINANCE)	DIRECTOR (FINANCE)

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS
31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय का लेखा
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2015

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

	अनुसूची Schedule	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
आय INCOME			
बिक्री/सेवा से आय Income from Sales/Services	8	3,27,22,02,759	2,97,48,73,091
अनुदान/सब्सिडी Grants/Subsidies		-	-
शुल्क/अंशदान Fees/Subscriptions	9	2,22,45,944	1,97,14,286
निवेशो से आय Income from Investments	10	17,39,49,513	10,01,95,775
रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय Income from Royality, Publications etc.	11	12,44,13,291	12,33,60,809
अर्जित ब्याज Interest Earned	12	9,11,641	15,31,411
अन्य आय Other Income	13	3,45,13,263	2,48,32,981
तैयार माल और डब्लूआईपी के स्टॉक में वृद्धि Increase in stock of Finished goods and WIP		-	-
योग (क) TOTAL (A)		**3,62,82,36,411**	**3,24,45,08,353**
व्यय EXPENDITURE			
स्थापना खर्च Establishment Expenses	14	1,51,76,16,219	1,44,02,53,195
अन्य प्रशासनिक खर्च इत्यादि Other Administrative Expenses etc.	15	55,06,42,239	61,39,74,968
अनुदान, सब्सिडी इत्यादि पर खर्च Expenditure on Grants, Subsidies etc.		-	-
ब्याज Interest			--
मूल्यह्रास Depreciation	4	4,13,31,748	3,27,25,387
पैंशन ग्रेच्युटी देयता निधि खाते में कमी के प्रति अंशदान Contibution towards Shortfall in Pension/ Gratuity Liability Fund Account		-	71,53,96,044
योग (ख) TOTAL (B)		**2,10,95,90,206**	**2,80,23,49,594**
शेष अधिशेष कार्पस पूंजी कोष में लाया गया BALANCE BEING SURPLUS CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND		1,51,86,46,205	44,21,58,759
सार्थक लेखा संबंधी नीतियां Significant Accounting Policies	16		
आकस्मिक देनदारियां और लेखों पर टिप्पणियां Contingent Liabilities and Notes on Accounts	17		
निवेश का विवरण Details of Investment	18		

(जी. गुरूचरण)	(एच.आर. आहूजा)	(विनोद कुमार)
(G. GURUCHARAN)	**(H.R. AHUJA)**	**(VINOD KUMAR)**
महानिदेशक	उपमहानिदेशक (वित्त)	निदेशक (वित्त)
DIRECTOR GENERAL	DY. DIRECTOR GENERAL (FINANCE)	DIRECTOR (FINANCE)

पक्के चिट्ठे की अनुसूची का भाग SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET
भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS
31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष का पक्का चिट्ठा BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2015

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
अनुसूची 1 कार्पस/पूंजी निधि		
SHEDULED-1 CORPUS/CAPITAL FUND		
वर्ष के प्रारंभ आरंभिक शेष		
जोड़ें : कार्पस/पूंजी निधि में अंशदान		
Balance at the beginning of the year	38300,35,277	33878,76,518
Add: Contributions towards Corpus/Capital Fund		
सरकार द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्र के संस्थापन पर प्रदान की गई सब्सिडी की लागत		
Cost of Subsidy provided by Govt. on installation of Solar Power Plant	21,57,000	-
योग		
TOTAL	38321,92,277	33878,76,518
जमा : आय और व्यय लेखा से हस्तांतरित अधिशेष		
Add: Surplus transferred from Income & Expenditure Account	15186,46,205	4421,58,759
वर्ष के अंत में शेष		
BALANCE AT THE END OF THE YEAR	53508,38,482	38300,35,277

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

31 मार्च 2015 को पक्के चिट्ठे की अनुसूची का भाग SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2015

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
अनुसूची 2 – उद्दिष्ट/अक्षय निधि **SCHEDULE 2 - EARMARKED/ENDOWNMENT FUNDS**	हालमार्किंग केन्द्रों को स्थापित करने की योजना के अंतर्गत उपभोक्ता मामले में मंत्रालय से सहायता **Assistance from MOCA under scheme for setting up of Hallmarking Centres**	उपभोक्ता संरक्षण के लिए परियोजनाः गुणता आधारभूत ढांचे के अन्तर्गत उपभोक्ता मामले मंत्रालय से सहायता (ग्यारहवीं योजना) **Assistance from MOCA under the Project:Quality Infrastructure for consumer protection (XIth Plan)**	सी.डब्ल्यू.एफ. के अंतर्गत उपभोक्ता मंत्रालय से सहायता **Assistance from MOCA under C.W.F.**	हितकारी निधि **Benevolent Fund**	सामान्य भविष्य निधि **General Provident Fund**	नई राष्ट्रीय पेंशन फंड **National Pension Scheme Fund**	पेंशन/ग्रेच्यूटी देयता लेखा **Pension/ Gratuity Liability Fund Account**	हॉलमार्किंग शिक्षा एवं संरक्षण निधि **Hallmarking Education & Protection Fund**	योग TOTALS चालू वर्ष **Current Year**	योग TOTALS पिछला वर्ष **Previous Year**
(क) निधियों का आरंभिक शेष a) Opening balance of the funds	7,61,872	4,20,87,278	4,33,560	1,69,001	1,37,36,65,327	68,98,566	9,58,68,07,585		11,01,08,23,189	9525231561
(ख) निधियों में जमा b) Additions to the Funds:										
i) सहायता/अनुदान Assistance/Grants	60,00,000	4,40,00,000							5,00,00,000	18000000
ii) निधि खाते से किये गए निवेशों पर ब्याज से आय Income from Interest on Investments made on account of funds	69,775	4,90,297	6,112	7,416	12,12,05,675	7,58,019	1,04,34,49,341		1,16,59,86,635	1058466162
iii) अन्य – जमा Other Additions										
- संबद्ध निधि में अंशदान Contribution to the respective fund				8,02,590	19,36,53,217	2,79,82,862	23,29,96,996	4,05,431	45,58,41,096	434221361
- पेंशन/ग्रेच्यूटी देयता निधि लेखा में कमी में अंशदान Contribution towards shortfall in Pension/Gratuity Liability Fund A/c										715396044
- अन्य Others		2,81,433					2,03,556		4,84,989	130012
योग (क+ख) TOTAL (a+b)	**68,31,647**	**8,68,59,008**	**4,39,672**	**9,79,007**	**1,68,85,24,219**	**3,56,39,447**	**10,86,34,57,478**	**4,05,431**	**12,68,31,35,909**	**11,75,14,45,140**
ग) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोग/खर्च c) Utilization/Expenditure towards objectives of funds										
i) पूंजीगत खर्च – अचल सम्पत्तियां Capital Expendituare - Fixed Assets										
ii) राजस्व खर्च Revenue Expenditure										
- कर्मचारियों/पेंशनरों को भुगतान Payments to employees/pensioners				5,00,147	21,26,89,363	2,50,93,938	53,35,39,865		77,18,23,313	703779292
- हालमार्किंग केन्द्रों को सहायता Assistance to Hallmarking Centres	49,76,484	2,19,43,710							2,69,20,194	15613483
- आर एंड डी परियोजना R&D Projects										
- अन्य खर्च Other Expenditure										21229176
कुल राजस्व खर्च Total Revenue Expenditure	49,76,484	2,19,43,710	0	5,00,147	21,26,89,363	2,50,93,938	53,35,39,865		79,87,43,507	740621951
योग (ग) TOTAL(c)	**49,76,484**	**2,19,43,710**	**0**	**5,00,147**	**21,26,89,363**	**2,50,93,938**	**53,35,39,865**		**79,87,43,507**	**74,06,21,951**
वर्ष के अंत में निवल शेष 31.03.2015 (क+ख-ग) को NET BALANCE AS AT THE YEAR-END 31.03.2015 (a+b-c)	18,55,163	6,49,15,298	4,39,672	4,78,860	1,47,58,34,856	1,05,45,509	103299,17,613	4,05,431	118843,92,402	11,01,08,23,189

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS
31 मार्च, 2015 का पक्के चिट्ठे की अनुसूची का भाग
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2015

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

अनुसूची 3 – चालू देनदारियाँ और उपबंध SCHEDULE 3- CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
क A. चालू देनदारियाँ CURRENT LIABILITIES		
1. सामान और सेवाओं के लिए विभिन्न, कई लेनदारियाँ Sundry creditors for Goods and Services		
क) अंतःदेशीय a) Inland	618,61,591	605,91,025
ख) विदेश b) Abroad	182,50,535	175,50,221
2. ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम Advances received from Customers		
क) बिक्री a) Sales	4,70,576	6,56,232
ख) प्रमाणन b) Certification	108,69,537	41,34,571
3. सांविधिक देनदारियाँ Statutory Liabilities		
अन्य – देय सेवाकर Others- Service Tax Payable	34,38,857	24,77,644
4. अन्य चालू देनदारियाँ Other Current Liabilities		
क) बयाना/धारणा मूल्य a) Earnest Money/Retention Money	220,51,971	243,50,792
ख) लेखा कर्मचारियों को देय b) Accounts Payable Employees	11,66,583	10,99,764
ग) गुजरात सरकार (ए.बी.ओ. बिल्डिंग लेखा) c) Govt.of Gujarat (ABO Building A/c)	24,11,055	23,44,066
योग (क) TOTAL(A)	**1205,20,705**	**1132,04,315**
ख) B. उपबंध PROVISIONS	**-**	**-**
योग (क+ख) TOTAL(A+B)	**1205,20,705**	**1132,04,315**

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

31 मार्च, 2015 को पक्के चिट्ठे की अनुसूची का भाग SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH 2015

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

	अनुसूची 4 विवरण SCHEDULE-4 DESCRIPTION	सकल ब्लॉक GROSS BLOCK				मूल्यह्रास DEPRECIATION				निवल ब्लॉक NET BLOCK	
		वर्ष के प्रारंभ में लागत/मूल्यांकन Cost/Valuation As at beginning of the year	वर्ष के दौरान जोड़ Additions during the year	वर्ष के दौरान कटौती Deductions during the year	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन Cost/ valuation at the year end	वर्ष के प्रारंभ में As at the beginning of the year	वर्ष के परिवर्धन पर On Additions during the year	वर्ष के दौरान कटौती Deductions during the year	वर्ष के अंत तक योग Total up to the Year-end	चालू वर्ष के अंत पर As at the Current year-end 2014-15	पूर्व वर्ष के अंत पर As at the Previous year-end 2013-14
क. A.	अचल परिसम्पत्तियाँ FIXED ASSETS:										
1	भूमि – पट्टे पर LANDS-LEASE HOLD	593,236,686	0	0	593,236,686	0	0	0	0	593,236,686	593,236,686
2	भवन BUILDINGS	237,784,552	9,816,480	0	247,601,032	154,580,268	13,399,495	0	167,979,763	79,621,269	83,204,284
3	आवासीय फ्लैट RESIDENTIAL FLATS	62,296,310	0	0	62,296,310	38,327,882	1,198,421	0	39,526,303	22,770,007	23,968,428
4	संयत्र, मशीनरी और उपस्कर PLANT, MACHINARY and EQUIPMENTS	244,565,089	1,596,934	2,042,855	244,119,168	203,202,706	6,707,010	1,925,627	207,984,089	36,135,079	41,362,383
5	वाहन VEHICLES	3,430,025	944,984	346,460	4,028,549	2,524,897	277,517	346,460	2,455,954	1,572,595	905,128
6	फर्नीचर, कार्यालय उपस्कर और कम्प्यूटर FURNITURE, OFFICE EQUIPMENTS and COMPUTERS	284,185,682	21,332,449	23,196,833	282,321,298	234,076,099	19,457,555	22,347,414	231,186,240	51,135,058	50,109,583
7	पुस्तकालय की पुस्तकें LIBRARY BOOKS	26,745,358	302,650		27,048,008	26,670,266	291,750	0	26,962,016	85,992	75,092
	योग (क) चालू वर्ष का TOTAL(A) OF CURRENT YEAR	1,452,243,702	33,993,497	25,586,148	1,460,651,051	659,382,118	41,331,748	24,619,501	676,094,365	784,556,686	792,861,584
	पूर्व वर्ष का योग PREVIOUS YEAR	1,438,631,098	27,067,032	13,454,428	1,452,243,702	639,852,143	32,725,387	13,195,412	659,382,118		
B.	प्रगति में पूंजीगत कार्य CAPITAL WORK IN PROGRESS	254,115,862	228,460,325		482,576,187					482,576,187	254,115,862
									योग TOTAL	1,267,132,873	1,046,977,446

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS
31 मार्च, 2015 का पक्के चिट्ठे की अनुसूची का भाग
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2015

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

अनुसूची 5 उद्दिष्ट/अक्षय निधि से निवेश **SCHEDULE 5 - INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUND**		चालू वर्ष **Current Year**	पिछला वर्ष **Previous Year**
1.	सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities	280,163,576	280,731,741
2.	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ State Government Securities	359,165,640	288,747,511
3.	डिबेंचर और बंधपत्र Debentures and Bonds	195,463,670	359,351,828
4.	आर.बी.आई. विशेष जमा RBI Special Deposits	312,708,594	312,708,594
5.	अन्य जमा – सावधि जमा Other Deposits - Fixed Deposits	-	-
	योग TOTAL	**1,147,501,480**	**1,241,539,674**

प्रत्येक उद्दिष्ट/अक्षय निधि के प्रति अनुसूची 5 में दिये गये निवेश निम्नानुसार हैं :

The Investments given in Schedule 5 held against each earmarked/endowment fund are as under:

1.	पेंशन ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा Pension/Gratuity Liability Fund Account		
1.1	डिबेंचर और बंधपत्र Debentures and Bonds	20,000,000	114,000,000
	योग (1) TOTAL(1)	20,000,000	114,000,000
2.	कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि General Provident Fund of Employees		
2.1	सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities	280,163,576	280,731,741
2.2	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ State Government Securities	359,165,640	288,747,511
2.3	डिबेंचर और बंधपत्र Debentures and Bonds	195,463,670	245,351,828
2.4	आर.बी.आई. विशेष जमा RBI Special Deposits	312,708,594	312,708,594
2.5	अन्य जमा Other Deposits	-	-
	योग (2) TOTAL(2)	**1,147,501,480**	**1,127,539,674**
	योग (1)+(2) TOTAL(1)+(2)	**1,167,501,480**	**1,241,539,674**

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

अनुसूची 6 – निवेश – अन्य **SCHEDULE 6 - INVESTMENTS-OTHERS**		चालू वर्ष **Current Year**	पिछला वर्ष **Previous Year**
1.	**निवेश – अन्य Investment - Others**	-	-
	(कार्पस/पूंजीगत निधि से सामान्य निवेश) (General Investments towards the Corpus/Capital Fund)		
	योग TOTAL	-	-

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS
31 मार्च, 2015 का पक्के चिट्ठे की अनुसूची का भाग
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2015

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

अनुसूची 7 – चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम इत्यादि SCHEDULE 7 - CURRENT ASSETS,LOANS AND ADVANCES ETC.	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
क. चालू परिसम्पत्तियाँ A. CURRENT ASSETS		
1. वस्तुसूची Inventories:		
क) प्रयोगशाला उपकरण और स्टोर का सामान a) Laboratory apparatus and stores	1,335,510	423,675
ख) स्टेशनरी b) Stationery	2,852,686	2,944,770
ग) मरम्मत एवं रख–रखाव उपभोग्य सामग्री c) Repair and Maintenance Consumables	660,646	866,402
घ) स्वर्ण आभूषण d) Gold Jewellary	762,018	762,018
योग (1) Total (1)	**5,610,860**	**4,996,865**
2. फुटकर लेनदारियाँ Sundry Debtors		
क) प्रकाशनों की बिक्री a) Sale of Publications		
i) छह माह से अधिक Exceeding six months	60,230	459,604
ii) अन्य others	45,862	174,765
ख) प्रमाणन b) Certification		
i) छह माह से अधिक Exceeding six months	1,977,836	1,966,746
ii) अन्य others	664,639	2,399,038
ग) वसूली योग्य लेखा c) Accounts Recoverable		
i) वसूली योग्य लेखा (कर्मचारी)(अनुसूची 17 की टिप्पणी सं. 2.10 देखें) Accounts recoverable (employees) (See Note No. 2.10 of Sch. 17)	960,973	521,771
ii) सरकारी विभाग से वसूली योग्य (एम.ओ.एफ, एम.ई.ए. एवं एम.ई.ए.) Recoverables from Government Departments (From MOF, MEA & DoCA)	8,423,602	39,442,949
iii) वसूली योग्य लेखा (अन्य) Accounts Recoverable (Others)	25,285,473	34,803,344
योग (2) Total (2)	**37,418,615**	**79,768,217**
3. हाथ में रोकड़ शेष (अग्रदाय सहित) Cash Balance In Hand (Including Imprest)	**727,728**	**718,454**
4. बैंक में शेषः Bank Balances:		
क) अनुसूचित बैंकों में a) With Schedule Banks		
i) चालू खातों में On Current Accounts	87,196,034	92,626,764
ii) बचत खातों में On Saving Accounts	34,389,181	39,825,858
4(क) (i और ii) का उप–योग Sub Total of 4(a) (i and ii)	**121,585,215**	**132,452,622**
iii) जमा खातों में (सावधि जमा) On Deposit Accounts (Fixed Deposits)		
क) निवेश–ईयरमार्क निधि A) Investment - Earmarked Funds		
I) सामान्य भविष्य निधि General Provident Fund	240,330,000	170,630,000
II) अहमदाबाद शाखा कार्यालय भवन परियोजना खाता ABO Building Project A/C	2,333,410	1,335,022
III) नयी पेंशन योजना निधि खाता National Pension Scheme Fund A/C	10,545,509	6,898,566
IV) पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि खाता Pension/Gratuity Liability Fund A/c	10,309,917,613	9,472,807,585
ख) निवेश – अन्य (कार्पस/पूंजीगत निधि की ओर सामान्य निवेश) B) Investment-Others (General Investments towards Corpus/Capital Fund)	2,664,336,878	1,585,693,848
Sub Total of 4(a)(iii)	**13,227,463,410**	**11,237,365,021**
योग (4) Total (4)	**13,349,048,625**	**11,369,817,643**
5. फ्रैंकिंग मशीन शेष Franking Machine Balance	**153,075**	**291,642**
योग (ए) TOTAL(A)	**13,392,958,903**	**11,455,592,821**

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS
31 मार्च, 2015 का पक्के चिट्ठे की अनुसूची का भाग
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2015

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

अनुसूची 7 – चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम इत्यादि SCHEDULE 7 - CURRENT ASSETS,LOANS AND ADVANCES ETC.	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ		
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS		
1. स्टाफ को ऋण: Advances to Staff for:		
i) वाहन खरीद के लिए Purchase of Conveyance	1,648,049	2,612,922
ii) आवास निर्माण के लिए House Building	4,844,977	6,600,005
iii) कम्प्यूटर के लिए Computer	1,106,718	1,338,572
योग (1) **TOTAL (1)**	**7,599,744**	**10,551,499**
2. अग्रिम और वसूली योग्य अन्य राशियाँ अथवा प्राप्त की जाने वाली राशि		
2. **Advances and other amounts recoverable or for value to be received**		
क) बाहरी पार्टियों को पूंजीगत लेखा और अन्य		
a) On capital Account and others to outside parties		
i) परियोजना–मुख्यालय के.लो.नि.वि. (अनुसूची 17 की टिप्पणी सं. 2.1(i) देखें) Projects - HQ CPWD(see Note No. 2.1(i) of Sch.17)	11,801,872	6,167,628
ii) क्षेत्रीय/शाखा कार्या. में भवन निर्माण. के.लो.नि.वि. Building Construction ROs/BOs -CPWD	23,730,142	50,558,764
iii) अन्य (क्षे.कार्या/शा.कार्या/मुख्यालय) Others(Ros/Bos/HQ)	35,582,742	10,628,798
iv) उपभोक्ता कल्याण निधि (एन.बी.सी.सी.) Consumer Welfare Fund(NBCC)	332,260	332,260
v) 11वीं योजना परियोजना स्कीम (अनुसूची 17 की टिप्पणी सं. 2.7 देखें)	2,652,699	64,300,000
vi) Plan Project Schemes (see note No. 2.7 of Sch. 17)		
योग (2क) **TOTAL (2a)**	**74,099,715**	**131,987,450**
ख) पूर्व प्रदत्त व्यय b) Prepaid Expenses	12,702,676	1,968,387
ग) स्टाफ को निम्नलिखित के लिए अग्रिम : c) Advances to Staff for:		
i) त्यौहार Festival	806,390	745,565
ii) प्राकृतिक आपदाएँ Natural calamities	0	700
iii) यात्रा व्यय Travelling Expenses	3,532,163	2,352,524
iv) छुट्टी यात्रा Leave Travel	1,537,630	1,216,185
v) सामान्य भविष्य निधि से स्टाफ को अग्रिम Advances from GPF to Staff	9,064,186	9,804,624
योग (2ग) **TOTAL (2c)**	**14,940,369**	**14,119,598**
घ) पंजीयक – छोटे मामले न्यायालय – मुम्बई (अनुसूची 17 की टिप्पणी सं. 1.3)		
d) Registrar-Small Causes Court - Mumbai(see Note No. 1.3 of Sch. 17)	18,360,598	18,360,598
ङ) प्रतिभूति जमा e) Security Deposits	5,325,763	4,245,151
योग (2) **TOTAL (2)**	**125,429,121**	**170,681,184**
3. प्राप्त आय **Income Accrued**		
क) उद्दिष्टों/अक्षय निधियाँ एवं अन्य से निवेश		
a) On Investments from Earmarked/Endowment Funds and Others		
i) भा.मा.ब्यूरो निधियाँ BIS Funds	1,256,453,659	935,606,851
ii) सामान्य भविष्य निधि GP Fund	81,694,307	58,409,279
योग (3) **TOTAL (3)**	**1,338,147,966**	**994,016,130**
4. प्राप्ति योग्य दावे **Claim Receivable**		
क) आयकर वापसी a) Income Tax Refund	49,750,866	32,306,859
ख) सेवाकर सेनवेट क्रेडिट b) Service Tax CENVET Credit	7,230,636	2,397,168
योग (4) **TOTAL (4)**	**56,981,502**	**34,704,027**
योग (ख) **TOTAL(B)**	**1,528,158,333**	**1,209,952,840**
योग (क+ख) **TOTAL(A+B)**	**14,921,117,236**	**12,665,545,661**

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS
31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए आय व व्यय लेखा की अनुसूची का भाग
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2015

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

अनुसूची 8– बिक्री/सेवाओं से आय SCHEDULE 8-INCOME FROM SALE/SERVICES	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1. सेवाओं से आय Income from Services		
क) उत्पाद प्रमाणन a) Product Certification	3,025,243,095	2,745,853,052
ख) पंजीकरण योजना – एसडीओसी b) Registration Scheme-SDOC	56,071,441	49,062,191
ग) स्वर्ण हॉलमार्किंग प्रमाणन c) Gold Hallmarking Certification	153,722,578	150,302,961
घ) पद्धति प्रमाणन d) Systems Certification	37,165,645	29,654,887
योग TOTAL	**3,272,202,759**	**2,974,873,091**

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

अनुसूची 9– शुल्क/अंशदान SCHEDULE 9-FEE/SUBSCRIPTION	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1. सम्मेलन, परामर्श व प्रशिक्षण शुल्क Confrences, Consultancy and Training Fees	19,225,246	16,529,125
2. पुस्तकालय सदस्यता शुल्क Library Membership Fee	2,879,000	3,098,701
3. स्टैन्डडर्स इंडिया जर्नल का अंशदान Subscription for Standards India Journal	141,698	86,460
योग TOTAL	**22,245,944**	**19,714,286**

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS
31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए आय व व्यय लेखा की अनुसूची का भाग
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2015

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

	ईयरमार्क निधि से निवेश Investment from Earmarked Fund		निवेश – अन्य Investment-Others	
	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
अनुसूची 10– निवेशों से आय **SCHEDULE 10-INCOME FROM INVESTMENTS**				
(निवेश से आय उद्दिष्ट/अक्षय निधि से निम्नलिखित निधि में अंतरित) (Income on Invest. From Earmarked/Endowment Fund transferred to fund)				
1. ब्याज Interest	**1,044,207,360**	951,953,837	172,590,426	98,141,731
2. किराया Rent	-	-	1,359,087	2,054,044
योग TOTAL	**1,044,207,360**	951,953,837	173,949,513	100,195,775
(उद्दिष्ट/अक्षय निधि को अंतरित) **(Transferred to Earmarked/Endowment Funds)** (संदर्भ अनुसूची 2, मद ख(ii), कालम 6 एवं 7, [Refer Schedule 2, Item b(ii) - Col 6 and 7]	**1,044,207,360**	**951,953,837**		

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

अनुसूची 11– रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय **SCHEDULE 11-INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.**	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
क. मानको की बिक्री से आय **A Income from sale of standards**		
1. इलैक्ट्रॉनिक मीडिया पर भा.मा.ब्यूरो प्रकाशनों की बिक्री से आय Proceeds towards Sales of BIS Publications on Electronic Media	67,459,705	41,846,759
2. भारतीय मानकों की बिक्री से आय Income from Sale of Indian Standard	22,159,625	33,627,067
3. विदेशी निकायों के प्रकाशनों की बिक्री पर मार्जिन Margin on Sale of Publications of Overseas Bodies	725,435	1,000,026
4. भारतीय मानकों के पुनरूत्पादन से रॉयल्टी Royalty from reproduction of Indian Standards	0	663,343
योग **TOTAL**	**90,344,765**	**77,137,195**
ख. भारत में आई. एस. ओ. और आई. ई. सी. के. प्रकाशनों की बिक्री से आय B. Retrocession from ISO and IEC on Sale of their Publications in India	34,068,526	46,223,614
योग **TOTAL (A+B)**	**124,413,291**	**123,360,809**

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS
31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए आय व व्यय लेखा की अनुसूची का भाग
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2015

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

अनुसूची 12– अर्जित ब्याज SCHEDULE 12-INTEREST EARNED	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
बचत खाते से On Saving Account	911,641	1,531,411
योग TOTAL	**911,641**	**1,531,411**

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

अनुसूची 13– अन्य आय SCHEDULE 13-OTHER INCOME	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
क) वाहन, कम्प्यूटर व आवास गृह निर्माण अग्रिम से ब्याज a) Interest from Conveyance, Computer and House Building Advances	5,837,158	4,879,945
ख) सी.जी.एच.एस. अंशदान b) CGHS Contribution	1,347,600	1,430,335
ग) स्टाफ क्वार्टरों से लाइसेंस शुल्क c) Licence Fee Staff Quarters	391,256	437,437
घ) मुख्यालय में विविध आय d) Miscellaneous Income at HQ	5,173,462	4,643,885
ड.) क्षे.कार्या./शा.कार्या. से विविध आय e) Miscellaneous Income at RO/Bos	6,910,786	5,959,360
च) प्रयोगशालाओं में विविध आय f) Miscellaneous Income at Laboratories	14,853,001	7,482,019
योग TOTAL	**34,513,263**	**24,832,981**

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS
31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए आय व व्यय लेखा की अनुसूची का भाग
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2015

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

अनुसूची 14– स्थापना व्यय SCHEDULE 14 -ESTABLISHMENT EXPENSES	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1. वेतन और भत्ते PAY AND ALLOWANCES		
क) वेतन आदि a) Salaries and Wages	449,363,544	485,957,307
ख) भत्ते और बोनस b) Allowances and Bonus	675,680,994	591,379,910
ग) टर्मिनल छुट्टी भुनाना c) Terminal Leave Encashment	72,178,737	63,168,283
योग (1) TOTAL(1)	**1,197,223,275**	**1,140,505,500**
2. सेवा निर्वत्ति लाभ RETIREMENT BENEFITS		
क) पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि खाते में अंशदान (अनुसूची 17 की टिप्पणी संख्या 2.2.2 देखें)		
a) Contribution to Pension/Gratuity Liability Fund A/C (See Note No. 2.2.2 of Sch. 17)	232,996,996	221,323,366
ख) राष्ट्रीय पेंशन योजना में अंशदान b) Contribution to National Pension Scheme	13,991,431	10,181,890
ग) जी.पी.एफ. खाते में घाटा c) Deficit in GPF Account	4,817,735	1,309,702
योग (2) TOTAL(2)	**251,806,162**	**232,814,958**
3. अन्य स्टाफ लाभ OTHER STAFF BENEFITS		
क) सी.जी.एच.एस. और अन्य चिकित्सा लाभ – कर्मचारी		
a) CGHS and other Medical Benefits-Employees	24,679,082	26,055,479
ख) चिकित्सा लाभ – पेंशनधारी b) Medical Benefits-Pensioners	18,893,334	20,813,773
ग) स्टाफ कल्याण c) Staff Welfare	8,494,333	8,394,197
घ) छुट्टी यात्रा रियायत d) Leave Travel Concession	16,520,033	11,669,288
योग (3) TOTAL(3)	**68,586,782**	**66,932,737**
योग (1+2+3) TOTAL(1+2+3)	**1,517,616,219**	**1,440,253,195**

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए आय व व्यय लेखा की अनुसूची का भाग
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2015

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

अनुसूची 15– अन्य प्रशासनिक व्यय SCHEDULE 15 -OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1. यात्रा व्यय TRAVELLING EXPENSES		
क) विदेश a) Overseas	20,119	206,972
ख) अधिकारी और स्टाफ b) Officers and Staff	42,256,548	50,752,233
ग) समिति सदस्य c) Committee Members	360,393	699,046
योग (1) TOTAL(1)	**42,637,060**	**51,658,251**
2. अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को चंदे		
SUBSCRIPTION TO INTERNATIONAL ORGANISATIONS.		
क) अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन		
a) International Standards Organization	28,847,095	27,350,663
ख) अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग		
b) International Electrotechnical Commission	7,935,248	8,556,051
योग (2) TOTAL(2)	**36,782,343**	**35,906,714**
3. मुद्रण PRINTING		
क) मानक a) Standards	2,402,985	3,641,428
ख) बुलेटिन b) Bulletin	260,615	573,937
योग (3) TOTAL(3)	**2,663,600**	**4,215,365**
4. परीक्षण एवं निगरानी TESTING & SURVEILLANCE		
क) परीक्षण शुल्क a) Testing Charges	73,879,756	102,286,518
ख) प्रयोगशाला अप्रेंटिस को छात्रवृत्ति b) Stipend to Lab. Apprentices	3,071,044	3,246,940
ग) प्रयोगशाला में खपत योग्य सामान और प्रयोगशाला उपस्कर की मरम्मत और रख–रखाव		
c) Laboratory Consumables and Repair and Maintenance of Lab. Equipment	5,293,039	7,453,883
घ) बाजार नमूने d) Market Samples	3,822,175	2,441,322
ड.) बाहरी एजेंसी के निरीक्षण प्रभार e) Inspection Charges to outside agencies	1,406,029	23,650,204
च) निरीक्षण कार्य के लिए टैक्सी किराए पर लेना f) Hiring of Taxies for Inspection Work	3,772,272	0.00
योग (4) TOTAL(4)	**91,244,315**	**139,078,867**
5. प्रचार PUBLICITY	**133,873,826**	**70,401,513**

6. कार्यालय व्यय OFFICE EXPENSES		
क) लेखन सामग्री a) Stationery	16,944,206	19,646,492
ख) डाक b) Postage	5,275,709	7,638,734
ग) दूरभाष और टेलेक्स c) Telephone and Telex	12,740,696	12,972,858
घ) भर्ती d) Recruitment	969,272	27,544,663
ड) जलपान और मनोरंजन e) Refreshment and Entertainment	1,037,473	1,451,170
च) वर्दी f) Liveries	391,563	545,842
छ) भाड़ा और ढुलाई g) Freight and Cartage	14,190,973	2,425,577
ज) बीमा और बैंक प्रभार h) Insurance and Bank Charges	1,610,542	23,81,595
झ) विविध i) Miscellaneous	3,051,597	33,75,885
ञ) किराया और कर j) Rent and Taxes	30,357,977	293,31,798
ट) बिजली और पानी k) Electricity and Water	43,478,277	370,07,755
ठ) टैक्सी किराया प्रभार l) Taxi Hiring Charges	72,31,388	63,20,521
योग (6) TOTAL(6)	**1372,79,673**	**1506,42,890**
7. मरम्मत और रखरखाव REPAIRS AND MAINTENANCE		
क) फर्नीचर एवं उपस्कर a) Furniture and Equipment	54,53,291	74,62,998
ख) भवन b) Building	111,52,142	358,28,027
ग) वाहन c) Vehicles	10,67,369	27,30,348
योग (7) TOTAL(7)	**176,72,802**	**460,21,373**
8. सम्मेलन, उपभोक्ता जागरूकता, संगोष्ठियाँ एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम CONFERENCES, CONSUMER AWARENESS SEMINARS AND TRAINING PROGRAMME		
क) सम्मेलन/संगोष्ठियाँ a) Conferences/Seminar	125,78,357	136,74,380
ख) एन.आई.टी.एस. में प्रशिक्षण कार्यक्रम b) Training Programme in NITS	68,61,079	77,52,092
योग (8) TOTAL(8)	**194,39,436**	**214,26,472**
9. अन्य व्यय OTHER EXPENSES		
क) सूचना प्रोद्योगिक व्यय a) IT. Expenses	123,26,481	82,05,636
ख) पुस्तकालय चंदा और अन्य व्यय b) Library Subscription and Other Expenses	2,23,465	3,33,330
ग) लेखा परीक्षा शुल्क c) Audit Fees	44,51,612	24,18,264
घ) विधि प्रभार d) Legal charges	21,78,254	21,66,088
ड) श्रम व्यय e) Labour Expenses	350,92,616	559,34,900
च) आवास निर्माण ऋण पर ब्याज पर छूट f) Interest subsidy on House Building Loan	1,76,147	23,611
छ) डूबा ऋण बट्टे खाते में डाला (अनुसूची 17 की टिप्पणी सं. 2.11 देखें) g) Bad Debts Written Off (See Note No. 2.11 of Sch. 17)	7,63,794	75,98,495
ज) पूंजी निवेश (अचल परिसम्पत्तियाँ) बट्टे खाते में डाला (निवल) h) Capital Investments (Fixed Assets) Written off (Net)	0	1,13,549
झ) गुणता पद्धति प्रभार i) Quality System Charges	103,53,586	88,11,325
ञ) हिन्दी प्रोत्साहन गतिविधियाँ j) Hindi Promotional Activities	14,39,736	30,77,815
ट) प्रवर्तन आउटसोर्सिंग व्यय K) Enforcement outsourcing Expenses	223,465	1,54,403
ठ) विनिमय दर परिवर्तन l) Exchange Rate Variation	0	25,88,377
ड) सेनवेट क्रेडिट व्यय m) CENVAT Credit Expenses	1,820,027	31,97,730
योग (9) TOTAL(9)	**690,49,183**	**946,23,523**
योग (1 से 9) TOTAL(1 to 9)	**5506,42,238**	**6139,74,968**

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि के लेखों की अनुसूची का भाग

SCHEDULE FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED 31st MARCH 2015

अनुसूची 16– विशिष्ट लेखाकरण नीतियां

SCHEDULE.16 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. लेखाकरण परिपाटी

अन्यथा नियत न होने पर प्रमाणन आय एवं चूक वाले निवेशों पर देय ब्याज को छोड़कर, जिसका लेखांकन नकद आधार पर किया जाता है, वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी और सामान्यतः लेखांकन की उपार्जन पद्धति के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

2. माल सूचियां

भारतीय मानकों तथा अन्य प्रकाशनों के स्टॉक के मूल्य का लेखा–जोखा नीतिगत रूप से नहीं रखा जाता। तथापि, कागज, प्रयोगशाला की उपभोग्य मदों, स्पेयर पार्ट, लेखन सामग्री एवं स्वर्ण के स्टॉक का मूल्यांकन लागत के आधार पर किया जाता है।

3. निवेश

3.1 निवेश का लेखा–जोखा सामान्यतः लागत पर रखा जाता है।

3.2 स्थायी निवेश के अधिग्रहण पर भुगतान किए गए प्रीमियम परिपक्वता तिथि तक समय अनुपात आधार पर परिशोधित किए जाते हैं।

4. अचल परिसम्पत्तियां

4.1 अचल परिसम्पत्तियों का लेखा–जोखा इन्वार्ड भाड़े, ड्यूटी एवं करों सहित अधिग्रहण की लागत पर रखा जाता है

4.2 मंत्रालयों की अनुदानों/सहायता से उपार्जित अचल परिसम्पत्तियां कार्पस/पूंजीगत निधि में वर्णित संगत मूल्य पर पूंजीगत की जाती हैं।

4.3 नॉन–मोनिटरी अनुदानों के रूप में प्राप्त अचल परिसम्पत्तियां कार्पस/पूंजीगत की जाती है।

5. मूल्यह्रास

मूल्यह्रास आयकर अधिनियम 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार रिटर्न डाउन मूल्य पद्धति पर किया जाता है।

6. सरकारी अनुदान/सहायता

6.1 सरकारी अनुदान/सहायता वसूली आधार पर लेखांकित होता है।

6.2 मंत्रालयों से प्राप्त सभी सरकारी अनुदान/सहायता एवं उनके उपयोग उद्दिष्ट/अक्षय निधि अनुसूची में दर्शाए गए हैं।

6.3 परियोजनाओं की नीतिगत लागत एवं अचल परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए प्रयुक्त सरकारी अनुदान/सहायता कार्पस/पूंजीगत निधि के योजक के रूप में दिखाई गई है।

1. ACCCOUNTING CONVENTION

The Financial Statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and generally on the accrual method of accounting except the Certification Income and the interest due on default investments which are accounted on cash basis.

2. INVENTORIES

The value of Stock of Indian Standards and other publications are not accounted for as a matter of policy. However, the Stock of Paper, Laboratory Consumables, Spares, Stationery and gold are valued at cost.

3. INVESTMENT

3.1 The Investments are usually carried at cost.

3.2 The premium paid on acquisition of permanent investment is amortized on a time proportion basis upto the date of maturity.

4. FIXED ASSET

4.1 Fixed Assets are stated at Cost of acquisition inclusive of inward Freight, Duties and Taxes.

4.2 Fixed Assets acquired out of Grants/Assistance from Ministries are capitalized at values stated, by corresponding credit to Corpus/ Capital Fund.

4.3 Fixed Assets received by way of non-monetary grants are capitalized at values stated by corresponding credit to Corpus/Capital Fund.

5. DEPRECIATION

Depreciation is provided on written down value method as per the rates specified in the Income Tax Act 1961.

6. GOVERNMENT GRANTS/ASSISTANCE

6.1 Government Grants/Assistance are accounted on realization basis.

6.2 All Government Grants/Assistance from Ministries and their utilization are shown in the Earmarked/Endowment Fund Schedule.

6.3 The Government Grants/Assistance utilized towards Capital Cost of setting of projects and acquisition of Fixed Asset are shown as addition to Corpus/Capital Fund.

7. विदेशी मुद्रा का लेनदेन

7.1 विदेशी मुद्रा का लेनदेन उसकी तिथि पर लागू विनियम दर पर लेखांकित होते हैं।

7.2 वर्तमान देनदारियां वर्ष के अंत में लागू विनियम दर पर परिवर्तनीय होती हैं तथा संबंधित लाभ/हानि आय एवं व्यय लेखा में अंतरित की जाती है।

8. वेतन और भत्ते

8.1 वेतन और भत्तों तथा छुट्टी नकदीकरण भुगतान, वेतन एवं भत्तों के तहत नकद आधार पर आय एवं व्यय लेखा से प्रभारित किया जाता है।

9. सेवानिवृत्ति लाभ

9.1 एक्चुरियन मूल्यांकन पर आधारित सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के पेंशन एवं वर्तमान कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की देयता पिछली सेवा को उपार्जित करके अनुसूची उद्धिष्ट/अक्षय निधि के तहत दर्शाए गए पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि के लेखा के अंतर्गत प्रावधान किया गया है।

9.2 एक्चुरियन मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर पेंशन, ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा में संगत केंद्रित सहित आय और व्यय खाते में निधि के लिए वार्षिक अंशदान दिया जाता है।

9.3 वर्ष के दौरान सभी पेंशन लाभों के वास्तविक भुगतान पेंशन ग्रेच्युटी /देयता निधि लेखा के नामे डाले जाते हैं।

10. कर्मचारियों को ऋण

कर्मचारियों को दिए गए भवन निर्माण, वाहन एवं कम्प्यूटर संबंधी ऋणों के ब्याज को ऋण के मूलधन की वसूली के बाद नकदी आधार पर लेखांकित किया जाता है।

11. सामान्य भविष्य निधि

कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखा में अधिशेष/घाटे को ब्यूरो की आय/खर्च के रूप में माना जाता है।

7. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

7.1 Transactions denominated in Foreign Currency are accounted at the exchange rate prevailing at the date of the transaction.

7.2 Current Liabilities are converted at the exchange rate prevailing as at the end of the year and the relevant gain/loss is transferred to Income and Expenditure Account.

8. PAY & ALLOWANCES

The payments of Pay and Allowances and leave encashment are charged to Income and Expenditure Account on cash basis under Pay and Allowances.

9. RETIREMENT BENEFITS

9.1 Liability towards Pension of retired employees and pension and gratuity of existing employees for past service based on the Actuarial Valuation is accrued and provided in the Pension/Gratuity Liability Fund Account shown under the Schedule - Earmarked/Endowment Fund.

9.2 Based on the Actuarial Valuation Report, Annual Contribution to the Fund is provided in the Income and Expenditure Account with corresponding credit to Pension/Gratuity Liability Fund Account.

9.3 The actual payments of all pensionary benefits and recurring pension during the year are debited to Pension/Gratuity Liability Fund Account.

10. LOANS TO EMPLOYEES

The Interest on House Building, Conveyance and Computer Loan given to employees is accounted on cash basis after the recovery of the principal amount of Loan.

11. GPF ACCOUNTS

The surplus/deficit in the GPF Account of employees are treated as income/expense of the Bureau.

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS
दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि के लेखों की अनुसूची का भाग
SCHEDULE FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED 31st MARCH 2015

अनुसूची 17– लेखा संबंधी तत्काल देयताएं एवं टिप्पणियां
SCHEDULE.17 - CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

1 तत्काल देयताएं

1.1 भा.मा.ब्यूरो के निम्नलिखित कार्यालयों की सेवाकर संबंधी विवादित मांगे (जुर्माने एवं ब्याज को छोड़कर)

	(राशि रू.में)
1) चैन्ने क्षेत्रीय कार्यालय	161.67
2) मुम्बई शाखा कार्यालय	75.78
3) पुणे शाखा कार्यालय	28.05
4) कोच्ची शाखा कार्यालय	0.57
5) पटना शाखा कार्यालय	1.05

1.2 जयपुर भवन तथा प्रशिक्षण संस्थान नोएडा भवन के सलाहकार एन.बी.सी.सी. ने जयपुर में भवन और प्रशिक्षण संस्थान, नौएडा के लिए क्रमशः रू. 27.60 लाख और रू. 17.04 लाख के भुगतान का दावा किया है, परन्तु संविदाकार द्वारा किए गए कार्य का भौतिक सत्यापन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है चूंकि एन.बी.सी.सी. द्वारा कुछ सुधारात्मक कार्यवाहियां अभी की जानी हैं तथा उनके साथ लेखों का निपटान कार्य प्रगति पर है। चूंकि, करार के अनुसार राशि भौतिक सत्यापन पर दी जायेगी, इसलिए इसे 31–03–2015 तक परिसम्पत्तियों और देयताओं में एडीशन के रूप में शामिल नहीं किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मुख्यालय के नए केन्द्रीकृत एसी संयंत्र संबंधी मामले का समाधान होने तक इन दो परियोजनाओं के लिए एनबीसीसी को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

1.3 मुम्बई में रिक्त कर दिए गए भा.मा.ब्यूरो के बिक्री कार्यालय के किराये के मामले के संबंध में लघुवाद न्यायालय, मुम्बई को भुगतानः यदि ब्यूरो द्वारा न्यायविधान के माननीय उच्च न्यायालय, मुम्बई में दायर की गई अपील (याचिका सं. 7380/2006) माननीय लघुवाद अपील न्यायालय (दो सदस्यीय पीठ) मुम्बई के आदेश के विरूद्ध स्वीकार नहीं की जाती है तो आकस्मिक देयता रू. 3,66,60,598.00 (1,83,60,598.00 डिमांड ड्राफ्ट द्वारा और रू. 1,83,00,000.00 बैंक गारंटी द्वारा दोनों ही पंजीयक लघुवाद न्यायालय, मुम्बई के पक्ष में) दिए जा सकते हैं। आरंभ में, माननीय लघुवाद न्यायालय, मुम्बई ने अपनी दिनांक 09.09.2005 के निर्णय में मध्यवर्ती लाभ लगाया है जिसे ब्यूरो द्वारा 205 – प्रति वर्गफीट की दर से प्रति माह 3255 वर्गफीट के क्षेत्र के लिए 01.06.2000 से 30.04.2004 तक 6ः प्रति वर्ष ब्याज दर से आवेदन की तिथि से अर्थात् 27.02.2002 से मध्यवर्ती लाभ की पूर्ण राशि वादी को भुगतान किया जाना है। न्यायालय की दो सदस्यीय

1. CONTINGENT LIABILITIES

1.1 Disputed Demands of Service Tax(excluding penalty and interest) at following offices of BIS:

		(Amount in lakh)₹
(i)	Chennai Regional Office	161.67
(ii)	Mumbai Regional Office	75.78
(iii)	Pune Branch Office	28.05
(iv)	Kochi Branch Office	0.57
(v)	Patna Branch Office	1.05

1.2 **NBCC, the consultant for the Jaipur Building and Training Institute Building NOIDA** has claimed payment of Rs. 27.60 lakh and Rs. 17.04 lakh in respect of work at Jaipur Building and Training Institute, NOIDA Building respectively, However, physical verification of work done by the contractor(s) is not yet completed as some corrective actions are yet to be taken by NBCC and the settlement of accounts with them is under progress. As the amount payable is subject to physical verification as per the contract, therefore, these have not been taken as Addition to Assets and Liabilities as on 31.3.2015. It has been decided by BIS that no payment shall be released to NBCC against these two projects till settlement of the issues in the New Central AC Plant at Headquarter.

1.3 **Payments to Small Causes Court, Mumbai regarding the rent case of vacated BIS Sales Office in Mumbai:** The contingent liability of Rs. 3,66,60,598/- (Rs. 1,83,60,598/- by way of Demand Drafts and Rs. 1,83,00,000/- by way of Bank Guarantee, both in favour of Registrar Small Causes Court, Mumbai) may arise, in case the appeal filed by the Bureau in the Hon'ble High Court of Judicature at Bombay, (Writ Petition No. 7380/2006) against the order of the Hon'ble Appellate Court(Double Bench) of Small Causes, Mumbai; is not allowed. Initially, the Hon'ble Small Cause Court, Mumbai; vide its judgment dated 09.09.2005 had fixed mesne profit, to be paid by BIS at the rate of 205/- per sq. feet per month for the area of 3255 sq. ft from 01.06.2000 to 30.04.2004 with interest @ 6% p.a. from the date of application, i.e. 27.02.2002 till entire amount of mesne profits paid to plaintiff. On the appeal filed by Bureau, the

पीठ मुम्बई, ने दिनांक 07.09.2006 के निर्णय में, अपील को आंशिक रूप से अनुमत किया तथा प्रतिवर्ष वार्षिक ब्याज 6% की दर से मध्यवर्ती लाभ को कम करके रू. 5,17,545 किया है। इससे ब्यूरो को कुछ राहत मिली है, किन्तु यह ब्यूरो को स्वीकार्य नहीं थी। इसलिए ब्यूरो द्वारा दिनांक 08.11.2006 को न्यायविधान के कानूनी न्यायालय, मुम्बई में रिट याचिका सं. 7380/2006 दायर की गई, जो अभी लम्बित है।

रू. 1,83,60,598/– की दी गई राशि वर्तमान परिसम्पत्तियों, ऋण और अग्रिम (अनुसूची 7 ख मद 2(घ), के अंतर्गत रखी गयी है। यदि भामाब्यूरो की इस मामले में जीत होती है तो वापस प्राप्त राशि को समायोजित कर दिया जायेगा अन्यथा दी गई राशि को आय एवं व्यय लेखा में प्रभारित किया जाना अपेक्षित होगा जिसके लिए बजट में कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से प्रावधान किया जायेगा।

1.4 उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय एनआरओ, चंडीगढ़ परिसर के संदर्भ में किराये में वृद्धि की मांग: भा.मा.ब्यूरो एन.आर.ओ. और भवन के मालिक के बीच लीज किराया डीड 30.04.2009 तक रू. 1,58,400/– प्रतिमाह के किराये के लिए वैध थी। मालिक ने किराये में वृद्धि की मांग की तथा भामाब्यूरो को एक कानूनी नोटिस भेजा कि समझौते के अनुसार, भामाब्यूरो कार्यालय परिसर खाली कर दे या केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा मूल्यांकित मार्केट दर से किराये का भुगतान करे। इस मामले पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ। मकान मालिक ने अपने दिनांक 12.12.2009 के पत्र द्वारा नेगोशिएट प्रतिमाह उस क्षेत्र में 01.05.2009 से प्रभावी रू. 8.00 लाख के बाजार किराये की अपेक्षा रू. 5.00 लाख प्रतिमाह के किराये की पेशकश की। इसलिए रू. 500 लाख प्रतिमाह मई 2009 से मार्च 2013 तक रू. 242.54 लाख की राशि, जिसमें 1.584 लाख का अंतर है तथा मकान मालिक को देय हो सकती है, अतः यह तत्काल देयता है। पुनः, भवन के मकान मालिक ने भामाब्यूरो; उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मई, 2014 से मार्च 2015 अवधि के लिए किराये का भुगतान लेना स्वीकार नहीं किया है जिसके लिए रू. 17.42 लाख (अर्थात् रू.158400×11 माह) की देयता एनआरओ खाता की बहियों में सृजित की गई है तथा ''फुटकर केडिटर'' के अंतर्गत अनुसूची 3 में दिखाई गयी है।

1.5 बैंक गारंटी: हैदराबाद में अग्नि–शमन प्राधिकरण की अपेक्षाओं के अनुसार हैदराबाद शाखा कार्यालय के नये कार्यालय भवन के लिए अग्नि शमन सेवा उपस्करों के लिए आपदा प्रतिक्रिया एवं अग्नि शमन सेवा महानिदेशक, हैदराबाद के पक्ष में रू. 5.00 लाख की बैंक गारंटी जारी की गई। यह बैंक गारंटी सिंडिकेट बैंक, हैदराबाद से बैंक में फिक्सड डिपोजिट रसीद के प्रति जारी की गई थी तथा यह 06.01.2015 से 05.01.2020 तक वैध है।

1.6 क्रेडिट पत्र: लेको कार्पोरेशन, 3000 लेक ब्यू एवेन्यू, सेंट

Hon'ble Appellate Court(Double Bench) of Small Causes, Mumbai; vide its judgment dated 07.09.2006, partly allowed the appeal and reduced the mesne profit @ Rs. 5,17,545/- per month with 6% interest p.a. thereby giving the Bureau some relief, which was also not acceptable to the Bureau. Hence writ petition No. 7380/2006 was filed by the Bureau on 08.11.2006 before the Hon'ble High Court of Judicature at Mumbai which is still pending.

The paid amount of Rs. 1,83,60,598/- has been kept under Current Assets, Loans and Advances{Schedule 7B(Item 2(d)}. In case BIS wins the subject case, the amount received back will be adjusted else the amount paid will be required to be charged to Income and Expenditure Account for which provision shall be made in the Budget with the approval of Executive Committee.

1.4 Demand for increase in rent in respect of Northern Regional Office(NRO) premises at Chandigarh: The lease rent deed between BIS:NRO and the landlords of the building was valid upto 30.04.2009 at monthly rent of Rs. 1,58,400/- . The landlord had demanded increase in rent and issued legal notice to BIS that as per the agreement, BIS should vacate the office premises or pay market rent as assessed by CPWD. The landlord in its letter dated 12.12.2009 has offered to negotiate and charge rent of Rs. 5.00 lakh per month against the market rent of Rs. 8.00 lakh per month in that area with effect from 01.05.2009. Therefore, an amount of Rs. 242.54 lakh being the difference of Rs. 1.584 lakh and Rs. 5.00 lakh per month from May 2009 to March 2015 may become payable to the landlord, hence contingent liability. Further, the landlord of the Building had not accepted the payment of rent made by BIS:NRO for the period from May 2014 to March 2015 for which liability of Rs. 17.42 lakh (i.e. Rs. 158400 x 11 months) has been created in the Books of Accounts of NRO and appears in Schedule 3 under 'Sundry Creditors'

1.5 Bank Guarantee: As per the requirement of Fire Authorities at Hyderabad, a bank guarantee of Rs. 5.00 lakh was issued in favour of Director General of Disasters, Response and Fire Services, Hyderabad for Fire Services Equipments of new Hyderabad Office Building. This Bank Guarantee was got issued from Syndicate Bank, Hyderabad against a Fixed Deposit Receipt of the Bank and the same is valid for the period from 06.01.2015 to 05.01.2020.

1.6 Letter of Credit: A letter of Credit No. FLC No.

जोसेफ मिशिगन 49085, यूएस से मशीन सीएस 250 साइमलटेनियस कार्बन सल्फर डिटर्मिनेटर इत्यादि की आपूर्ति के लिए केनरा बैंक, डीडीयू मार्ग, नई दिल्ली में यूएस 37423.33 लगभग 24.00 लाख रूपये का क्रेडिट पत्र सं. एफएलसी सं. 0179 एफएलसी 40332015 खोला गया है। यह क्रेडिट पत्र केनरा बैंक में फिक्सड डिपोजिट की रसीद के प्रति खोला गया है।

2. लेखा संबधी टिप्पणियां

2.1 पूंजीगत वचनबद्धताएं: पूंजीगत लेखा पर ऐसी संविदा, जिस पर कार्य होना शेष है और जिसका प्रावधान (अग्रिमों के निवल) नहीं किया गया है, के मूल्य निम्नानुसार है:

i) सी.पी.डब्ल्यू.डी. को मुख्यालय भवन की एयरकन्डीशनिंग के लिए रू. 3.82 करोड़, (अनुमानित कुल लागत रू. 17.02 करोड़ में से सी.पी.डब्ल्यू.डी. को दिए गए अग्रिम 13.20 करोड़ घटाये)

ii) सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय के भवन निर्माण के लिए रू. 4.35 करोड़, (कुल अनुमानित लागत रू. 17.04 करोड़ में से सी.पी.डब्ल्यू.डी. को दिए गए अग्रिम रू. 12.69 करोड़ घटाये)

iii) सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा राजकोट क्षेत्रीय कार्यालय के भवन निर्माण के लिए 1.38 करोड़, (कुल अनुमानित लागत रू. 5.38 करोड़ में से सी.पी.वन निर्माण के लिए रु० 4.00 कम भुगतान किया गया।

iv) सीपीडब्ल्यूडी द्वारा हैदराबाद कार्यालय भवन के निर्माण की कुल अनुमानित लागत की दिशा में रु० 1.94 करोड़ (सीपीडब्ल्यूडी रुपये के लिए किए गए खर्च के भुगतान रु० 11.05 करोड़ कुल अनुमानित लागत रु० 12.99)।

v) 11वीं योजना के अंतर्गत उपभोक्ता मामले के विभाग, भारत सरकार से प्राप्त सहायता से उपभोक्ता शिक्षा एवं प्रशिक्षण, एच. आर.डी. एवं क्षमता निर्माण के लिए सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा नोएडा के प्रशिक्षण संस्थान भवन को आधुनिक बनाने के लिए रू. 0.08 करोड़ (अनुमानित कुल लागत रू. 6.51 करोड़ में से सी.पी.डब्ल्यू.डी. को अग्रिम के रूप में दिए गए रू. 6.43 करोड़ घटाये)

vi) सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयोगशाला, मोहाली के नवीकरण के लिए 0.26 करोड़ (कुल अनुमानित लागत 0.81 करोड़ में से सी.पी.डब्ल्यू.डी. को दिया 0.55 करोड़ रूपये का भुगतान घटाये)

vii) जम्मू कार्यालय भवन के लिए सी.पी.डब्ल्यू.डी. को 0.22 करोड़, (अनुमानित लागत 3.80 करोड़ रूपये में से सी.पी.डब्ल्यू.डी. को दिया 3.58 करोड़ रूपये का भुगतान घटाये)

2.2 पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा (अनुसूची 2—कॉलम 7)

2.2.1 मै./— के.ए. पंडित परामर्शदाता और एक्चुरीज द्वारा प्रस्तुत भामाब्यूरो पेंशनरों और कर्मचारियों के पेंशन/सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रोद्भूत देयता हेतु **एक्चुरियल मुल्यांकन रिपोर्ट** को कार्यकारिणी समिति ने अपनी 17.06.2013 को हुई 112वीं बैठक में अनुमोदित किया था। रिपोर्ट के अनुसार पेंशन और ग्रेच्युटी के रूप में वर्तमान कर्मचारियों द्वारा विगत में दी गई सेवा और पेंशन के रूप

0179FLC40332015 had been opened in Canara Bank, DDU Marg, New Delhi for US $ 37423.33(Approx. Rs.24.00 lakh) for supply of Machine CS230 Simultaneous Carbon Sulfur Determinator etc. from Leco Corporation 3000 Lake View Avenue, St. Joseph Michigan 49085, USA. The LC was opened against Fixed Deposit Receipt of Canara Bank.

2. NOTES ON ACCOUNTS

2.1 Capital Commitments: The value of the contract remaining to be executed on Capital Account and not provided for (net of Advances) are given as under:

i) Rs. 3.82 crore towards Air Conditioning of HQ Building by CPWD. (Total Estimated Cost Rs. 17.02 crore LESS payment made to CPWD Rs. 13.20 crore).

ii) Rs.4.35 crore towards construction of Chandigarh Regional Office Building by CPWD (Total Estimated Cost Rs. 17.04 crore less payment made to CPWD Rs. 12.69 crore).

iii) Rs. 1.38 crore towards construction of Rajkot Office Building by CPWD (Total Estimated Cost Rs.5.38 crore less payments made to CPWD Rs. 4.00).

iv) Rs. 1.94 crore towards total estimated cost of construction of Hyderabad office building by CPWD(Total Estimated Cost Rs.12.99 crore less payments made to CPWD Rs. 11.05 crore).

v) Rs. 0.08 crore towards Modernization of Training Institute Building at Noida by CPWD from the assistance received from the Department of Consumer Affairs, Govt. of India under XIth Plan Scheme "Consumer Education and Training, HRD and & Capacity Building" – (Total Estimated Cost Rs. 6.51 crore LESS payments made to CPWD Rs. 6.43 crore).

vi) Rs. 0.26 crore towards renovation of Northern Regional Office Lab, Mohali by CPWD (Total Estimated Cost Rs.0.81 crore less payment made to CPWD Rs. 0.55 crore).

vii) Rs. 0.22 crore towards construction of Jammu Office Building by CPWD (Total Estimated Cost Rs.3.80 crore less payments made to CPWD Rs. 3.58 crore).

2.2 Pension/Gratuity Liability Fund Account (Schedule 2-column 7)

2.2.1 **The Actuarial Valuation Report for** assessment of accrued liability for Pension/Retirement benefits of BIS Pensioners and Employees submitted by M/S K.A.Pandit Consultants and Actuaries was approved by the Executive Committee(EC) in its 112th meeting held on 17.06.2013. According to Report, the total accrued liability for the existing employees for the past service rendered towards pension and gratuity and for

में वर्तमान पेंशनरों/फेमिली पेंशनरों की कुल प्रोद्भूत देयता 31.03.2013 को रू. 888.35 करोड़ थी। इस देयता का एक्चुरियल मूल्यांकन प्रत्येक तीन वर्ष बाद किया जा रहा है और अगला मूल्यांकन 31.03.2016 को होना है।

2.2.2 एक्चुरियल मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार वेतन (वेतन जी.पी. डी.ए.) का 25 प्रतिशत वार्षिक अंशदान भी दिया जाए तथा सक्रिय कर्मचारियों की भविष्य की पेंशन देयता और ग्रेच्युटी देयता के रूप में प्रति वर्ष आय और व्यय लेखे में प्रभारित की जानी चाहिए । इसके अनुरूप 'पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि खाते' में अंशदान के लेखा शीर्ष के अंतर्गत आय और व्यय खाते में रू 23,29,96,996 की राशि प्रभारित की गई है (2014–15 के दौरान अनुसूची 14 – मद (2क) तथा पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि खाते के लेखा शीर्ष (अनुसूची 2, कॉलम 7) में जमा की गई) ।

2.2.3 उपार्जन आधार पर निवेशों पर कमाया कुल ब्याज रू. 1,21,67,97,786 है। जिसमें कार्पस/पूंजी निधि में भामाब्यूरो के पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा, राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन.पी.एस.) निधि (ऐसे कर्मचारियों के लिए जिनका पीआरएएन खाता अभी खुला नहीं है) के निवेश पर ब्याज शामिल है। इसमें रू. 7,58,019 की राशि का ब्याज आबंटित किया गया है और राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन.पी.एस.) निधि खाते में जमा किया गया है। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन.पी.एस.) अभिदाताओं को, कुल अर्जित रू. 1,21,60,39,767 के शेष ब्याज को 'पेंशन/ग्रेज्युटी देयता निधि लेखे के लिए निवेश तथा कार्पस/पूंजी निधि लेखा के लिए सामान्य निवेश में पेंशन देयता खाते एवं आय तथा व्यय खाते के बीच 01.04.2014 तक के आरंभिक शेष के अनुपात में निम्नलिखित के अनुसार बांट दिया गया है:

the existing pensioners/family pensioners towards their pension amounted to Rs. 888.35 crores as on 31.03.2013. The actuarial valuation of this liability is being done after every three years and the next valuation is due on 31.03.2016.

2.2.2 According to the Actuarial Valuation Report, an Annual Contribution of 25% of Salary (Pay+GP+DA) is also required to be made and charged to Income and Expenditure Account every year towards the future service pension and gratuity liability of the active employees. In consonance with this, an amount of Rs. 23,29,96,996 has been charged to Income and Expenditure Account under the account head 'Contribution to Pension/Gratuity Liability Fund Account' [Schedule 14-Item (2a)] and credited to Account Head ' Pension/Gratuity Liability Fund Account' (Schedule 2, column 7) during 2014-15.

2.2.3 The total interest earned on investments on accrual basis amounted to Rs. 1,21,67,97,786. This includes the interest on the Investment towards Pension/Gratuity Liability Fund A/C, Investment towards National Pension Scheme(NPS) Fund (in respect of employees whose PRAN Accounts are not yet opened) and the General Investment of BIS against Corpus/Capital Fund. Out of this, the interest amounting to Rs.7,58,019 have been allocated and credited to National Pension Scheme (NPS) Fund Account. The remaining interest earnings of Rs. 1,21,60,39,767 have been apportioned between Pension/Gratuity Liability Fund A/C and Income and Expenditure A/C in the ratio of opening balance as on 1.4.2014 in the 'Investment towards Pension/Gratuity Liability Fund A/C' and 'General Investments towards Corpus/ Capital fund A/C' as under:

निधियों में निवेश **Investment towards the Funds**	1.4.2014 के निवेश पर आरंभिक शेष **Opening Balance of Investments as on 1.4.2014**	2014–15 हेतु 1.4.2014 के निवेश पर आरंभिक शेष अनुपात में विभाजित रू. 1,21,60,39,767 का ब्याज **Interest of Rs1,21,60,39,767 for 2014-15 apportioned in the ratio of opening balance of Investments as on 1.4.2014**
पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि खाते के लिए {अनुसूची 5 मद 1.1 तथा अनुसूची 7क मद 4क (क)} का योग Investment towards Pension/Gratuity Liability Fund A/C {total of Schedule 5 (Item1.1) and Schedule 7A ,Item 4(a)(iii)(A)(IV)}	9,58,68,07,585	1,04,34,49,341
कार्पस/पूंजीगत निधि लेखा के लिए सामान्य निवेश {अनुसूची 7क मद 4(क)(ख)} General Investments towards Corpus/ Capital fund A/C {Schedule 7A ,Item 4(a)(iii)(B)}	1,58,56,93,848	17,25,90,426
योग **Total**	**11,17,25,01,433**	**1,21,60,39,767**

तद्नुसार, रू. 1,04,34,49,341 के अर्जित ब्याज को 'पेंशन/ग्रेज्युटी देयता निधि खाते' अनुसूची 2 कॉलम 7 में जमा कर दिया है तथा रू. 17,25,90,426 को शेष ब्याज आय और व्यय लेखा (अनुसूची 10 देखें) में दिखाया गया है।

2.2.4 वर्ष 2014–15 के दौरान पेंशन/ग्रेच्युटी तथा कम्यूटेशन के निवल भुगतानों की कुल राशि रू. 53,33,36,309 (कुल भुगतान रू. 53,35,39,865 में से प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से प्राप्त रू. 2,03,556 रूपये घटाने पर) थी। इसे पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि खाते (अनुसूची 2 का 7) के नामे डाला गया है।

2.2.5 उक्त लेन–देन के परिणाम स्वरूप 31.03.2015 को पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि खाते में रू. 10,32,99,17,613 की राशि शेष है (अनुसूची 2 कालम 7)।

2.3 1.1.2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों पर लागू राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन.पी.एस) – भा.मा.ब्यूरो में सभी नए भर्ती किए गए कर्मचारियों पर सरकार की नई पेंशन योजना 1.1.2014 से लागू है। जो कर्मचारी रेगूलेटर के साथ नामांकित हैं, उन कर्मचारियों का तथा भा.मा.ब्यूरो का अंशदान मासिक आधार पर भेजा जाता है। तथापि, जिनका नामांकन अभी होना है उन कर्मचारियों तथा भा.मा.ब्यूरो का अंशदान भामाब्यूरो द्वारा अपने पास एन.पी.एस खाते में रखा जाता है और इसे निवेश किया जाता है तथा उस पर ब्याज, जो सा.भ.निधि की ब्याज दर के समान है, उनके खाते में जमा किया जाता है। दिनांक 31.03.2015 तक भामाब्यूरो की नई पेंशन योजना निधि में शेष राशि रू.1,05,45,509 थी (अनुसूची 2, कॉलम 6)।

2.4 भा.मा.ब्यूरो निधियों का कुल निवेश

2.4.1 भा.मा.ब्यूरो निधियों का कुल निवेश (अर्थात् पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि खाते के लिए निवेश राष्ट्रीय पेंशन योजना निधि के लिए निवेश तथा कॉपर्स पूंजीगत निधि के लिए निवेश) दिनांक 31.03.2015 को रू. 13,00,48,00.000 की राशि के थे। इसमें से रू. 1,05,45,509 'एन.पी.ए. निधि खाता (अर्थात् एन.पी.ए. निधि की राशि के समान) अनुसूची 7 के अंतर्गत मद 4 (क) के में प्रदर्शित में आबंटित किये गये' तथा रू.10,32,99,17,613 पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि खाते में निवेश (अर्थात् पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि खाते के समान) अनुसूची 5 की मद 1.1 के अंतर्गत प्रदर्शित रू. 2,00,00,000 तथा (अनुसूची 7क की मद 4 (क) (iii) (क) (iii) (ख) में प्रदर्शित) रू. 10,30,99,17,613 में आवंटित किए गए। रू. 2,66,43,36,878 के शेष का निवेश 'कार्पस/पूंजीगत निधि के लिए सामान्य निवेश (अनुसूची 7 (ए) के अंतर्गत मद 4(क) (iii) (ख) में प्रदर्शित) से संबंधित है। 31 मार्च, 2015 को कुल निवेश के विवरण अनुसूची 18 में दिए गए हैं।

2.4.2 यू.पी. कॉपरेटिव और स्पेनिंग मिल्स फेडरेशन लि. (यू.पी.सी.एस.एम.एफ.एल), उत्तर प्रदेश सरकार का एक उपक्रम है जिसने ब्याज और परिपक्वता की तारीख पर मूलधन के भुगतान में चूक की है। 17.12.1998 को 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर

Accordingly, the interest earnings of Rs.1,04,34,49,341 have been credited to 'Pension/Gratuity Liability Fund Account' (Schedule 2 Column 7) and the remaining interest earnings of Rs. 17,25,90,426 appear in the Income and Expenditure Account (Refer Schedule 10).

2.2.4 The total net payments of pension, gratuity and commutation during 2014-15 amounted to Rs.53,33,36,309 {Gross payments Rs.53,35,39,865 minus receipts from deputationists Rs.2,03,556} This has been debited to 'Pension/Gratuity Liability Fund Account' {Schedule 2, column 7}.

2.2.5 As a result of the above transactions, the balance in the Pension/Gratuity Liability Fund A/C, as on 31.03.2015 amounts to Rs. 10,32,99,17,613{Schedule 2, Column 7} .

2.3 **National Pension Scheme(NPS) applicable to recruits from 1.1.2004 onwards:** The NPS of Govt. of India is applicable to all recruits in BIS from 1.1.2004. The employees and BIS contribution in respect of those who are enrolled with the Regulator are remitted on monthly basis. However the employees and BIS contribution in respect of those who are yet to be enrolled with the Regulator is kept with BIS under NPS Fund Account and is invested by BIS and the interest equal to GPF interest rate is credited to their accounts. The balance in this NPS Fund with BIS as on 31.3.2015 amounted to Rs.1,05,45,509 {Schedule 2, Column 6}.

2.4 Investment of BIS Funds

2.4.1 **The total investments of BIS Funds** (i.e. Investment against Pension/Gratuity Liability Fund A/C, Investment against NPS Fund and Investment against Corpus/Capital Fund) as on 31.3.2015 amounted to Rs. 1 3,00,48,00,000. Out of this, the investments of Rs. 1,05,45,509 have been allocated to 'Investment towards NPS Fund Account' (i.e. equal to the amount of NPS Fund) (shown under Item 4(a) (iii) (A) (III) of Schedule 7A) and Rs. 10,32,99,17,613 have been allocated to 'Investment towards Pension/Gratuity Liability Fund A/C' (i.e. equal to the amount of Pension/Gratuity Liability Fund A/C) [Rs.2,00,00,000 shown under Item 1.1 of Schedule 5 and Rs. 10,30,99,17,613 shown under Item 4(a)(iii)(A)(IV) of Schedule 7A]. The remaining investments of Rs. 2,66,43,36,878 pertains to 'General Investment towards Corpus/Capital Fund' (shown under Item 4(a) (iii) (B) of Schedule 7A). The details of total investments as on 31st March 2015 are given in Schedule 18.

2.4.2 U.P. Cooperative and Spinning Mills Federation Ltd. (UPCSMFL), an undertaking of Uttar Pradesh Government had defaulted in the payment of interest and principal on maturity dates. The investment of Rs. 200 lakh was made on 17.12.1998 at the rate of

से 200 लाख रू. का निवेश किया गया था जिसकी देय तारीख 30.04.2003 (33 प्रतिशत), 30.10.2003 (33 प्रतिशत) तथा 30.04. 2004 (34 प्रतिशत) को परिपक्वता थी। 01.05.2000 से इसका ब्याज चूक के अंतर्गत है, जो कूपन दर की परिपक्वता की तारीख तक रू. 128.00 लाख की राशि का है। भा.मा.ब्यूरो ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी.) के समक्ष मामला (पेटिशन सं. 451/2002) दायर की है, जो निर्णय के लिए लंबित है ।

2.5 नोएडा में प्रशिक्षण संस्थान भवन के लिए ढांचागत सुविधाओं हेतु सरकार की उपभोक्ता कल्याण निधि से वित्तीय सहायता (अनुसूची 2, कालम 3) 31.03.2015 को उपभोक्ता कल्याण निधि खाते में शुद्ध अव्ययित (रू. 3,32,260 के अग्रिम को खाते में लेने के बाद) रू. 1,07,412 राशि हो गई (अर्थात अनुसूची 2 के अनुसार रू. 4,39,672 के अग्रिम को एन.बी.सी.सी. में से समायोजित की जाने वाली राशि घटा कर रू. 3,32,260 है। [अनुसूची 7 (ख) मद 2(क) (iv)]

2.6 केन्द्रीय सहायता से भारत में स्वर्ण हॉलमार्किंग/एसेइंग केन्द्र स्थापित करने की योजना : भा.मा.ब्यूरो द्वारा यह योजना खाद्य, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही है। उपभोक्ता मामले विभाग ने अपने पत्र दिनांक 8.2.2004– भा.मा. ब्यूरो, दिनांक 30.09.2005 के तहत भारत में केन्द्रीय सहायता से स्वर्ण हॉलमार्किंग/एसेइंग केन्द्रों की स्थापना की योजना को स्वीकृती प्रदान की थी। 2014–15 के दौरान मंत्रालय से रू. 60,00,000 प्राप्त हुए । 31.03.2013 को इस योजना के अंतर्गत अव्ययित अधिशेष रू. 18,55,163/– थे, जिन्हें वर्ष 2015–16 में अग्रानीत किया गया है (अनुसूची 2, कॉलम 1)

2.7 भारत सरकार की पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत "उपभोक्ता संरक्षण के लिए गुणता अवसंरचना" परियोजना के संबंध में उपभोक्ता मामले मंत्रालय की योजनाएं (अनुसूची 2, कॉलम 2):

2.7.1 खाद्य उपभोक्ता मामले एवं वितरण मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से भा.मा.ब्यूरो द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में प्राप्त निधि की स्थिति , 2014–15 में भा.मा.ब्यूरो द्वारा खर्च की गई निधि तथा 31.03.2015 तक खर्च नहीं की गई शेष राशि का विवरण नीचे दिया है।

16% per annum, the maturity of which was due on 30.04.2003(33%), 30.10.2003(33%) and 30.04.2004(34%). The interest is under default since 01.05.2000 which amounts to Rs. 128.00 lakh till date of maturity at coupon rate. BIS had filed a case through Petition No. 451/2002 before the National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC) which is pending for decision.

2.5 Financial Assistance from Consumer Welfare Fund of Govt. for the Infrastructure Facilities for the Training Institute Building at Noida [Schedule 2, Column 3]: The net unspent balance in Consumer Welfare Fund Account as on 31.3.2015 {after taking into account the advances of Rs. 3,32,260} amounted to Rs. 1,07,412[i.e. Rs.4,39,672 as per Schedule 2 less Rs. 3,32,260 of advances to NBCC yet to be adjusted [Schedule 7(B) Item 2(a)(iv)].

2.6 Scheme for setting up of Gold Hall Marking/Assaying Centres in India with central assistance: This scheme is being operated by BIS on behalf of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs , Govt. of India. The Department of Consumer Affairs vide its letter No. 8/2/2004-BIS dated 30.9.2005 had conveyed the sanction to the Scheme for setting up of Gold Hall Marking/Assaying Centres in India with central assistance. The funds of Rs. 60,00,000 were received from the Government during 2014-15. The unspent balance under the Scheme as on 31.03.2015 amounted to Rs.18,55,163 which has been carried over to 2015-16. (Schedule 2, Column 1)

2.7 Schemes of Ministry of Consumer Affairs on the project of 'Quality Infrastructure for Consumer Protection' under Five Year Plan of Govt. of India(Schedule 2, Column 2):

2.7.1 The schemes which are being operated by BIS on behalf of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, Govt. of India, their position of funds received, funds spent by BIS during 2014-15 and the unspent balance as on 31.3.2015 is given as under:

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

क.सं. Sl. No.	विवरण Particulars	राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर पर मानकीकरण सुदृढ़ **Strengthening Standardization at National and International Level**	उपभोक्ता शिक्षा एवं प्रशिक्षण, मानव संसाधन एवं क्षमता विकास **Consumer Education and Training, HRD and Capacity Building**	योग **Total**
(i)	1.4. 2014 को शेष Balance as on 1.4.14	-1,93,08,014*	6,13,95,292	4,20,87,278
(ii)	2014–15 में उ.मा. मंत्रालय से प्राप्त निधियां Funds received from MoCA in 2014-15	4,40,00,000	--	4,40,00,000
(iii) (क) (a)	ब्याज योजना खाते में उपार्जित ब्याज नामे Interest earned credited to Scheme A/C	4,69,789	20,508	4,90,297
(iii) (ख) (b)	अन्य प्राप्तियां Other Receipts	--	2,81,433	2,81,433
(iv)	कुल {(i) + (ii) + (iii)} Total {(i) + (ii) + (iii)}	2,51,61,775	6,16,97,233	8,68,59,008
(v)	2014–15 में व्यय Expenditure in 2014-15			
(क)(a)	पूँजी Capital	--	--	--
(ख)(b)	राजस्व Revenue	2,19,43,710	--	2,19,43,710
	2014–15 में कुल व्यय (क)+(ख) Total Expenditure in 2013-14 V{(a)+(b)}	2,19,43,710	--	2,19,43,710
(vi)	31.3.2015 को शेष {(iv) – (v)} {अनुसूची2, कॉलम 2 के अनुसार} Balance as on 31.3.2015 Schedule 2,Column 2}	32,18,065	6,16,97,233	6,49,15,298
(vii)	निधि के प्रति पूंजीगत कार्यप्रगति में (संदर्भ अनुसूची 4)Capital Work in Progress against the fund (refer Schedule 4)	-	6,16,47,301	6,16,47,301
(viii)	31.03.2015 को उपलब्ध निधि Funds available as on 31.03.2015	32,18,065	49,932	32,67,997

2013.14 के दौरान, भामाब्यूरो निधियों से व्यय किया गया ताकि भामाब्यूरो को 2014–15 के दौरान उपभोक्ता मामले विभाग से प्राप्त निधियों से पूर्ति की जा सके। 2013–14 के अंत में योजना निधि खाते में ऋणात्मक शेष है।

2.8 एन.बी.सी.सी. द्वारा मानक भवन की इमारत के लिए नया केन्द्रीय एसी संयंत्र – मानक भवन के भवन मुख्यालय के लिए नए केन्द्रीय एसी संयंत्र की स्थापना की परियोजना वर्ष 2003–04 में शुरू की गई थी। इस परियोजना के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एन.बी.सी.सी.) को परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पी.एम.सी.) नियुक्त किया गया। 2006 में यह परियोजना बंद कर दी गई अतः यह निर्णय लिया गया कि एन.बी.सी.सी. को उनकी अन्य परियोजनाओं अर्थात् ज.शा.का. भवन तथा एन.आई.टी.एस. नोएडा के निर्माण के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। एन.बी.सी.सी. के साथ लेखों का समायोजन प्रगति पर है। 2008–09 में रू. 86,07,396 का भुगतान किया गया था। स्थिर परिसम्पत्तियों की अनुसूची (अनुसूची 4) में इस परियोजना को पूंजीगत कार्य प्रगति के रूपमें दर्शाया गया है। कार्यकारी समिति (ई.सी.) की 27 मार्च 2008 को हुई 79वीं बैठक में एन.बी.सी.सी. के साथ संविदा और करार समाप्त करने का निर्णय लिया गया और कार्यकारिणी समिति ने यह अनुमोदन भी किया कि मानक भवन और मानकालय, दोनों के एयरकंडीशनिंग से संबद्ध सिविल और विद्युत कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से कराया जाए। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा यह परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है (संदर्भ सं. 2.1 (i)।

2.9 भा.मा.ब्यूरो की निधियों में से पूंजीगत व्यय – वर्ष 2014–15 के दौरान (समायोजित अग्रिम तथा पूंजी डब्ल्यू.आई.पी. में परिवर्धन सहित) भामाब्यूरो की निधि निकायों में से किया गया पूंजीगत व्यय 262453822 निम्नानुसार है (अनुसूची 4 देखें):

*During 2013-14, the expenditure was made from BIS Funds to be recouped to BIS from the funds received from DoCA during 2014-15, hence a negative balance in the Scheme Fund Account at the end of 2013-14.

2.8 New Central AC Plant for Manak Bhawan Building by NBCC - The project of Installation of New Central AC Plant for Manak Bhawan at HQ was initiated in the year 2003-04. National Building Construction Corporation (NBCC) was appointed as Project Management Consultant(PMC) for the project. The project was stopped in June 2006. It was decided that no payment shall be released to NBCC against other projects namely Construction of JBO Building and NITS Noida. The settlement of accounts with NBCC is not to be made. The payments of Rs. 86,07,396 made up to 2008-09 under this project have been shown as Capital work in progress in the Schedule of Fixed Assets[Schedule 4]. Executive Committee(EC) in its 79th meeting held on 27 March 2008 had decided to close the contract and agreement with NBCC and also approved the project related to air conditioning of both Manak Bhawan and Manakalaya and related civil and electrical works to be undertaken through the CPWD. This Project by CPWD is under execution(refer Note No. 2.1(i).

2.9 Capital Expenditure out of BIS Funds - The capital expenditure out of BIS Funds(including adjustment of advances and Additions to Capital WIP) during 2014-15 amounted to Rs. 262453822 .as under.(Refer Schedule 4)

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

अचल सम्पत्तियों में बढ़ोतरी Addition to Fixed Assets	**2014-15**
मुख्यालय में भवन–सौर उर्जा संयंत्र HQ Buildings - Solar Power Plant	7190000
गुवाहाटी में भवन Building at Guwahati	2626480
फर्नीचर एवं साजो–समान, कार्यालय उपकरण एवं कंप्यूटर Furniture and Fixtures, Office equipments and Computers	21332449
प्रयोगशाला उपस्कर Laboratory Equipments	1596934
पुस्तकालय पुस्तकें Library Books	302650
वाहन Vehicles	944984
योग **Total**	**33993497**
वर्ष के दौरान विभिन्न बनाई जा रही भवन परियोजनाओं में पूँजीगत कार्य में जारी वृद्धि Addition to Capital work in progress during the year in various ongoing Building projects	228460325
योग **TOTAL**	**262453822**

2.10 अनुसूची 7क (मद 3(ग) (i) के अंतर्गत वसूली योग्य राशि (कर्मचारी) – इसमें श्री मोहन सिंह, भूतपूर्व उ.श्रे.लि. के द्वारा जानबूझकर की गई जालसाजी/गबन के रू 12,000/– शामिल हैं । आई.पी.सी. की धारा 420, 468 तथा 471 के अंतर्गत आई.पी. एस्टेट पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली में 30.01.2003 को एफ. आई.आर. 23/03 पंजीकृत की गई थी । मामले की कार्यवाही तीस हजारी, नई दिल्ली के माननीय मैट्रोपोलिटन न्यायालय में चल रही है।

श्री मोहन सिंह, भूतपूर्व उ.श्रे.लि. के विरूद्ध अनुशासनात्मक प्राधिकारी (उप महानिदेशक, मध्य क्षेत्र) द्वारा विभागीय अनुशासनात्मक जांच अभी भी की जा रही है। भा.मा.ब्यूरो की सेवाओं से श्री मोहन सिंह, उ.श्रे.लि. 30.04.2010 को सेवानिवृत्त हो गए थे। चूंकि जांच अभी जारी है अतः श्री मोहन सिंह के सेवानिवृत्ति लाभ रोक दिए गए हैं।

2.11 अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अशोध्य ऋणों को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद बट्टे खाते में डाल दिए जाते हैं व इन्हें आय एवं व्यय लेखे में प्रभारित किया जाता है। वर्ष 2014–15 के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो के सक्षम प्राधिकारी ने रू.7,63,794/– के अशोध्य ऋण को बट्टे खाते में डालने का अनुमोदन किया जिसे अनुसूची 15 मद 9 (जी) में दर्शाया गया है।

2.12 सामान्य भविष्य निधि खातों में घाटा : 2014–15 के दौरान भा मा ब्यूरो कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि खातों में रू. 48,17,735 का घाटा (आय से अधिक खर्च) हुआ। इसे ब्यूरो के खर्च के रूप में लिया गया है तथा लेखा नीति (अनुसूची 14 मद (2ग) के अनुसार आय और व्यय लेखा में प्रभारित कर दिया है।

2.13 आय कर छूट :

2.13.1 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपने दिनांक 23.12.2014 की अधिसूचना संख्या 88/2014 द्वारा भामाब्यूरो को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (46) के अंतर्गत मूल्यांकन वर्ष 2012–13 से 2012–17 तक अधिसूचित किया है, जिसके परिणामस्वरूप मूल्यांकन वर्ष 2016–17 तक भामाब्यूरो की आय कर योग्य नहीं होगी।

2.13.2 भामाब्यूरो को धारा 10(2) (सी) (iv) द्वारा प्रदान की गई छूट डी.जी. : आई.टी (ई) द्वारा 24.02.2012 के आदेश द्वारा मूल्यांकन वर्ष 2009–10 और उसके बाद के लिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 04.12.12 के आदेश द्वारा रेस्टोर कर दी गई थी। अतः आयकर अधिनियम की धारा 10(23)(सी)(iv) के अंतर्गत भामाब्यूरो को दी गई छूट भी लागू है। डी जी आईटी (ई) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत ब्यूरो की रिट पेटीशन पर

2.10 Accounts Recoverable(Employees) under Schedule 7A(item 2(c)(i): This includes Rs. 12,000/- towards forgery/embezzlement allegedly committed by Shri Mohan Singh, Ex-UDC. An FIR No. 23/03 dated 30.01.2003 was registered against Shri Mohan Singh under section 420,468 and 471 of IPC at IP Estate Police Station, New Delhi. The case proceedings are in progress in the Hon'ble Metropolitan Court of Tees Hazari, Delhi.

The departmental disciplinary enquiry against Sh. Mohan Singh is underway by the disciplinary authority(Dy. Director General, Central Region). Sh. Mohan Singh, UDC had retired on 30.04.2010 from the services of BIS. As the enquiry is underway, the retirement benefits of Shri Mohan Singh have been withheld.

2.11 Provision for Bad and Doubtful Debts: No provision is made for bad and doubtful debts. The bad debts are charged to Income and Expenditure Account after the same are approved by the competent authority. During 2014-15 bad debts of Rs. 7,63,794 have been charged to Income and Expenditure Account which were approved by the Competent Authority of BIS for write-off. These have been shown under Schedule 15 -Item 9(g).

2.12 Deficit in General Provident Fund Accounts : There was a deficit (i.e. excess of expenditure over income) of Rs. 48,17,735 in BIS Employees General Provident Fund Accounts during 2014-15. This has been treated as expense of the Bureau as per the Accounting Policy [Schedule 14 Item 2(c)].

2.13 Income-Tax Exemption:

2.13.1 Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, Ministry of Finance, Govt. of India, vide its Notification No. 88/2014 dated 23.12.2014 has notified BIS under Section 10 (46) of Income-tax Act, 1961 for the Assessment Years 2012-13 to 2016-17. As a result of this notification of Govt. of India, the income of BIS is not taxable till Assessment Year 2016-17.

2.13.2 Income-tax Exemption granted to BIS under section 10(23)(c)(iv) which was withdrawn by DG:IT(E) vide order dated 24.02.2012 from Assessment Year 2009-10 and onwards was restored vide order dated 04.12.2012 in compliance with the order of Hon'ble High Court. Therefore, the tax exemption of BIS under section 10(23)(c)(iv) of Income Tax Act is also applicable. The DG IT(E) had filed SLP in Hon'ble Supreme Court under

माननीय हाईकोर्ट द्वारा अनुमति देने के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में एसएलपी फाइल की है। डीजी आईटी (ई) द्वारा फाइल एसएलपी सिविल अपील में कंवर्ट कर दी गई है, जो अभी माननीय उच्चतम न्यायालय में पेंडिंग है।

2.14 भा.मा.ब्यूरो के वार्षिक लेखा को वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित एकीकृत प्रारूप में तैयार किया गया है।

2.15 विगत वर्ष के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक पाया गया है पुनः समूहबद्ध किया गया है, ताकि उन्हें चालू वर्ष के वर्गों और आंकड़ों से तुलनीय बनाया जा सके।

2.16 अंतिम लेखे में आंकड़े निकटतम रूपयों में पूर्णांकित किए गए हैं।

Article 136 of the Constitution of India for allowing Writ Petition of BIS by the Hon'ble High Court. The SLP filed by DG IT(E) has been converted into Civil Appeal which is pending in the Hon'ble Supreme Court.

2.14 The Annual Accounts have been prepared in the Uniform Formats of Accounts prescribed by the Ministry of Finance.

2.15 The previous year figures have been re-grouped wherever found necessary to make them comparable with current year groups and figures.

2.16 Figures in Final Accounts have been rounded off to the nearest rupee.

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS
31 मार्च 2015 तक निवेशों का विवरण DETAILS OF INVESTMENT AS ON 31.3.2015

अनुसूची 18 SCHEDULE -18

(₹ लाख में) (₹ in Lakh)

क.सं. Sl. No.	संस्थान का नाम Name of Institution	लागत पर निवेश Investment at cost	निवेश का सांकेतिक बाजार मूल्य* Indicative Market Value of investment*
1	भामाब्यूरो की निधियों के निवेश **INVESTMENT OF BIS FUNDS**		
1.1	बैंकों में सावधिक जमा राशियों पर निवेश **Investment with Banks in fixed Deposits**		
1.1.1	आंध्रा बैंक Andhra Bank,	8940.00	8940.00
1.1.2	बैंक ऑफ इंडिया Bank of India	5229.00	5229.00
1.1.3	केनरा बैंक Canara Bank	5925.00	5925.00
1.1.4	कॉर्पोरेशन बैंक Corporation Bank	29066.00	29066.00
1.1.5	इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया Industrial Development Bank of India	300.00	300.00
1.1.6	इंडियन ओवरसीज बैंक Indian Overseas Bank	280.00	280.00
1.1.7	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स Oriental Bank of Commerce	9285.00	9285.00
1.1.8	पंजाब एंड सिंध बैंक Punjab & Sind Bank	10092.00	10092.00
1.1.9	पंजाब नेशनल बैंक Punjab National Bank	14266.00	14266.00
1.1.10	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एडं जयपुर State Bank of Bikaner & Jaipur	10740.00	10740.00
1.1.11	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद State Bank of Hyderabad	2795.00	2795.00
1.1.12	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर State Bank of Mysore	1320.00	1320.00
1.1.13	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला State Bank of Patiala	19970.00	19970.00
1.1.14	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर State Bank of Travancore	6985.00	6985.00
1.1.15	सिंडिकेट बैंक Syndicate Bank	5.00	5.00
1.1.16	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India	3500.00	3500.00
1.1.17	विजया बैंक Vijaya Bank	1150.00	1150.00
	कुल TOTAL (1.1)	**129848.00**	**129848.00**
1.2	बैंकों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थानों में बांडों तथा जमा राशियों में निवेश Investment with PSUs & Financial Institutions other than Banks in Bonds & Deposits		
1.2.1	उ.प्र. सहकारी कताई मिल संघ लि. (यूपीसीएसएमएफएल) अनुसूची 17 की टिप्पणी 2.4.2 देखें) 16% U.P. Co-operative. Spinning Mills Federation Ltd. (UPCSMFL)(see note 2.4.2 of Schedule 17)	200.00	200.00
	कुल TOTAL (1.2)	200.00	200.00
	कुल TOTAL (1)	130048.00	130048.00
	कुल रू. 130048,00 लाख का कुल निवेश का आबंटन (अनुसूची 17 का नोट 2.4.1 देखें) TOTAL INVESTMENT OF RS. 130048.00 LAKHS REPRESENTING FOLLOWING FUNDS: (see Note 2.4.1 of Schedule 17)		
क)	पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि खाता Pension/Gratuity Liability Fund Account:	103099.18	
	अनुसूची 7(क), 4(क), (iii), (ए) (IV) के अंतर्गत Under Schedule 7(A),Item 4(a) (iii) (A) (IV) under schedule 5 (Item 1)	200.00	103299.18
ख)	कार्पस/पूंजी निधि अनुसूची 7 (क), मद 4(क) (iii) (ख) के अंतर्गत Corpus/Capital Fund under Schedule 7(A) Item 4(a)(iii)(B)		26643.37
ग)	राष्ट्रीय पेंशन योजना निधि 7(क), मद 4(क) (iii) (ए) (iii) के अंतर्गत National Pension Scheme Fund Under Schedule 7(A) Item 4(a)(iii)(A)(III)		105.45
	भामाब्यूरो निधियों का कुल निवेश Total Investments of BIS Funds		**130048.00**

2	**कर्मचारी निधि निवेश INVESTMENT OF EMPLOYEES FUNDS**		
2.1	**सामान्य भविष्य निधि {(अनुसूची 5 देखें और अनुसूची 7का–4(क)(iii) (ए)(II)}** **General Provident Fund{(see Schedule 5 and Schedule 7A-4(A) (iii) (A)(II)}**		
2.1.1	भारत सरकार में प्रतिभूतियाँ – उद्धरित Government of India Securities - Quoted	2801.64	2834.76
2.1.2	राज्य सरकार में प्रतिभूतियाँ – उद्धरित State Government Securities - Quoted	3591.66	3663.35
2.1.3	आर.बी.आई. में विशेष जमा Special Deposits with RBI	3127.08	3127.08
2.1.4	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थानों में बांड तथा जमा राशियों में निवेश उद्धरित Debentures and Bonds of PSUs and Financial institutions in Bonds and Deposits	1867.69	1907.64
	निवेश–उद्धरित Quoted Investment - अनुद्धरित निवेश – मनी मार्केट - Unquoted Investment - Money Market	86.95	87.50
2.1.5	अन्य निवेश – बैंकों में सावधि जमा Other Deposits - Fixed Deposits with Banks	2403.30	2403.30
	कुल TOTAL(2)	**13878.32**	**14023.63**
3	**निवेश – अन्य INVESTMENT-OTHERS**		
3.1	एबीओ भवन परियोजना – सावधि जमा – सिंडिकेट बैंक (देखें अनुसूची 7(क) क्र.सं. 4 (क) (ii) (ए) (III) ABO Building Project- Fixed Deposit-Syndicate Bank (See Schedule 7(A)Sl. 4(a)(ii)(a)(III)	23.33	23.33
	कुल योग GRAND TOTAL(1+2+3)	**143949.65**	**144094.96**

टिप्पणी': निवेशों का बाजार मूल्य भा.मा.ब्यूरो के निधि प्रबंधक मैसर्स आई.डी.बी.आई. कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि. मुम्बई द्वारा उपलब्ध कराया गया है। प्रतिभूतियों का मूल्य बाजार मूल्य पर किया गया है, जहाँ बाजार कोट उपलब्ध थे अथवा यदि बाजार कोट उपलब्ध नहीं थे, वहाँ अंकित/क्रय मूल्य पर किया गया। यू.पी.सी.एफ.एम.एफ.एल. बांड, के संदर्भ में बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं थे। बैंकों की सावधि जमा अंकित मूल्य पर दर्शाई गई है। इसका ब्रेक–अप निम्नानुसार है:

NOTE : Market Value of investments have been made available by BIS Fund Manager M/s. IDBI Capital Market Services Ltd., Mumbai . The securities have been valued at market price where market quotes were available or at face value/purchase price if the market quotes are not available. The market quotes were not available in respect of UPCSMFL Bonds. The Fixed Deposits with Banks have been shown at face values. The break-up is as follows:

सकल उद्धरित निवेश The aggregate quoted investment	8347.94	(बाजार मूल्य Market value 8493.25
सकल अनुद्धरित निवेश The aggregate unquoted investment (फिक्स्ड डिपोजिट सहित) (including fixed deposits)	135601.71	
कुल निवेश **Total Investment**	**143949.65**	

वर्ष 2014–15 की प्राप्ति एवं भुगतान लेखा RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2014-15
भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

प्राप्तियाँ RECEIPTS			भुगतान PAYMENTS		
विवरण PARTICULARS	वर्तमान वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	विवरण PARTICULARS	वर्तमान वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
I. आरंभिक रोकड़ एवं बैंक अधिशेष Opening Cash And Bank Balances	1272,74,566	1200,39,719	I. खर्चे Expenses - स्थापना Establishment	1208,4,00,477	11041,19,464
II. भारत सरकार से प्राप्त अनुदान Grants received from Govt. of India	500,00,000	180,00,000	- प्रशासन Administration	581,948,076	6014,58,203
			II.विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों से किया भुगतान Payments made against Funds for various Projects		
III. निवेश पर प्राप्त ब्याज Interest received on Investments	8959,50,978	11902,72,859	क) हालमार्किंग केन्द्र स्थापित करने के लिए योजना a) Scheme for setting up of Hall Marking Centres	49,76,484	156,13,483
IV. उद्दिष्ट/अक्षय निधि से आय Income from Earmarked Endowment	5,73,600	2,64,859	ख) उपभोक्ता संरक्षण हेतु गुणता ढांचा – ग्यारहवीं योजना b) Quality Infrastructure for Consumer Protection-XIth Plan	219,43,710	18,62,050
V. बचत बैंक खाते से ब्याज Interest received- Saving Bank Accounts	9,11,641	15,31,411	III. किया गया निवेश और जमा (निवल) Investments and Deposits made (Net)	18249,00,000	1928,865,203
VI.उपभोक्ता संरक्षण योजना के लिए गुणता अवसंरचना 11वीं योजना Quality Infrastrucutre for Consumer Protection-XIth Plan	2,81,433	0	IV. स्थायी परिसम्पत्तियों पर खर्च Expenditure on Fixed Assets	264,01,914	253,66,919
VII. आय–सेवाएँ– बिक्री और विविध Income-Services, Sales and Miscellaneous	34241,57,624	30707,25,549	V. पूंजीगत कार्य प्रगति में Capital Work in progress VI. अन्य भुगतान Other Payments		
VIII. अन्य प्राप्तियाँ Other Receipts			क) वर्तमान परिसम्पत्तियाँ वर्तमान देयताएँ तथा अंतर लेखा (निवल) a) Current Assets, Current Liabilities and Inter Accounts (Net)	7100,43,278	5957,52,181
क) पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि a) Pension/Gratuity Liability Fund	5332,03,556	4694,64,490	ख) पेंशन/ग्रेच्युटी लाभ b) Pension/Gratuity Benefits	5335,39,865	4698,12,463
ख) परोपकारी निधि b) Benevolent Fund	7,57,560	8,26,245	ग) परोपकारी निधि लाभ c) Benevolent Fund Benefits VII रोकड़ शेष Closing Balance	5,00,000	10,00,600
			- नकद और अग्रदाय - Cash and Imprest	7,27,728	718,454
			- बैंक - Bank	1197,29,426	1265,56,112
योग TOTAL	50331,10,958	48711,25,132	योग TOTAL	50331,10,958	48711,25,132

ख. भारतीय मानक ब्यूरो : सामान्य भविष्य निधि B. BUREAU OF INDIAN STANDARDS : GENERAL PROVIDENT FUND					
I. आरंभिक बैंक अधिशेष Opening Bank Balance	58,96,511	47,08,052	I. Withdrawals and Final Payments वापसी एवं अंतिम भुगतान	2126,89,363	2158,69,131
II. निवेश पर प्राप्त ब्याज Interest Received on Investments	956,55,444	916,51,768	II. कर्मचारियों को अग्रिम Advances to employees	19,00,151	23,93,480
III. कर्मचारियों का अंशदान Employees' Subscriptions	1931,57,654	1917,02,604	III. मृत्यु बीमा Death Linked Insurance	2,39,783	4,80,000
IV. अग्रिम की वापसी Refund of advances	26,40,589	31,77,578	IV. किया गया निवेश एवं जमा (शुद्ध) Investments and Deposits made(net)	1742,81,809	807,90,736
V. अन्य प्राप्तियाँ – वर्तमान परिसम्पत्तियाँ Other Receipts - Current Assets	936,22,876	141,90,620	V. अन्य भुगतान Other Payments		
			क) वर्तमान देयताएँ a) Current Liabilities		0
			ख) बैंक प्रभार b) Bank Charges	6,179	764
			बैंक रोकड़ शेष VI. Closing Bank Balance	18,55,789	58,96,511
योग TOTAL	**3909,73,074**	**3054,30,622**	**योग TOTAL**	**3909,73,074**	**3054,30,622**

दिनांक 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक् लेखा रिपोर्ट

1. हमने भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 22(2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के तहत भारतीय मानक ब्यूरो (भामाब्यूरो) के दिनांक 31 मार्च 2015 तक के तुलन–पत्र एवं इस दिनांक को समाप्त वर्ष की आय एवं खर्चों के लेखा प्राप्तियां एवं भुगतान लेखाओं का ऑडिट किया है। इन वित्तीय विवरणों में भारतीय मानक ब्यूरो के 23 शाखा कार्यालयों, 4 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं साहिबाबाद स्थित केन्द्रीय परीक्षण और अंशशोधन केन्द्र व राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान के खातों को सम्मिलित किया गया है। इन वित्तीय विवरणों के लिए भा मा ब्यूरो का प्रबंधन उत्तरदायी है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे ऑडिट के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करना है।

2. इस पृथक् ऑडिट रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की वर्गीकरण, लेखा संबंधी सर्वोत्तम रीतियों के साथ अनुरूपता, लेखांकन मानकों एवं डिस्कलोजर नार्म्स इत्यादि से संबद्ध लेखाकरण समाधान पर टिप्पणी भी शामिल है। कानूनों, नियम एवं विनियमों (प्रोप्रायटी एवं रेगुलेटरी) तथा दक्षता–सह–कार्यकारिता पहलुओं इत्यादि, यदि कोई हों, के अनुपालन से संबद्ध वित्तीय लेन–देनों पर निरीक्षण रिपोर्टों/अलग से सीएजी की ऑडिट रिपोर्टों के माध्यम से ऑडिट टिप्पणियां की गई हैं।

3. हमने यह ऑडिट भारत में लेखाकरण के सामान्यतः स्वीकृत मानदंडों के अनुसार किया है। इन मानकों में यह अपेक्षित है

Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts of Bureau of Indian Standards, New Delhi for the year ended 31 March 2015

1. We have audited the attached Balance Sheet of Bureau of Indian Standards (BIS), New Delhi as at 31 March 2015, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 22(2) of the Bureau of Indian Standards Act, 1986. These financial statements include the accounts of twenty three Branch Offices, Four Regional Offices and the Central Testing and Calibration Centre at Sahibabad and the Training Institute of the BIS. These financial statements are the responsibility of the management of BIS. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Laws, Rules and & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India.

कि इन वित्तीय विवरणों की सामग्री गलत बयानी से मुक्त होने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करके ऑडिट की योजना बनाई जाए। ऑडिट में रकमों के समर्थक सबूतों एवं वित्तीय विवरणों में प्रकटन संबंधी जांचें परीक्षण के आधार पर सम्मिलित होती हैं। ऑडिट में प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों का मूल्यांकन एवं प्रबंधन द्वारा बनाए गए विशेष अनुमानों तथा वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय को उपयुक्त आधार प्रदान करती है।

4. ऑडिट के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

i) हमने अपने ऑडिट के प्रयोजनार्थ अपनी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सभी जानकारियाँ एवं स्पष्टीकरण लिए हैं।

ii) इस रिपोर्ट में प्रयुक्त तुलन–पत्र, आय एवं खर्च/लेखा प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखा संबंधी एकरूप फार्मेट में लिया गया है।

iii) हमारी राय में, खाता बहियों एवं अन्य संबंधित रिकॉर्डों की समुचित जांच करने के बाद लगता है कि इन्हें भा मा ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 22 (1) के तहत सही ढंग से बनाया गया है।

iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

क आय और व्यय लेखा

क.1 व्यय

क.1.1 अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 15)

वर्ष 2014–15 के दौरान विभाग द्वारा व्यय के रूप में प्रदर्शित

These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

(i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

(ii) The Balance Sheet, Income and Expenditure/Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the Uniform Format of Accounts as prescribed by the Ministry of Finance.

(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained, under section 22(1) of Bureau of Indian Standards Act 1986, in so far as it appears from our examination of such books.

(iv) We further report that:

A. Income and Expenditure Account

A.1 Expenditure

A.1.1 Other Administrative Expenditure (Schedule 15)

During 2014-15,an amountof Rs.14.06 lakh was shown as

रू 14.06 लाख 'बाहरी एजेंसियों को निरीक्षण प्रभार' के अंतर्गत प्रदर्शित किए गए थे, जो पिछले वर्ष के हैं क्योंकि यह व्यय वर्ष 2014–15 से संबंधित नहीं है, अतः 14.06 लाख रूपये के व्यय का अधिविवरण दिया गया है।

ख. सहायक अनुदान

भा मा ब्यूरो को 'हॉलमार्किंग केन्द्रों की स्थापना' तथा 'उपभोक्ता संरक्षण के लिए गुणता अवसंरचना' के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से रू. 500.00 लाख का सहायक अनुदान मिला। रू. 8.48 लाख 'ब्याज़ और अन्य प्राप्तियों' के रूप में अर्जित हुए थे और इसमें पिछले वर्ष का अव्ययित शेष रू. 432.83 लाख था। वर्ष के दौरान रू. 941.31 लाख की कुल उपलब्ध राशि में से रू. 269.20 लाख की राशि का उपयोग किया गया जिससे वर्ष के अंत में शेष राशि रू. 672.11 थी।

ग. प्रबंधन का पत्र : ऐसी विसंगतियां, जिन्हें ऑडिट रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें अलग से जारी किये प्रबंधन पत्र में समाधान/सुधारात्मक उपायों के लिए भा मा ब्यूरो के नोटिस में लाया गया है :

v) पूर्ववर्ती अनुच्छेद के अधीन हम यह रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में जिस तुलन पत्र तथा आय और व्यय लेखा तथा प्राप्ति तथा भुगतान लेखा का ऑडिट किया गया है, वे लेखा पुस्तकों के अनुसार हैं।

vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखा संबंधी नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण तथा इस पृथक् ऑडिट रिपोर्ट के उपरोक्त महत्वपूर्ण मामले और अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामले भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा संबंधी सिद्धांतों के अधीन हैं और इनके अनुरूप सत्य और निष्पक्ष विचार प्रस्तुत करते हैं।

expenditure by the department under the head 'Inspection charges to outside agencies' which pertained to previous years. Since the expenditure did not pertain to the year 2014-15, this resulted in overstatement of expenditure by Rs. 14.06 lakh.

B. Grants-in-aid

BIS received Grants-in-aid of Rs. 500.00 lakh for 'Setting up of Hall-marking Centers' and 'quality infrastructure for consumer protection' from the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. It had Rs. 8.48 lakh as 'interest and other receipts' and unspent balance of Rs. 432.83 lakh of the previous year. Out of total available amount of Rs. 941.31 lakh, a sum of Rs.269.20 lakh was utilized during the year leaving a balance of Rs.672.11 lakh at the end of the year.

C. Management letter: Deficiencies which have not been included in the audit report have been brought to the notice of the BIS through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India;

अ. अभी तक चूंकि यह भारतीय मानक ब्यूरो के 31 मार्च, 2015 तक के मामलों के संदर्भ में तुलन पत्र से संबंधित है। और

ड. अभी तक चूंकि यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के अधिशेष के आय और व्यय लेखा से संबंधित है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से एवं उनके हेतु

स्थान : नई दिल्ली **ऑडिट के महानिदेशक**

दिनांक: 05.11.2015 **(केन्द्रीय व्यय)**

a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Bureau of Indian Standards, New Delhias at 31 March 2015; and

b. In so far as it relates to Income and Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the C and AG of India

Place: New Delhi **Director General of Audit**

Date: 05.11.2015 **Central Expenditure**

संलग्नक
Annexure

1.	**आंतरिक लेखा पद्धति की पर्याप्तता** **Adequacy of internal audit system**	• मार्च 2015 तक का आंतरिक लेखा चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा किया गया है। • Internal audit has been conducted by Chartered Accountant firm up to March 2015 and found to be adequate.
2.	**आंतरिक नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता** **Adequacy of Internal Control System**	• निट्स (प्रशिक्षण संस्थान) द्वारा यथा– निर्दिष्ट फार्मेट में कैश बुक का रखरखाव नहीं किया जा रहा है। • NITS (training institute) was not maintaining Cash book in the format as prescribed. • 2009–10 से 2011–12 में निट्स में रू. 2,55,632 की राशि 2,55,632 की राशि की फुटकर देनदारियां है। यथाशीघ्र जिनकी वसूली आवश्यक है। • Sundry Debtors amounting to Rs. 2,55,632 were outstanding since 2009-10 to 2011-12 in NITS. This needs to be recovered at the earliest. • निट्स में जमा रू.5,72,100 की राशि की बयाना राशि है जो 2006–07 से 2013–14 की अवधि की है। इस राशि को भामाब्यूरो के लेखों से हटाना आवश्यक है। • Earnest Money amounting to Rs. 5,72,100 deposited with NITS pertained to the period 2006-07 to 2013-14. This needs to be cleared from the accounts of BIS. • केन्द्रीय परीक्षण और अंशशोधन केन्द्र, साहिबाबाद ने बाहरी प्रयोगशालाओं को 2014–15 की अवधि के लिए परीक्षण शुल्क के रूप में रू. 57,42,949 का भुगतान किया है किन्तु इस पर टीडीएस नहीं काटा गया। • Central Testing and Calibration Centre, Sahibabad has made a payment of Rs. 57,42,949 as testing fees to outside laboratories for the period 2014-15 but TDS was not deducted. उपर्युक्त को देखते हुए भामाब्यूरो की आंतरिक नियंत्रण पद्धति को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। In view of the above, the internal control system of BIS needs to be strengthened.
3.	**परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की पद्धति** **System of physical verification of assets**	• मार्च 2015 तक स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है और इसे पर्याप्त पाया गया है। • The physical verification of fixed assets has been conducted up to March 2015 and found to be adequate
4.	**इन्वेंटरी के भौतिक सत्यापन की पद्धति** **System of physical verification of inventory**	मार्च 2015 तक इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन किया गया और कोई विसंगति नहीं पाई गई। Physical verification of inventory had been conducted up to March 2015 and no discrepancy was noticed.
5.	**देयों के भुगतान की नियमितता** **Regularity in payment of dues.**	सांविधिक देयताओं जैसे आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा–शुल्क, सेस, अंशदायी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा का छः माह से अधिक का कोई भुगतान 31.03.2015 को शेष नहीं था। No Payment over six month in respect of statutory dues like Income Tax, Sales Tax, service tax, custom duty, cess, contributory provident fund and employee's state insurance were outstanding as on 31.03.2015.

भा० मा० ब्यूरो की संरचना
Structure of BIS

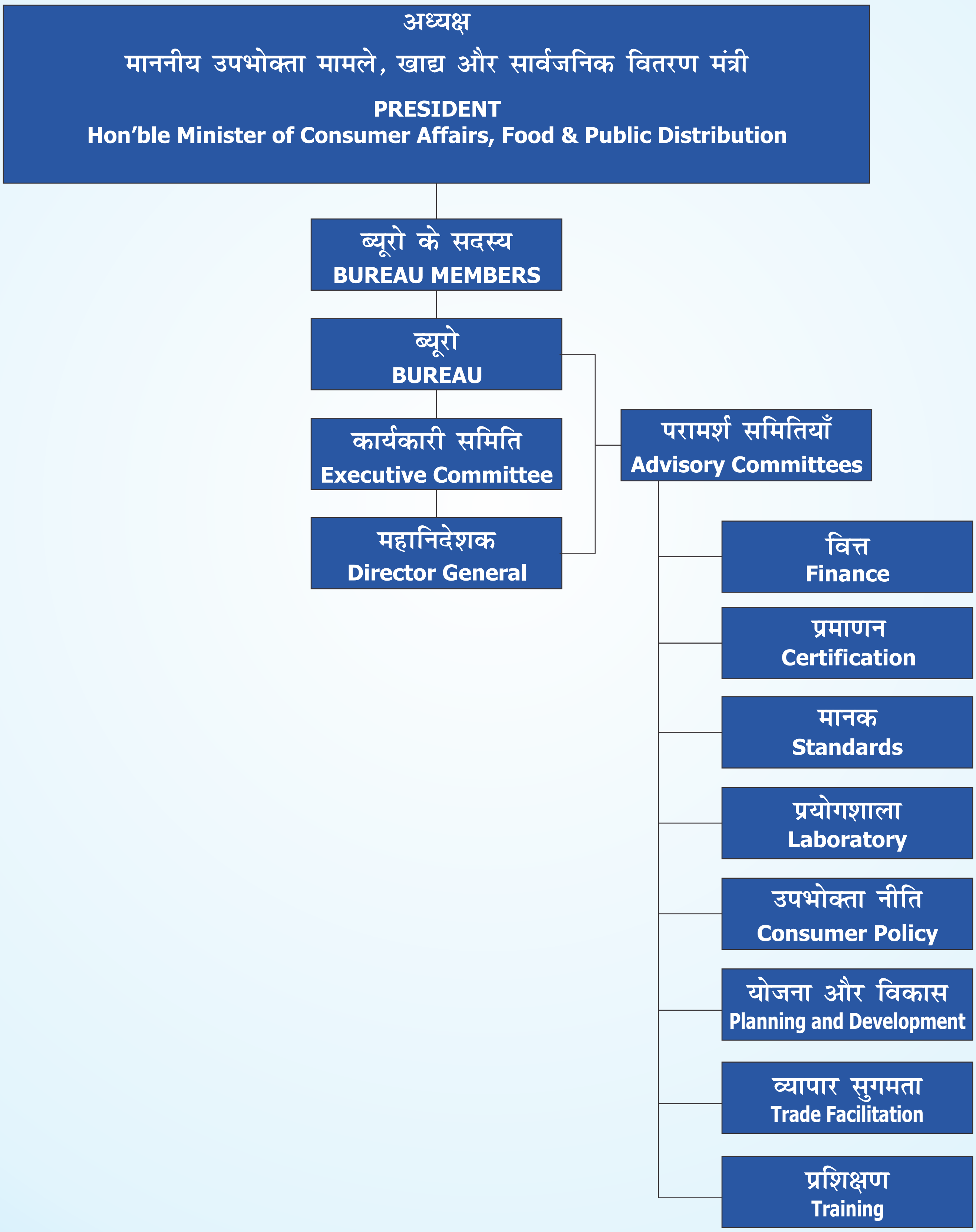

INDIA
BIS - LOCATIONS
Parwanoo
Mohali
Chandigarh
Dehradun
Delhi
Ghaziabad
Noida
Faridabad
Jaipur
Lucknow
Patna
Guwahati
Ahmedabad
Durgapur
Jamshedpur
Kolkata
Bhopal
Rajkot
Nagpur
Raipur
Bhubaneshwar
Mumbai
Pune
Vishakhapatnam
Hyderabad
HEADQUARTERS
BRANCH OFFICES (32 IN 27 PLACES)
REGIONAL OFFICES (5)
LABORATORIES (8)
TRAINING INSTITUTE (NITS)
Bangalore
Chennai
Coimbatore
Kochi
NORTHERN REGION
CENTRAL REGION
EASTERN REGION
WESTERN REGION
SOUTHERN REGION

Cover Page Theme : Standards level the playing field

Cover Page Designed By : Shreya Dhawan

मानक : पथप्रदर्शक :

भारतीय मानक ब्यूरो

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

मानक भवन, 9 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली–110002

वेबसाइट : www.bis.org.in

Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Website : www.bis.org.in